विषयक्रम
CONTENTS

	पृष्ठ Page
अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement	4
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	6
वर्ष 2006-2007 के लिए लेखा Accounts for 2006-2007	28
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	76
नि.एवं म.ले.प. की टिप्पणी Comments of the C&AG	114
अनुपालन प्रमाणपत्र Compliance Certificate	118

निगमीय प्रबंधन समिति

श्री के. एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

श्री आर. आर. पंडालै
निदेशक (कार्मिक)

श्री जी. एन. वी. सत्यनारायण
निदेशक (तकनीकी)

डॉ. पी.वी. आनंद मोहन
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)

श्री एस.पी. चागंटी
कार्यपालक निदेशक (सीएजी, ऐंटिना प्रोडक्ट्स तथा सीआर एंड डी)
एवं मुख्य तकनोलोजी अधिकारी

सुश्री वी. मंजुला
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री बी. अशोक
महा प्रबन्धक (वित्त)

श्री एस. हनुमंत राव
महा प्रबन्धक (मानव संसाधन)

श्री एस. त्यागराजन
महा प्रबन्धक (इलेक्ट्रानिक वारफेर प्रोजेक्ट्स वर्ग)

श्री डी. मधुसूदन
महा प्रबन्धक (संचार प्रभाग)

श्री वी. सुब्रमोनियन
महा प्रबन्धक (मैन्युफैक्चरिंग वर्ग व सूचना प्रौद्योगिकी)

श्री टी.वी. सुब्रह्मण्यम
महा प्रबन्धक, (सामरिक इलेक्ट्रानिक प्रभाग)

श्री सी. एस. रत्नाकर राव
महा प्रबन्धक, (उपकरण एवं प्रणाली प्रभाग)

श्री वी. कृतिवासन
महा प्रबन्धक (एंटिना प्रोडक्ट एवं सैटकॉम प्रभाग)

श्री एन.एस.एस. प्रसाद राव
महा प्रबन्धक

श्री एस. दासगुप्ता
महा प्रबन्धक (सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग)

श्री एम.जी. पाटणकर
महा प्रबन्धक (एससीएडीए एवं नियंत्रण
तथा उपकरणीकरण प्रभाग)

श्री वी. वेंकट राव
महा प्रबन्धक (कंट्रोल एवं आटोमेशन प्रभाग)

श्री डी. रंगा राव
प्रमुख (व्यापार प्रणाली प्रभाग)

श्री जी. डी. बिनानी
प्रमुख (सर्वो प्रणाली प्रभाग)

श्री टी.एस. राममूर्ति
स्थानापन्न प्रमुख (कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रभाग)

श्री डी.ए. राव
स्थानापन्न प्रमुख (इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण एवं सेवा प्रभाग)

श्री वी. सत्यनारायण
स्थानापन्न प्रमुख (दूरसंचार प्रभाग)

श्री सुदेश चन्दर
स्थानापन्न प्रमुख (विशेष उत्पाद प्रभाग)

श्री एम. शिव प्रसाद
स्थानापन्न प्रमुख (कार्मिक वर्ग)

श्री आर.जे. राम
अपर महा प्रबन्धक (उपकरण एवं प्रणाली प्रभाग) एवं
प्रभारी, सीपीपीएम

श्री वि.श्री. मूर्ति
उप महा प्रबन्धक (विधि) एवं
प्रभारी, कंपनी सचिवालय

लेखा परीक्षक
मेसर्स सत्यनारायण एण्ड कंपनी सनदी लेखापाल

बैंकर्स
स्टेट बैंक आफ इण्डिया
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
बैंक आफ महाराष्ट्र
आन्ध्रा बैंक
बैंक आफ बहरीन एण्ड कुवैत, बी.एस.सी.
आईसीआईसीआई बैंक
पंजाब नेशनल बैंक

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 2 11/30/2007, 11:34 AM

CORPORATE MANAGEMENT COMMITTEE

SHRI K S RAJASEKHARA RAO
Chairman & Managing Director

SHRI R R PANDALAI
Director (Personnel)

SHRI G N V SATYANARAYANA
Director (Technical)

Dr. P V ANANDA MOHAN
Executive Director (Technical)

SHRI S P CHAGANTY
Executive Director (CAG, AP and CR & D) and
Chief Technology Officer

Ms. V MANJULA
Chief Vigilance Officer

SHRI B ASHOK
General Manager (Finance)

SHRI S HANUMANTHA RAO
General Manager (Human Resources)

SHRI S THIAGARAJAN
General Manager (Electronic Warfare Projects Group)

SHRI D MADHUSUDAN
General Manager (Communications Division)

SHRI V SUBRAMONIAN
General Manager (Manufacturing Group and IT & TG)

SHRI T V SUBRAHMANYAM
General Manager (Strategic Electronics Division)

SHRI C S RATNAKAR RAO
General Manager (Instruments & Systems Division)

SHRI V KRITHIVASAN
General Manager (Antenna Products & Satcom Division)

SHRI N S S PRASADA RAO
General Manager (Divya Drishti Project)

SHRI S DASGUPTA
General Manager (Information Technology Division)

SHRI M G PATANKAR
General Manager (Supervisory Control &
Data Acquisition Division and
Control & Instrumentation Division)

SHRI V VENKAT RAO
General Manager (Control & Automation Division)

SHRI D RANGA RAO
Head (Business Systems Division)

SHRI G D BINANI
Head (Servo Systems Division)

SHRI T S RAMA MURTHY
Officiating Head (Computer Education Division)

SHRI D A RAO
Officiating Head
(Electronics Manufacturing & Services Division)

SHRI V SATYANARAYANA
Officiating Head (Telecommunications Division)

SHRI SUDESH CHANDER
Officiating Head (Special Products Division)

SHRI M SIVA PRASAD
Officiating Head (Personnel Group)

SHRI R J RAM
Addl. General Manager
(Instruments & Systems Division and
Incharge, Corporate Planning & Project Monitoring)

SHRI V S MURTY
Dy. General Manager (Law) and
Incharge, Company Secretariat

AUDITORS
M/s SATYANARAYANA & CO.
Chartered Accountants

BANKERS
STATE BANK OF INDIA
STATE BANK OF HYDERABAD
BANK OF MAHARASHTRA
ANDHRA BANK
BANK OF BAHRAIN & KUWAIT BSC
ICICI BANK
PUNJAB NATIONAL BANK

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 3 11/30/2007, 11:34 AM

अध्यक्ष का वक्तव्य

सज्जनों,

कंपनी के लिये वर्ष 2006-07 एक महत्वपूर्ण रहा जिसके दौरान टर्नओवर एवं लाभदायिकता में नयी ऊँचाइयों को पार किया । परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त समर्थन की वजह से तथा विशेषकर वर्ष के दूसरे भाग में वृद्धि हेतु कंपनी द्वारा लिये गये कतिपय आंतरिक पहलुओं के परिणामस्वरूप यह संभव हुआ था ।

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष में 1005 करोड रुपये टर्नओवर जो पिछले वर्ष से 44% वृद्धि दर्ज किया । कर के पहले लाभ 270% तक बढ गया जो 192.5 करोड रुपये था ।

वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियों में कैगा 3 एवं 4 प्लान्टों के लिये सी एण्ड आई पैकेज, कैगा-3 क्रिटिकालिटी प्राप्त किया, पीएफबीआर के लिये सी एण्ड आई उपस्कर, बी1-बी2 परियोजना के लिये नियंत्रण उपकरणीकरण शामिल हैं । अन्य महत्वपूर्ण आपूर्तियों में रक्षा के लिये रेडियो संचार उत्पाद, रक्षा मंत्रालय के दिव्यदृष्टि परियोजना के लिये उपस्कर, ब्रह्मोस एयरोस्पेस को सी41 प्रणाली, अंतरिक्ष विभाग के चंद्रयान परियोजना के लिये 32 मीटर डीप स्पेस नेटवर्क एन्टेना प्रणाली तथा केन्द्रीय एवं राज्य निर्वाचन आयोगों को रिकार्ड अवधि में 1.5 लाख इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनें शामिल हैं ।

क्षेत्रवार विश्लेषण सूचित करता है कि ज्यादातर शुद्ध बिक्री में 36% रक्षा का है । परमाणु ऊर्जा विभाग एवं इसके इकाइयों को 19% तथा अंतरिक्ष विभाग को 5% आपूर्तियाँ थीं । शेष जो है जो निर्वाचन आयोग, सुरक्षा, दूरसंचार एवं अन्य उपयोगकर्त्ता विभागों के बीच में है ।

एयरोनॉटिकल विकास एजन्सी (एडीए) के लिये भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा ईसीआईएल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एलसीए-एमएमआर के लिये एन्टेना प्लाटफार्म जो है महत्वपूर्ण व्यापार आदेशों के रूप में परिवर्तित हुआ ।

ई-अभिशासन पहल के रूप में सार्वजनिक उपक्रमों के बीच सफलतापूर्वक कार्य करते हुए बीईएल एवं आईटीआई के साथ रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया के लिये बहु प्रयोजन पहचान पत्र जारी करने की परियोजना को कंपनी कार्य निष्पादित करती है ।

कंपनी के संतोषजनक कार्य निष्पादन की वजह से समझौता ज्ञापन रेटिंग पिछले वर्ष के दौरान ''अच्छा'' से चालू वर्ष के लिये ''उत्कृष्ट'' प्राप्त हुआ है ।

वर्ष 2007-08 और आगे के लिए दृष्टिकोण

665 करोड रुपये निष्पादन योग्य प्रारंभिक आदेश पुस्तिका तथा हमारे कोर सक्षमता के क्षेत्रों में अगुवाई के साथ वर्ष 2007-08 में कार्य निष्पादन प्राप्त करने का विश्वास है ।

पूरे 11 वीं योजना के लिए 2008-09 से शुरु होनेवाले वित्तीय वर्ष के दौरान समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों से दुगुना कार्यकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कंपनी अग्रसर है।

सरकार की रक्षा आफसेट नीति के कारण उभरनेवाले व्यापार अवसर कंपनी से संबंधित हैं तथा भागीदारी रणनीतियाँ मौजूद हैं । आगामी वर्षों में वृद्धि को बनाये रखने और छलांग लगाने के लिये व्यापार के साथ-साथ कार्य निष्पादन के सक्रिय पैरामीटरों पर केन्द्रीभूत करना अत्यावश्यक है । इसी उद्देश्य से मैंने कई पहल उठाया जैसे कि उत्तराधिकार योजना, ज्ञान प्रबन्धन, निगमीय इंजीनियरी, तकनोलजी विकास, व्यापार साझेदारी तथा उद्योग - शैक्षणिक सहयोग ।

परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं तकनोलजी, सुरक्षा जैसे सामरिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के वर्तमान योजना के अतिरिक्त कंपनी अपने व्यापार के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाने का लक्ष्य रख रहा है जैसे कि डिजिटल रेडियोलजी एवं टेली रेडियोलजी जो ग्रामीण भारत में कम व्ययात्मक स्वास्थ्य प्रणाली प्रदान करते हैं ।

निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र (31-03-2007 को) तथा लाभ एवं हानि लेखों को विचार, अनुमोदन एवं अंगीकार के लिए प्रस्तुत करने के पहले मै हर सदस्य, कर्मचारी एवं कंपनी के शुभ चिंतक को धन्यवाद देता हूँ जिन्हों ने इस कार्य निष्पादन के लिए योगदान दिया।

श्री के. एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 4 11/30/2007, 11:34 AM

CHAIRMAN'S STATEMENT

Gentlemen,

The year 2006-07 was a significant year for the Company during which it scaled new heights in terms of turnover and profitability. This was possible thanks to the strong support from the DAE and also as a result of certain internal initiatives taken by the company to accelerate the growth, particularly in the second half of the year.

The company recorded a turnover of Rs. 1005 crore in the year under review, a growth of 44% over the previous year. The Profit Before Tax rose by 270% to the best ever figure of Rs. 192.5 _rore.

The notable achievements in the year include C&I packages for Kaiga 3&4 plants, Kaiga-3 attained criticality, C&I equipment for PFBR, control instrumentation for B1-B2 project. Other significant supplies include radio communication products to Defence, equipment for Divya Drishti project of MoD, C^4I system to BrahMos Aerospace, 32-meter Deep Space Network Antenna system for Chandrayaan project of Dept. of Space and 1.5 lakhs of EVMs to Central and State Election Commissions in a record period.

Sector-wise analysis indicates that, Defence continued its dominance with 36% of Net Sales. Supplies to the DAE and its units were at 19% and Dept. of Space accounted for 5%. The balance was shared between Election Commission, Security, Telecom and various other user departments.

Antenna Platform for LCA-MMR jointly developed by BARC and ECIL for Aeronautical Development Agency (ADA), matured into significant business orders.

As part of e-governance initiative, the Company is executing a project for issue of Multi-purpose National Identity Cards for Registrar General of India along with BEL and ITI signifying successful co-working between PSUs.

The satisfactory performance of the Company also enhanced the MoU rating to 'Excellent' for the year from 'Good' during the two previous years.

Outlook for 2007-08 and beyond

With an opening executable order book of Rs.665 crore and strong leads in areas of our core competency, the Company is confident of registering higher levels of performance in 2007-08.

The Company is poised to grow with a quantum jump, with the working targets minimum double to those MoU targets during financial year beginning with 2008-09 for entire 11th plan.

The upcoming business opportunities because of Defence Offset Policy of the Government are very relevant to the Company and partnering strategies are in place. In order to sustain the growth and achieve quantum jump in the coming years, along with business it is vital to focus on the dynamic parameters of performance. Towards this, I have taken several initiatives in aspects like succession planning, knowledge management, corporate engineering, technology development, business associations and industry-academia cooperation.

In addition to the present plan of meeting the requirements of strategic sectors, viz. Atomic Energy, Defence, Space, Science & Technology, Security, the Company is also aiming to discharge its social responsibilities concurrent with business, by identifying new lines like Digital Radiology and Tele Radiology, which will provide cost effective health care connectivity to rural India.

Before I move the Directors' Report, Balance Sheet as on 31.03.2007 and Profit & Loss Account for consideration, approval and adoption, I take this opportunity to thank every Member, employee and well-wisher of the Company, who have contributed to this performance.

K S RAJASEKHARA RAO
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 5 11/30/2007, 11:34 AM

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रति

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारी

सज्जनों,

आपके निदेशकों को आपकी कंपनी की 40 वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं उसके साथ 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिये परीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है ।

परिचालन परिणामों पर एक झलक

(रुपये करोडों में)

विवरण	2006-07	2005-06
टर्नओवर	**1006**	700
रियलाइजेबल मूल्य पर उत्पादन	**912**	654
कर के पहले लाभ	**193**	52
कर के बाद लाभ	**128**	42
नेट वर्त	**464**	363
नियोजित पूँजी	**447**	349
वेल्यू एडेड	**437**	264

शेयर पूँजी व अप्रतिभूत ऋण

वर्ष के दौरान कंपनी की प्राधिकृत पूँजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यह 200.00 करोड रुपयों पर स्थिर रहा । 31-03-2007 तक मांगी तथा प्रदत्त पूँजी 154.88 करोड रुपये थी । वर्ष के दौरान कैपिटल परियोजना के कार्यान्वयन के लिये इक्विटी के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग से कंपनी ने 8.49 करोड रुपयों का बजटरी सहायता प्राप्त की है । इसे ''शेयर मनि पेंडिंग अलाटमेंट'' के रूप में दर्शाया गया । इन शेयरों को बाद में बोर्ड ने अपने 15-5-2007 को हुई 217 वीं बैठक में अनुमोदित कर आबंटन किया । वर्ष के दौरान सरकार से कोई ऋण नहीं लिया गया ।

लाभांश

आपके निदेशकगण 2006-07 के लिये प्रत्येक 1000 रुपये शेयर के लिए 200/- रुपये प्रति शेयर की दर से लाभांश सिफारिश किया है ।

प्रस्तुत किये गये नये उत्पाद

वर्ष 2006-2007 में नये उत्पाद प्रस्तुत किये गये

1. रोटेटिंग मशीन के लिये डिसप्लेसमेंट मानीटरिंग परियोजना
2. लिनियर वेरियेबल डिफ्रन्शियल ट्रान्सफारमर (एलवीडीटी)
3. पवर डिमान्ड सर्वो परियोजना
4. अलार्म सहित पाकेट डोसिमीटर
5. जी 703 एण्ड वी 35 इंटरफेसस सहित बल्क इनक्रिप्शन यूनिट

ऊर्जा बचत, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण और विदेश मुद्रा अर्जन और निर्गम

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा बचत, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण और विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम के विवरण इस प्रतिवेदन के अनुबंध-1 में दिये गये है ।

मानव संसाधन

कर्मचारीगणों की संख्या

वर्ष के दौरान, कुल 123 अभ्यर्थियों की भर्ती हुई (सामान्य-61, अ.ज.जा.27, अ.जा.-27, अ.ज.जा-08, 01 विकलांग शामिल है) वर्ष के दौरान, कुल 231 कर्मचारीगण निगम से अलग हुए जिसमें 112 कर्मचारीगण स्वैच्छिक सेवा निवृत्त योजना के अंतर्गत चले गये। अन्य सेसेशन्स को हिसाब में लेने से 31-03-2007 तक कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 4844 और वर्गवार ब्योरा इस प्रकार है : वर्ग 'ए'-1780, वर्ग 'बी'-1408, वर्ग 'सी'-1276, वर्ग 'डी'-409 तथा डी-1 (स्वीपर) 116 ।

कंपनी में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की तुलना में इनकी प्रतिशतता वर्गवार (कोष्टकों में) दी गई है :

वर्ग 'ए' 194 (10.89%), वर्ग 'बी' - 264 (18.74), वर्ग 'सी' 98 (7.68), वर्ग 'डी' 93 (22.73%) वर्ग 'डी-1' - 43 (37.06) सफाई कर्मचारियों को छोडकर अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या और उनकी प्रतिशतता वर्ग 'ए'-14 (0.78%), वर्ग 'बी'-83 (5.89%), वर्ग 'सी'-28 (2.19%), वर्ग-'डी' 14 (3.42%) वर्ग 'डी-1' (सफाई कर्मचारी) 2 (1.72%)

कर्मचारी सम्बन्ध :

औद्योगिक संबंधों की स्थिति

वर्ष 2006-07 के दौरान, कंपनी ने कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों को कर्मचारियों के यूनियन एवं अधिकारियों के संघ के सक्रिय सहयोग से मधुर संबंध बनाये रखा ।

पब्लिक सेक्टर ट्रेड यूनियन के समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, ईसीआईएल कर्मचारी संघ ने वेतन संशोधन तथा अन्य भत्ताओं के संबंध में 30-6-2006 को अपने मांगों को प्रबन्धन को प्रस्तुत किया जो 1-1-2007 से लागू होना है । 22-9-2006 को ईसीओए के साथ हुए समझौते तथा 21-9-2006 को ईसीईयू के साथ हुए समझौता ज्ञापन तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार कर्मगार तथा कार्यपालकों से संबंधित कार्य निष्पादन प्रोत्साहन योजनाओं को संशोधित किया गया और यह 1-4-2004 से लागू हुए । उपरोक्त योजनाओं के शर्तों के अनुसार, प्राप्त किये गये कार्य निष्पादन के आधार पर कर्मचारीगण को

DIRECTORS' REPORT

To

The Shareholders of

Electronics Corporation of India Limited

Gentlemen,

Directors of ECIL have pleasure in presenting herewith the 40th Annual Report of your Company, together with the audited statement of accounts for the year ended 31st March, 2007.

OPERATING RESULTS AT A GLANCE

(Rs. Crore)

Particulars	**2006-07**	2005-06
Turnover	**1006**	700
Production at realisable value	**912**	654
Profit Before Tax	**193**	52
Profit After Tax	**128**	42
Net worth	**464**	363
Capital employed	**447**	349
Value added	**437**	264

SHARE CAPITAL & UNSECURED LOANS

The authorised share capital of the Company remained unchanged at Rs.200 crore. The called up and paid up share capital as on 31.03.2007 stood at Rs.154.88 crore. During the year, a budgetary support of Rs.8.49 crore has been received from DAE in the form of equity for implementation of capital scheme. The same has been shown as "share money pending allotment". The shares have been subsequently allotted with the approval of the Board in its 217th meeting held on 15.05.2007. No loans were taken from Government during the year.

DIVIDEND

The Directors are pleased to recommend a dividend @ Rs.200 per share of Rs.1000 each for the year 2006-07.

NEW PRODUCTS INTRODUCED

New Products introduced in 2006-2007:

1. Displacement monitoring system for rotating machine
2. Linear Variable Differential Transformer (LVDT)
3. Power Demand Servo System
4. Pocket Dosimeter with Alarm
5. Bulk Encryption unit with G703 and V35 Interfaces

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Particulars of conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo as required under the Companies (Disclosure of particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988 are given in Annexure-I to this report.

HUMAN RESOURCES:

Staff strength

During the year a total of 123 persons were recruited (General-61, OBC-27, SC-27, ST-08 including PH – 01). 231 employees including 112 under VR Scheme were separated during the year. Reckoning other cessations the manpower as on 31.03.2007 stood at 4844 and group-wise details are: Group – A 1780, Group – B 1408, Group – C 1276, Group – D 409 and D1 (Sweeper) 116.

The number of SC employees and their percentages to the total number of employees in different groups are Group - A 194 (10.89%), Group - B 264 (18.74%), Group - C 98 (7.68%), Group - D 93 (22.73%), excluding Sweepers Group - D1 43 (37.06%). The ST employees and their percentages Group-wise are Group - A 14 (0.78%), Group - B 83 (5.89%), Group - C 28 (2.19%), Group - D 14 (3.42%) Group - D1 (Sweepers) 2 (1.72%).

EMPLOYEE RELATIONS:

Industrial Relations situation

The Company continued to have harmonious employee-employer relationship during 2006-07 with the active co-operation of the Employees' Union and the Officers' Association.

In pursuance of the decision taken by the Co-ordination Committee of Public Sector Trade Unions, the ECIL Employees' Union submitted a charter of demands on wage revision & other allowances which are due from 01.01.2007, on 30.06.2006 to the Management. The Performance Incentive Schemes applicable to workmen and executives were revised effective from 01.04.2004 in terms of approval accorded by Board and in terms of the Memorandum of Settlement entered into with ECEU on 21.09.2006 and an Understanding reached with ECOA on 22.09.2006. In terms of the said Schemes, apart from quarterly annual incentive payable based on performance achieved, the employees are also entitled

तिमाही तथा वार्षिक प्रोत्साहन दिया जाता है । इसके अतिरिक्त कर्मचारीगण प्राफिट शेयरिंग इनसेनटीव 4% के भी हकदार है जिसकी गणना करने के बाद लाभ पर आधारित है ।

सेंट्रल पब्लिक ट्रेड यूनियन (सीपीएसटीयू) के निर्णय के अनुसार, ईसीआईएल कर्मचारी संघ ने सार्वजनिक क्षेत्रों के संबंध में सरकारी नीतियों के विरुद्ध आनेवाले वेतन वृद्धि पर सरकारी दिशा निर्देशों की स्थिति तथा ईसीआईएल में लंबित पदोन्नति नीति के विरुद्ध 14-12-2006 को एक दिन का हडताल किया । तीसरी तिमाही के दौरान इस हडताल के कारण 4104 मैनडेस का नुकसान हुआ ।

कल्याण कार्यकलाप

प्रबन्धन द्वारा उदारता से कंपनी के सभी कर्मचारियों के हित के लिए कई सांविधिक उपाय जैसे स्वास्थ्य, संरक्षा तथा कल्याण सुविधाएँ और कई असांविधिक सुविधाएँ मुहैया कराये जा रहे हैं । ठेका श्रमिकों को भी कुछ सांविधिक प्रावधान मुहैया कराये जा रहे हैं । कर्मगारों के 39 बच्चों को मेधावी छात्रवृत्ति दी गई । कर्मगार शिक्षा योजना के अंतर्गत 45 कर्मगारों के लिये कार्यक्रम आयोजित किया गया । कर्मगार शिक्षा क्षेत्रीय केन्द्र, हैदराबाद द्वारा संचालित प्रशिक्षार्थियों के लिये प्रशिक्षण हेतु 9 कर्मगारों को भेजा गया जिसमें 5 महिला कर्मगार भी शामिल है । ग्रुप सेविंग्स लिंकड इन्सूरेंस कम रिटाइरमेंट बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत सेवा के दौरान मरने वाले 25 कर्मचारियों के परिवारों को बीमा राशि एक लाख रुपये तथा प्रबन्धन की ओर से रुपये 10,000 प्रत्येक कर्मचारी को मुहैया कराया गया । जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और त्यागपत्र सौंपे उन कर्मचारियों को भी किये गये सेवाकाल के आधार पर अधिकतम 40,000 रुपये के हिसाब से राशि मुहैया कराई गई ।

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जैसे जनता बीमा योजना तथा ग्रुप पर्सनल एक्सिडेंट बीमा आदि सरकारी काम पर बाहर जानेवाले कर्मचारियों के लिये मुहैया कराये गये । छोटे परिवार संबंधी नीति को प्रमोट करने हेतु 12 कर्मचारी जो ट्यूबेक्टोमी/वेसेक्टमी आपरेशन करवाये हैं उन्हें वेतन के रूप में एक वेतनवृद्धि दी गई जो पूरे सेवा के दौरान स्वकायम रहेगा । ईसीआईएल कल्याण निधि समिति जो प्रबन्धन एवं कर्मचारियों का एक संयुक्त फोरम है जो विभिन्न खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें अंतर परमाणु ऊर्जा विभाग प्रतियोगिताएँ भी शामिल है, आयोजित करती है और अपने सदस्यों को छोटे वसूली योग्य वित्तीय ऋण मुहैया कराती है । ईसीआईएल सहकारी ऋण समिति जिसके 3000 से अधिक सदस्यगण है और 12 करोड रुपयों का टर्नओवर है, यह समिति सदस्यों को नियमित व आपातकालीन ऋण मुहैया करती है । ईसीआईएल कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति जिसके 4500 से अधिक सदस्यगण है यह समिति सदस्यगणों को घर की वस्तुएँ खरीदने और गाडियाँ खरीदने एवं प्रोविजन्स बेचने संबंधी कार्य के लिए ऋण मुहैया कराती है । राष्ट्रीय महत्व के समारोहों में कर्मचारियों के बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिये उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है ।

प्रशिक्षण एवं विकास:

आंतरिक प्रशिक्षण

वर्ष 2006-07 के दौरान निगमीय अध्ययन केन्द्र ने कुल 63 (51 तकनीकी एवं 12 प्रबन्धक विकास) आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जिसमें प्रबंधन विकास, कर्मगारोन्मुख प्रशिक्षण तथा विभिन्न तकनीकी अध्ययन विषयों पर प्रसिद्ध संस्थाओं से चुने गये विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया।

कुल 2408 (1596 कार्यपालक गण एवं 812 कर्मगार) कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसकेलिए 10,532 प्रशिक्षण के श्रम दिन और 10,74,744 रुपये खर्च किये गए।

वर्ष के दौरान विशेष रूप से डिजाइन किये गए विकास कार्यक्रमों द्वारा तकनीकी ज्ञान, कुशलता की वृद्धि तथा मैनेजरियल कंपीटेन्सीस एवं ज्ञान प्रबंधन को बढावा देने पर जोर दिया गया। कर्मगारों तथा कनिष्ठ कार्यपालकों के स्तर पर व्यावहारिक विकास की वृद्धि पर भी जोर दिया गया।

बाह्य प्रशिक्षण जिसमें विदेशी प्रशिक्षण शामिल हैं

वर्ष 2006-07 के लिए तकनालोजी विकास एवं तकनीकी कुशलता अपग्रेडेशन साथ ही साथ प्रबंधन विकास थीम पर विभिन्न प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निगमीय अध्यन केन्द्र ने 183 कर्मचारियों को नामित किया। बाह्य प्रशिक्षण के लिए 9,67,698 रुपये खर्च किये गए।

विकलांग अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, शारीरिक रूप से अपंग दो ग्रैजुएट इंजीनीयर ट्रैनीस की नियुक्ति की गयी।

पुरस्कार

श्री मुहम्मद दस्तगीर, आर्टिसान ''सी'' जो गूँगा और बहरा है और आईएसडी में कार्यरत है उन्हें वर्ष 2004 के लिये प्रधान मंत्री पुरस्कार के अंतर्गत ''श्रम श्री पुरस्कार'' प्रदान किया गया है । यह पुरस्कार उत्पादन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिये दिया गया । कर्मचारी ने 27-4-2007 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के प्रधान मंत्री के करकमलों से यह पुरस्कार प्राप्त किया ।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

वर्ष के दौरान कंपनी ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये अपने प्रयास जारी रखा जो निम्न प्रकार है :

ईसीआईएल वेब साइट हिन्दी में लाँच किया गया था । ''सुरक्षा सप्ताह'', ''आतंकवाद विरोध दिवस'', ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' के उपलक्ष में कर्मचारियों द्वारा प्रतिज्ञा हिन्दी तथा अँगरेजी में ली गई । 21-04-2006 को दिल्ली में सम्पन्न संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने भाग लिया । इंडक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत स्नातक इंजीनियरों के प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ प्रबन्धक

for profit sharing incentive of 4% on Profit After Tax (PAT) equally.

In pursuance of the decision taken by CPSTUs, the ECIL Employees' Union went on strike on 14.12.2006 in protest against the policies of the Govt. on PSUs, conditions in Govt. guidelines on forthcoming wage revision and pending promotion policy in ECIL. On account of the said strike, 4104 man days were lost during the III quarter.

Welfare Activities

Health, Safety and Welfare measures as per the statute, as also a number of non-statutory measures for the well-being of all employees of the Company were provided generously by the Management. The statutory benefits were ensured to contract labour. 39 children of workmen were provided with merit scholarships. Programmes were conducted for 45 workmen under the scheme of Workers' Education. 9 workmen, including 5 women, were sponsored to Training of Trainers Course at the Workers' Education Regional Centre, Hyderabad. Families of 25 employees who expired were paid insurance amount of Rs.1 lakh each in addition to an amount of Rs.10,000 by Management under the Group Savings Linked Insurance Cum Retirement Benefit Scheme. Employees who have superannuated or resigned were also provided with amounts varying on the number of years of service up to a maximum of Rs. 40,000 each.

Various social security schemes were extended to the employees viz,. Janata Insurance Policy and Group Personal Accident Policy for the employees who proceed on official tours. As per the scheme of promoting small family norms, 12 employees underwent Tubectomy / Vasectomy operation were provided with one increment for entire service in the form of Personal Pay. ECIL Employees Welfare Fund Committee, which is a joint forum, organised various sports and cultural events including Inter-DAE tournaments, and also provided small amount loans to the members as financial assistance on recoverable basis. ECIL Employees Credit Co-op. Society with membership of over 3000 employees and a turn over of Rs.12 crore has been providing regular and emergency loans to its members. ECIL Employees Consumer Co-op. Society with over 4500 members arranged sale of provisions and also loans for purchase of house hold articles, vehicles etc. During the celebration of National Events, the children of employees were encouraged to display their talents through cultural programmes.

TRAINING & DEVELOPMENT:

In-house Training

During the year 2006 –07, Corporate Learning Centre had organised a total of 63 - 51 on Technical and 12 on Management Development - in-house programmes by eminent faculty drawn from reputed institutions.

2408 employees (1596 Executives and 812 Workmen) participated in the training programmes resulting in 10,532 man days of training at an expenditure of Rs.10,74,744.

During the year emphasis was given on Knowledge Management, Enhancing Managerial Competencies and improving Technical Knowledge and Skills through specifically designed programmes. Emphasis was laid on inculcating and sustaining Performing Culture through Programmes organized on Attitude Development for employees at Workmen level and Junior Executives.

External Training including Foreign Training

During the year 2006-07, 183 employees were sponsored for participation in the training programmes organized by various reputed training organisations on themes of Technology Development, enhancing Technical Skills and Management Development, at an expenditure of Rs. 9,67,698.

IMPLEMENTATION OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 1995

During the year, 2 Graduate Engineer Trainees with OH disability were recruited.

AWARDS

Shri Mohammed Dastagir, Artisan C working in ISD who is a dumb & deaf was conferred 'Shram Shree Award' under the Prime Minister's Awards Scheme for the year 2004 in recognition of his outstanding contribution towards production. The employee received the award on 27.04.2007 from the Prime Minister of India in a function held at New Delhi.

PROGRESSIVE USE OF HINDI

During the year under review, the Corporation has taken effective steps to propagate progressive use of Hindi, as follows:

ECIL website was hosted in Hindi. The Pledges on "Anti Terrorism Day", "Vigilance Day", "Safety Day" were administered to employees both in Hindi and English. C&MD participated in the Joint Hindi Advisory Committee meeting held at New Delhi on 21.04.2006. SM(OL) conducted a session for Graduate Engineer

(राजभाषा) ने एक सत्र में राजभाषा कार्यान्वयन पर व्याख्यान दिया । सूचना अधिकार अधिनियम पर बीडीएल में आयोजित संगोष्ठी में उप महा प्रबन्धक (जन सम्पर्क)ने हिन्दी में पेपर प्रस्तुत किया । 14 से 20 सितम्बर, 2006 तक ''राजभाषा सप्ताह'' आयोजित किया गया । दि 26-10-2006 को मुंबई, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में वर्ष 2005-06 के लिये राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिये ईसीआईएल को ''राजभाषा शील्ड'' प्रदान किया गया । श्री आर.आर. पण्डालै, निदेशक (कार्मिक) तथा अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने डॉ. अनिल काकोडकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग से राजभाषा शील्ड प्राप्त किया । संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति ने दि 2-1-2007 को हैदराबाद का दौरा किया । दि 5-2-2007 को संसदीय राजभाषा समिति की उप समिति ने आँचलिक कार्यालय (उत्तर) का दौरा किया ।

गुणवत्ता प्रबन्धन

तीन वर्षों की अवधि के लिये पर्यावरण प्रबन्धन प्रणाली हेतु आईएसओ 14001:2004 प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया था ।

वर्ष के दौरान आईएसओ 90001:2000 क्यूएमएस एक्टिविटी की गति को बनाए रखा गया । 7 प्रभाग पुन: प्रमाणीकरण को प्राप्त किया और 4 प्रभाग प्रमाणीकरण को बनाये रखा । सूपरवाइज़री कंट्रोल तथा डाटा अक्विजिशन डिविजन (स्काडा) के संबंध में आईएसओ प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सीएजी में इंटिग्रेट किया गया ।

ईसीआईएल ने नवंबर 2006 को गुणवत्ता माह के रूप में मनाया । एसक्यूएजी ने रक्षा, नाभिकीय तथा अंतरिक्ष क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों के 7 भाषण आयोजित किये । आंतरिक लेखा परीक्षकों के लिये रिफ्रेशर प्रशिक्षण तथा विक्रेताओं के लिये बैठकें आयोजित की गई ।

एसक्यूएजी का केलिब्रेशन एण्ड मेज़रमेंट प्रयोगशाला का अक्तूबर 2006 में एनएबीएल द्वारा सरविलियन्स ऑडिट किया गया । सितम्बर 2007 तक एक्रिडिटेशन को चालू रखने की सिफारिश की गयी।

एसक्यूएजी में एक नवीन रेपिड टेंपरेचर साइकल चैम्बर जोडकर अपनी पर्यावरण परीक्षण क्षमता बढ़ाई गई (सहित -72° सी +180° सी टेंपरेचर @15° सीप्रति मिनट तथा 25% से 95% आर्द्रता)

संयुक्त उद्यम कंपनी

वर्ष 2006-07 के दौरान संयुक्त उद्यम कंपनी ईसीआईएल रापिस्कान लि. ने 36.4 करोड रुपयों का टर्नओवर तथा कर के बाद 3.4 करोड रुपयों का लाभ अर्जित किया । रेपिस्कान प्रणाली द्वारा मुहैया कराये गये तकनालोजी के सहारे ईसीआईएल एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली का विनिर्माण करता है और मुख्य रूप से इस प्रणाली से संबंधित बिक्री तथा सेवा कार्य की देखभाल करता है ।

यह कार्य निष्पादन यह दर्शाता है कि टर्न ओवर में पिछले वर्ष से 18% की वृद्धि प्राप्त की और साथ ही साथ कर के बाद लाभ में 4% दर्ज किया । कंपनी ने इन उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद लाभ प्राप्त कर सकी । कंपनी इस वर्ष के दौरान कंपनी ने सेवाओं द्वारा जो आय प्राप्त किया वह टर्न ओवर का 30% है ।

ग्राहक संतुष्टीकरण प्राप्त करने तथा आदेश बुक की स्थिति को बढ़ाने हेतु विपणन तथा अनुरक्षण सेट अप को पुन: प्रबन्धन किया गया । जेएनपीटी एक्स-रे कार्गो प्रणाली भी एएमसी में आ जाने के साथ ही रखरखाव ठेकों से प्राप्त होनेवाली आय में वृद्धि की संभावना है । वर्ष 2007-08 के लिये कंपनी ने 40 करोड रुपयों का लक्ष्य निर्धारित किया है और अब मौजूदा उत्पादों तथा अन्य क्षेत्रों में पहल कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा विश्वास है ।

लघु उद्योग

वर्ष के दौरान, 271 लघु उद्योगों को 12.81 करोड रुपये मूल्य के आदेश दिये गए।

निगमीय अभिशासन

अनुबंध -2 में निगमीय अभिशासन पर रिपोर्ट दी गयी ।

लेखा परीक्षा

वर्ष 2006-07 के लिए मेसर्स सत्यनारायण एंड कंपनी, सनदी लेखापालों को संवैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। दिनांक 31-03-2007 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर संवैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर कंपनी द्वारा उत्तर इस रिपोर्ट के अनुबंध - 3 में दिये गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की समीक्षा कंपनी के उत्तर सहित अनुबंध- 4 में दी गई है।

सतर्कता

वर्ष 2006-07 के लिये वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की गई । चालू वर्ष के दौरान निगमीय सतर्कता विभाग ने परियोजनाओं का निरीक्षण कार्य भी आरंभ किया ।

दि. 20-10-2006 को कर्मचारियों के लिए सतर्कता जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

दि. 6-11-2006 से 11-11-2006 तक सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया गया । सार्वजनिक जीवन में नैतिकता तथा आचार पर हिन्दी, अँगरेजी एवं तेलुगु में कविता लेखन में प्रतियोगिता तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये रणनीति विषय पर वाक् प्रतियोगिता हिन्दी, अँगरेजी और तेलुगु में सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये । तिमाही सतर्कता समाचार द्वारा सतर्कता से संबंधित समाचार कर्मचारियों में वितरित किया गया ।

निदेशकगण

श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव दि. 29-9-2006 से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए । लेफ्टनेन्ट जनरल देवेन्द्र कुमार,

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 10 11/30/2007, 11:34 AM

Trainees on implementation of Official Language as part of Induction Programme. A paper was presented by Deputy General Manager (Public Relations) in Hindi at a Seminar organised by BDL on "Right to Information Act". "Rajbhasha Week" was celebrated from 14 to 20.09.2006. ECIL was awarded with "Rajbhasha Shield" for the year 2005-06 for excellent performance in implementation of OL at a conference held at BARC, Mumbai on 26.10.2006. Shri R R Pandalai, Director(P) and Chairman, OLIC received the shield from Dr. Anil Kakodkar, Chairman, Atomic Energy Commission and Secretary, DAE. Drafting/ Evidence Sub-committee of Committee of Parliament on Official Language visited Hyderabad on 02.01.2007. The first Sub-committee of Committee of Parliament on Official Language inspected Zonal Office (North) on 05.02.2007.

QUALITY MANAGEMENT

ISO 14001:2004 Certification was achieved for the Environmental Management System for a period of 3 years.

During the year, the pace of ISO 90001:2000 QMS activity was maintained. 7 divisions obtained re-certification and 4 divisions maintained certification. ISO Certification process regarding Supervisory Control & Data Acquisition Division(SCADA) was integrated into CAG.

ECIL observed November 2006 as Quality Month. Systems & Quality Assurance Group (SQAG) arranged 7 talks by eminent persons from Defence, Nuclear and Space fields. Vendor Meet, and Refresher Training for Internal Auditors were organised.

Calibration & Measurement Laboratory of SQAG underwent Surveillance Audit by NABL in October 2006. Up to September 2007 continuation of accreditation was recommended.

Environmental Testing Capability was enhanced by adding one new rapid temperature cycle chamber in SQAG (with -72° C + 180° C temperature @ 15° C per minute and humidity of 25% to 95%).

JOINT VENTURE COMPANY

During the year 2006-07, ECIL- Rapiscan Ltd., the JV Company achieved a turnover of Rs.36.4 crore and a Profit After Tax of Rs.3.4 crore. The sales and services relate mainly to X-ray Baggage Inspection Systems, manufactured by ECIL with technology provided by Rapiscan Systems.

This performance indicates a growth of 18% over the previous year in respect of turnover along with a 4% rise in PAT. The Company was able to marginally enhance the profitability despite stiff international competition for its products. The Service Income earned by the Company during the year was around 30% of the turnover.

In order to bring customer satisfaction into focus and also to enhance the order book, the marketing and maintenance set ups have been reorganised. The income from maintenance contracts is likely to go up with JNPT X-ray cargo system also coming into AMC. The Company has set a target of Rs.40 crore for the year 2007-08 and is confident of achieving the same by the existing products and also suitably diversifying into new areas.

SMALL SCALE UNITS

During the year, orders to the tune of Rs.12.81 crore were placed on 271 small scale units.

CORPORATE GOVERNANCE

A report is given as Annexure-II.

AUDIT

M/s. Satyanarayana & Co., Chartered Accountants were appointed as Statutory Auditors of the Company for the year 2006-07. The Company's replies to the Statutory Auditors' qualifications/reservations on the Accounts of the Company for the year ended 31.03.2007 are furnished in Annexure-III to this report.

Review by the C&AG along with Company's replies is given in Annexure-IV.

VIGILANCE

An annual action plan was prepared for the year 2006-07. The Corporate Vigilance department has also initiated Project Inspections during the current year.

A Vigilance Awareness training programme was conducted for the employees on 20.10.2006.

Vigilance Awareness Week was celebrated from 06 to 11.11.2006. Competitions in poetry writing on 'Morality in Public Life and Ethics' and Elocution on 'Strategies to combat corruption' were conducted in English, Hindi and Telugu. Prizes were distributed. Vigilance related news was circulated to employees through a quarterly vigilance newsletter.

DIRECTORS

Shri G P Srivastava ceased to be Chairman & Managing Director from 29.09.2006. Lt. Gen. Davinder Kumar, PVSM, VSM and Bar, ADC on retirement ceased to be Director from 30.09.2006.

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 11 11/30/2007, 11:34 AM

पीवीएसएम एवं बार, एडीसी सेवा निवृत्त होने पर 30-9-2006 से निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए । श्री ए. मुरुगेशन 11-10-2006 से निदेशक (वित्त) के पद से कार्यमुक्त हुए । श्री राहुल आस्थाना 26-3-2007 से निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए । श्री आर.आर. पंडालै सेवानिवृत्ति होने पर 31-3-2007 से निदेशक (कार्मिक) पद से कार्यमुक्त हुए ।

29-9-2006 से श्री के.एस. राजशेखर राव को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया । श्री के.एस. राजशेखर राव को 11-10-2006 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया । डॉ. बी.एन. सुरेश, डॉ. एम.जे. जराबी और ले. जनरल एस.पी. श्री कुमार, एवीएसएम को क्रमश: 11-7-2006, 19-10-2006 तथा 6-12-2006 से निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला ।

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 की उपधारा (2एए) के अंतर्गत अपेक्षानुसार आपके निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि :

ए) 31-03-2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यावहारिक अडचनों के कारण छोटे अंतरण को छोडकर उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3) (बी) के लेखों की टिप्पणियों में स्पष्ट की गयी हैं।

बी) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को चुना है तथा उनका प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं प्राक्कलन किए जो 31 मार्च, 2007 को कंपनी की स्थिति की दृष्टि से सही है और ठीक ही है तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ को दर्शाती है;

सी) निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने में तथा धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को पहचानने और रोकने में पर्याप्त रिकार्ड के रखरखाव के लिये उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है; और

डी) निदेशकों ने 31-03-2007 को समाप्त द्वितीय वर्ष के लिए गोइंग कन्सर्न पद्धति पर लेखे की तैयारी की।

आभार

मंडल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं उनके सहयोगियों तथा सभी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना अभिलिखित करता है जिनके कारण वर्ष का उत्कृष्ट निष्पादन निरंतर बना रहा और आशा करता है कि आगामी वर्षो में कंपनी उच्चतर कार्य निष्पादन प्राप्त करेगी।

आपके निदेशकगण परमाणु ऊर्जा विभाग एवं उसके संघटक यूनिट जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तथा नाभिकीय विद्युत निगम, सांविधिक लेखा परीक्षकों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक का कार्यालय, बैंकर, विदेशी सहयोगी , दूरसंचार विभाग, निर्वाचन आयोग, दूरदर्शन, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, कंपनी कार्य विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, रक्षा मंत्रालय एवं इसके यूनिट, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं विभागों, आंध्र प्रदेश सरकार, सभी ग्राहक और अन्यान्य एजन्सियां जो प्रत्यक्षत: एवं परोक्षत: आपकी कंपनी से संबद्ध हैं, के प्रति सहायता के लिए कृतज्ञता के साथ आभार व्यक्त करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हैदराबाद
26.09.2007

Shri A Murugesan ceased to be Director (Finance) from 11.10.2006. Shri Rahul Asthana ceased to be Director from 26.03.2007. Shri R R Pandalai ceased to be Director (Personnel) on retirement from 31.03.2007.

Shri K S Rajasekhara Rao was appointed as Chairman & Managing Director from 29.09.2006. Shri Rajasekhara Rao was also given the additional charge of Director (Finance) from 11.10.2006. Dr. B N Suresh, Dr. M J Zarabi and Lt. Gen. S P Sree Kumar, AVSM were appointed as Directors from 11.07.2006, 19.10.2006 and 06.12.2006 respectively.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

As required u/s 217(2AA) of the Companies Act, 1956 with respect to Directors' Responsibility Statement, the Directors confirm:

(a) that in preparation of accounts for the financial year ended 31st March, 2007, the applicable Accounting Standards have been followed excepting a few minor deviations due to practical constraints, which have been disclosed in the notes forming part of the Accounts as per Sec. 211(3)(B) of the Companies Act, 1956;

(b) that the Directors have selected the accounting policies, applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as on 31.03.2007 and of the profit of the Company for the year ended on that date;

(c) that the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities; and

(d) that the Directors have prepared the Accounts for the financial year ended 31st March, 2007 on a 'going concern' basis.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board wishes to place on record its appreciation of efforts of the Chairman & Managing Director and his colleagues on the Board and all the employees resulting in good performance achieved during the year and hopes that in the years to come the Company would scale greater heights.

The Directors acknowledge with thanks the support and encouragement received from the Department of Atomic Energy and its constituent units such as Nuclear Power Corporation of India Limited and Bhabha Atomic Research Centre, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Ministry of Defence and its constituent units, Election Commission, Department of Information Technology, Department of Telecommunications, Doordarshan, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Ministry of Company Affairs, Ministry of Home Affairs, Department of Public Enterprises and other ministries and departments of Government of India, the Government of Andhra Pradesh, Statutory Auditors, the Chairman and members of the Audit Committee and the office of the Principal Director of Commercial Audit, bankers, foreign collaborators, all the customers and agencies, who are directly or indirectly associated with your Company.

For and on behalf of the Board of Directors

K S RAJASEKHARA RAO
Chairman & Managing Director

Hyderabad
26.09.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 13 11/30/2007, 11:34 AM

शेयरधारियों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-1

कंपनी (निदेशकों की रिपोर्ट में ब्यौरे का उद्घाटन) नियम 1988 के अंतर्गत अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण एवं विदेशी विनिमय अर्जन तथा निर्गम का ब्यौरा ।

ए. ऊर्जा संरक्षण :

ए) निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण कदम उठाये गये :

ऊर्जा संरक्षण निरंतर चलनेवाली एक प्रक्रिया है और जो कदम उठाये गये वे निम्न प्रकार हैं :-

i) एचटी एण्ड एल टी वितरण प्रणाली में बिजली नष्टता को कम करने के लिये निम्न सब-स्टेशन उपकरणों में निरोधात्मक अनुरक्षण कार्य किये गये :-

- न्यू आइल सहित आइल और फिलटरेशन के बदलाव द्वारा डिस्ट्रिब्यूशन ट्रान्सफार्मर्स 11 केवी/415 वी, 500 केवीए के 7 नंबर तथा 11 केवी/415 वी, 1000 केवीए का 1 नंबर का ओवरहालिंग ।
- 11 केवी बीओसीबी (आइल परिवर्तन सहित) तथा एलटी ब्रेकर्स का निरोधात्मक अनुरक्षण ।
- 33 केवी/11 केवी पवर ट्रान्सफामर्स के 2 नंबर का आइल फिलट्रेशन ।
- सभी सब स्टेशनों में 11 केवी ओएलयू/एचएफयू यूनिटों का निरोधात्मक अनुरक्षण जिसमें पावर आइल को बदलना भी शामिल है ।
- गलती होने की स्थिति में ब्रेकर्स के ट्रिप्पिंग को सुनिश्चित करने के लिये रिलेस का निरोधात्मक अनुरक्षण एवं परिक्षण ।

ii) लाइटिंग, पम्प्स, कंप्रेसर्स तथा वातानुकूलित प्लान्ट पर सभी उत्पादन प्रभागों में ऊर्जा संरक्षण संबंधी पोस्टरें लगाये गये ।

iii) आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबन्धन प्रणाली का लेखा परीक्षण समीक्षा संबंधी कार्य को उत्पादन प्रभागों के कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने के लिये आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबन्धन प्रणाली का लेखा परीक्षा समीक्षा कार्यशाला का आयोजन ।

iv) अच्छी तरह से प्रणाली के कार्य निष्पादन के लिये जब जब सोलार वाटर हीटिंग प्रणाली का रखरखाव करना ।

बी) ऊर्जा खपत करने के लिये अतिरिक्त निवेश या प्रस्ताव, यदि कोई हो तो, कार्य रूप दिया जा रहा है :

i) प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी तरह मानीटर करने के लिये एनर्जी मीटरें लगाये जायेंगे ।

ii) शेष 5 नं 11 केवी/415 वी, 500 केवीए डिस्टीब्यूशन ट्रान्सफार्मरों का पूरी तरह मरम्मत करना ।

सी) ऊर्जा खपत को कम करने के लिये उपरोक्त (ए) एवं (बी) उपायों का प्रभाव और परिणामस्वरूप वस्तुओं के उत्पादन लागत पर भी प्रभाव :-

पिछले वर्ष की तुलना में वार्षिक ऊर्जा खपत 1,10,495 केडबल्यूएच यूनिट बढ गया है । यह उत्पादन लाइन बदलने तथा उत्पादन क्रियाकलाप में वृद्धि होने के कारण बढ़ा ।

डी) अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में कुल ऊर्जा खपत और प्रति यूनिट उत्पादन में ऊर्जा की खपत फार्म ''ए'' के अनुसार

लागू नहीं

बी) प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण

(फार्म बी के अनुसार प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण में किये गये प्रयास)

प्रपत्र - बी

अनुसंधान एवं विकास (अनु एवं वि)

1) अनुसंधान एवं विकास किये जा रहे विशेष क्षेत्र :

ए) यूएवी के लिये 1.2 सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग एँटीना प्रणाली

बी) 4 एम के यू बैंड मोबाईल एँटीना

सी) 2 एक्सिस ट्रैकिंग एँटीना

डी) लीनियर वेरियेबल डिक्रन्शियल ट्रान्सफार्मर (एलवीडीटी)

ई) अलार्म सहित पॉकेट डोसिमीटर

एफ) एनएसटीएल के टोरपिडो परियोजना के लिये मल्टी चैनल प्रिएम्प्लिफायर, कस्टम हाई वोल्टेज डायोड अर्रे एवं रसिस्टर नेटवर्क ।

जी) एयरबोर्न अप्लिकेशन के लिये स्पीच सीक्रेसी इक्विपमेंट

एच) एचएफ लिंक्स के लिये फोन पैच इक्विपमेंट

आई) डिस्ट्रिब्यूटेड टोकन बस बेसड पीएलसी प्रणाली की वृद्धि

जे) 64 यूनिक्स से स्काडा का मैग्रेशन -एचपीयूएक्स

के) प्रक्रिया नियंत्रण के लिये एमबेडिंग सॉफ्टवेयर तथा ऑब्जेक्ट लिंकिंग हेतु आधार तैयार करना ।

एल) भारतीय निर्वाचन आयोग के लिये नये मॉडल के इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनें ।

एम) भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के लिए आरएफआईडी आधारित डूर लॉक रीडर प्रणाली

ANNEXURE-I TO DIRECTORS' REPORT TO SHAREHOLDERS

Particulars of conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo as required under the Companies (Disclosure of particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988.

A. Conservation of Energy:

a) Energy conservation measures taken:

Energy conservation is a continuous and on-going activity and some of the steps taken in this direction are as follows:

i) Preventive maintenance of the following sub-station equipments were carried out to minimize the power losses in the HT & LT distribution system:

- Overhauling of 7 Nos. of 11 KV/ 415 V, 500 KVA and 1 No. of 11 KV/415 V, 1000 KVA distribution transformers, by changing the oil and filtration with new oil.
- Preventive maintenance of 11 KV BOCBs (changing the oil) and LT breakers.
- Oil filtration of 2 Nos. of 33 KV/11 KV power transformers.
- Preventive maintenance of 11 KV OLU/HFU units in all the sub-stations including change of power oil.
- Preventive maintenance and testing of relays to ensure the tripping of the breakers in case of faults.

ii) Display of Energy Conservation posters in all the production divisions on lighting, pumps, compressors and A/C plants.

iii) Bringing awareness among employees of production divisions by conducting audit reviews of ISO 14001 Environmental Management System.

iv) Solar water heating system maintenance is carried out periodically for better performance of the system.

b) Additional investments and proposals, if any, being implemented for reduction in consumption of energy:

i) Energy meters will be installed at the critical areas for better monitoring.

ii) Overhauling of balance 5 Nos. of 11 KV/415 V, 500 KVA distribution transformers.

c) Impact of the measurers at (a) & (b) above for reduction of energy consumption and consequent impact on the production cost of goods:

Annual energy consumption has gone up by 1,10,495 KWH units compared to the previous year, due to change in production line and increase in production activity.

d) Total energy consumption and energy consumption per unit of production as per Form A in respect of industries specified in the Schedule thereto:

Not applicable.

B. Technology absorption

Efforts made in technology absorption as per Form B)

Form – B

Research & Development (R&D)

1. Specific areas in which R&D is carried out:

a) 1.2 Single Axis Tracking Antenna System for UAV
b) 4M KU band mobile antenna
c) 2 axis tracking antenna
d) Linear Variable Differential Transformer
e) Pocket Dosimeter with Alarm
f) Multi channel Pre-amplifier, Custom High Voltage diode array and Resistor Network for Torpedo project of NSTL
g) Speech Secrecy Equipment for Airborne application
h) Phone Patch Equipment for HF links
i) Enhancement to distributed Token Bus based PLC system
j) Migrating of SCADA s/w from Tru 64 Unix to HP-UX
k) Making ground work for Object Linking and Embedding software for Process Control
l) New model of Electronic Voting Machine for Election Commission of India
m) RFID based door lock reader system for BARC

एन) हैन्डहेल्ड टू वे रोडियो, सीडीएमए तथा एफएएकस के लिए इनक्रिप्शन मॉड्यूल्स

ओ) आरएफआईडी आधारित रीडर तथा बायोमेट्रिक अथेनटिकेशन सहित समय और उपस्थिति रिकार्डिंग प्रणाली

पी) इंटिग्रेटेड मल्टीपरपस नेशनल आईडेन्टी कार्ड (एमएनआईसी)

क्यू) नेशनल डोस रजिस्ट्री

आर) मोबाइल मतदाता आईडी कार्ड प्रणाली

एस) डिजिटल रेडियो

टी) नाईजीरिया के लिये अंगुलिछाप आधारित पहचान प्रणाली

2) उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ:

ए) यूएवी अप्लिकेशन के लिये डाटा लिंक्स स्थापित करने हेतु सिंगल एक्सिस का विकास

बी) मोबाइल अप्लिकेशन के लिये 4 एम मोबाइल एंटीना का विकास के कारण हाई स्पीड डाटा डिसिमिनेशन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुआ ।

सी) जल सेना के लिये वी/यूएचएफ डिजिटल रेडियो 3060 प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगा और यह फ्यूचरिस्टिक रेडियो का जीवन 10 वर्षों से अधिक होगा ।

डी) स्पीच सीक्रसी इक्विपमेंट के लिये एयरबोर्न हौउजिंग एवं इंटरफेजस के विकास द्वारा विभिन्न जहाज एयर क्राफ्ट्स पर फिटमेंट के लिये डीएनएएस से 20 करोड रुपये मूल्य का आदेश प्राप्त होने की संभावना है ।

ई) 100 डब्ल्यू एचएफटी एक्स आर एक्स टी आर 2400 सहित विकसित किया गया फोन पैच इक्विपमेंट को भारतीय वायु सेना को अपूर्ति की गई । यह एक आयात एवजी उत्पाद है जिसकी वजह से 150,000 यूएस $ की बचत की गई ।

एफ) पीएलसी प्रणाली पर आधारित डिस्ट्रब्यूटेड टोकन बस की वृद्धि के कारण एनपीसीआईएल से 14.9 करोड रुपये मूल्य का आदेश प्राप्त करना संभव हुआ ।

जी) स्काडा/एसडब्ल्यू विकास पर आधारित मेसर्स आईओसीएल से एमजेपीएल स्काडा के लिये (3.5 करोड रुपयों का) आदेश ।

एच) ईवीएम का नया मॉडल विकसित करने के कारण भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए 1.13 लाख मशीन उत्पादन किये गये जिसका मूल्य 98 करोड रुपये था ।

आई) भापअके तथा ईसीआईएल द्वारा आरएफआईडी आधारित डोर लॉक रीडर प्रणाली विकसित की गई । ईसीआईएल ने 150 यूनिट्स उत्पादन कर भापअके को आपूर्ति किया जिसका मूल्य 24 लाख रुपये रहा ।

जे) सेना को 4 करोड रुपये मूल्य के हैन्डहेल्ड इंनक्रिप्टेड रेडियोस की आपूर्ति ।

के) आईजीसीएआर को 90 लाख रुपये मूल्य के समय और उपस्थिति रिकार्डिंग प्रणाली की आपूर्ति की गई ।

एल) एनटीआरओ के लिये 45 नग के बीबीयू का आदेश की प्राप्ति ।

(एम) आईएसटीआरएसी को चंद्रायान के लिये 32 मीटर एँटीना की आपूर्ति ।

3) भावी कार्य योजना :

ए) यूएवी के लिये ड्यूएल एक्सिस ट्रैकिंग एँटीना प्रणाली

बी) एयर बोर्न तथा शिप बोर्न स्टाबलाइजेशन प्लाटफार्म्स

सी) 700 मेगा वाट नाभिकीय बिजली प्लान्ट के लिए डीडीसी का विकास

डी) कंट्रोलर्स के लिये वी एण्ड वी फर्मफेर सुविधा के लिये एस/डब्ल्यू इंजिनीयरिंग टूल्स

ई) आईईसी-61131 कम्प्लेइन्ट पीएलसी

एफ) ईसी स्काडा के लिए ओपीसी कम्प्लाइन्स

जी) आईईसी सहित रेडियेशन मानीटर्स एंड एमआईएल स्टानडर्ड 461 कंप्लाइन्स

एच) आईपी इनक्रिप्शन प्रणाली

आई) डिजिटाल एक्स-रे प्रणाली

जे) फाइबर आप्टिक गैरो

4) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :

(करोड रुपये)

i)	पूँजी	...	1.53
ii)	आवर्ती	...	37.29
iii)	कुल	...	38.82
iv)	टर्नओवर में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय की प्रतिशतता	...	3.86%

प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण अंगीकरण एवं नवोन्मेश

1. प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण, अंगीकरण एवं नवोन्मेश के प्रति किये गये प्रयास संक्षेप में :

ए) 32 एम डीएसएन एंटीना सफलतापूर्वक देशीकृत किया गया और प्रूफ असेम्बल कर साइट पर भेज दिया गया ।

n) Encryption modules for handheld two way radios, CDMA and FAX

o) Time and attendance recording system with RFID based reader and biometric authentication

p) Integrated Multipurpose National Identity Card (MNIC)

q) National Dose Registry

r) Mobile Voter ID card system

s) Digital Radio

t) Finger print based identification system for Nigeria

2. Benefits derived as a result of the above R&D:

a) The development of Single axis antenna is a fore runner for establishing data links for the UAV application

b) The Development of 4M mobile antenna has lead to self sufficiency in high speed data dissemination terminals for mobile application

c) V/UHF Digital Radio will replace 3060 system for Navy and this futuristic radio will be having more than 10 years life

d) By developing Airborne housing and interfaces for Speech Secrecy Equipment, supply order worth Rs. 20 Crores from DNAS is expected for fitment on different varieties of Naval Aircrafts

e) Development of Phone Patch Equipment being supplied to Indian Air Force along with 100 W HFTxRX TR2400 is import substitute product that saved US$150,000

f) The enhancement to Distributed Token Bus based PLC system has helped in securing orders worth Rs. 14.9 Crores from NPCIL

g) An order for MJPL SCADA of IOCL (Rs. 3.5 Crore) based on SCADA s/w development

h) The development of New Model of EVM has resulted in production of 1.13 lakh machines for Election Commission of India valued at Rs. 98 Crores

i) The RFID based door lock reader system is designed by BARC and ECIL. ECIL has produced and supplied 150 Units to BARC worth Rs 24 Lakhs

j) Handheld Encrypted radios worth Rs.4 Crore were supplied to Army

k) Time and Attendance Recording system for IGCAR worth Rs. 90 Lakhs was supplied

l) Order received from NTRO for 45 Nos. of BBU

m) 32 M Antenna for Chandrayan supplied to ISTRAC

3. Future plan of action:

a) Dual Axis Tracking Antenna System for UAV

b) Air Borne and Ship Borne Stabilization Platforms

c) Development of DDCs for 700MW nuclear power plant

d) S/W Engineering tools to facilitate V&V Firmware for Controllers

e) IEC-61131 Compliant PLC

f) OPC compliance for EC SCADA

g) Radiation monitors with IEC & MIL standard 461 compliance

h) IP Encryption system

i) Digital X-ray system

j) Fiber Optic Gyro

4. Expenditure on R&D:

			(Rs. Crore)
i)	Capital	...	1.53
ii)	Recurring	...	37.29
iii)	Total	...	38.82
iv)	Total R&D expenditure as percentage of total turnover	...	3.86%

Technology absorption, adaptation and innovation

1. Efforts in brief made towards technology absorption, adaptation and Innovation:

a) 32M DSN Antenna has been successfully indigenized and proof assembled and dispatched to site.

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 17 11/30/2007, 11:34 AM

बी) स्टेटिक और मोबाइल रोप्स के लिये रियल टाइम डाटा ट्रान्सफर के लिये बहुत गति से डाटा डेसिमिनेशन नेटवर्क कार्य सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया ।

सी) लो अर्त आरबिट सेटिलाइट्स ट्रैकिंग करने के लिये एक्स-बैन्ड फीड प्रणाली विकसित की गई और अंतरिक्ष विभाग को

सौंपी गई ।

डी) ईसीआईएल द्वारा सी-4 आई डेवलपमेंट प्रणाली सहित ब्रह्मोस मिसाइल के लिये सफलतापूर्वक प्लाइट ट्रायल्स पूरे किये गये ।

51.17 करोड रुपये मूल्य का आदेश, जिसमें एक सब ग्रूप जिसमें 2 एमसीपी तथा 5 एमएएल समाहित है की आपूर्ति के लिये प्राप्त हुआ ।

ई) हैदराबाद तथा मैंगलूर हवाई अड्डों पर फ्लाइट डाटा प्रोसेसर प्रणाली (एफडीपीएस) सफलतापूर्वक स्थापना की गई ।

एफ) वी/यूएचएफ डिजिटल रेडियो के डिजाइन में डिजिटल सिगनल प्रोसेसिंग तकनीक तथा एफपीजीए डिवाइजस का विस्तारपूर्वक इस्तेमाल किया गया । इस स्टेट आफ डिजाइन की सहायता से मेजर हार्डवेयर चेंजस के बगैर रेडियो में विभिन्न वेव फार्म्स लोड किया जा सका । मल्टी रोल एवं मल्टी मोड आपरेशन्स के लिये इसके फीचर के द्वारा रेडियो को अपग्रेड तथा रि-कानकिग्रेबल किया जा सकता है ।

जी) ''एन्टरप्रइज इन्फारमेशन सेक्यूरिटी'', फायरवाल टेकनोलोजी, इन्ट्रूजन डिटेक्शन इन्ट्रूजन के प्रिवेन्शन, कंटेन्ट फिल्टरिंग, हाटवे/डेस्क्टाप एन्टिवायरस सोल्यूशन्स, गोपनीयता के लिय पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीकेआई) आदि में तकनालोजी आत्मसातीकरण किया गया ।

2) उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप लाभों की प्राप्ति उदाहरणत: उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापना आदि ।

(ए) ईसीआईएल विभिन्न ऊर्जा प्रबन्धन प्रणालियों के विकास में पूरी तरह निमग्न है जैसे सिंगल फेस ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक ऊर्जा मीटर, टाइवेक्टर मीटर, आटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर (एपीएफसी) तथा आटोमेटिक मीटर रीडिंग (एएमआर) मीटर्स ।

(बी) ईसीआईएल ने एनर्जी मीटर में 4.5 करोड रुपयों का व्यापार किया और मेघालय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आपूर्ति की और मेसर्स डब्ल्यूआईएनएएमआर, हैदराबाद द्वारा एएमआर मीटर के निर्यात के लिये लगभग 28 लाख रुपयों का व्यापार किया ।

(सी) संचार क्षेत्र में अ एवं वि, ईसीआईएल को एचएफ/वी/यूएचएफ फ्रीक्वेन्सी में नये रेडियो फैमिली को शामिल करने में सहायक सिद्ध होगा । इस क्षेत्र में ईसीआईएल 2007-08 से 5 वर्षों की अवधि तक 100 करोड रुपये मूल्स से अधिक उत्पादन कर सकेगा ।

(डी) ''एन्टरप्रैजस इनफारमेशन सेक्यूरिटी'' परियोजना की वजह से ईसीआईएल में मिड एजड इंटरप्राइजस के लिए सुरक्षा समाधान तैयार करने की क्षमता में वृद्धि हुई है ।

3) आयातित तकनालोजी के मामले में (वित्त वर्ष से प्रारंभ करते हुए विगत 5 वर्षों के दौरान आयातित) - शून्य -

सी. विदेशी विनिमय का अर्जन एवं आऊटगो:

निर्यातों से संबंधित क्रियाकलाप, निर्यातों को बढाने के लिये किये गये प्रयास, उत्पादों और सेवाओं के लिये नये निर्यात मार्केटों का विकास तथा निर्यात योजनाएँ :

वर्ष 2006-07 के दौरान, कंपनी ने 6.29 करोड रुपये मूल्य के उत्पादों (तीसरी पार्टी सहित) को निर्यात किया, जिसमें साऊथ आफ्रिका को आर्म डिवाइजस, अमेरिका को एससीआर स्विचस, रक्षा को सिनक्रोस, भूटान एवं नैजीरिया को इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन शामिल है ।

हमें आफ्रिका तथा एशिया में विकासशील देशों को हमारे उत्पाद जैसे ईवीएम, फार्मर इनफारमेशन प्रणाली, उपकरणीकरण तथा अन्य साफ्टवेयरों को प्रमोट करने का प्रस्ताव है ।

कुल विदेशी विनिमय का उपयोग एवं अर्जन

(करोड रुपये)

	2006-07	2005-06
विदेशी विनिमय का उपयोग	**199.69**	173.40
विदेशी विनिमय का अर्जन	**5.91**	0.42

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

के.एस. राजशेखर राव,
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हैदराबाद
26.09.2007

b) Very high Speed Data Dissemination Network for almost near Real Time Data Transfer has been successfully implemented for both static and mobile ropes.

c) X Band Feed system for tracking low earth orbit satellites has been successfully developed and delivered to Department Of Space.

d) After successful completion of flight trials for BrahMos Missile with C^4I development systems supplied by ECIL an order for supply of one Sub Group consisting of 2 Nos. MCPs and 5 Nos. MALs valued at Rs.51.17 Crore has been received.

e) The Flight Data Processor Systems (FDPS) were installed successfully at Hyderabad and Mangalore Airports.

f) Digital Signal Processing techniques and FPGA devices are extensively used in the design of V/UHF Digital Radio. With this State-Of-Art design, various wave forms can be loaded into the radio without major hardware changes. This feature makes the radio easily upgraded and re-configurable for multi-role and multi-mode operations.

g) Technology absorbed and innovated in "Enterprise Information Security"involving Firewall Technologies, Intrusion Detection/ Intrusion Prevention, Content Filtering, Hatway / Desktop Antivirus Solutions, Public Key Infrastructure (PKI) for confidentiality etc.

2. Benefits derived as a result of the above efforts, e.g. product improvement, Cost reduction, import substitution etc.

a) ECIL is actively involved in the development of various energy management systems like Single Phase Electronic Energy Meter, Three Phase Electronic Energy Meter, Trivector Meter, Automatic Power Factor Controller (APFC) and Automatic Meter Reading (AMR) Meters.

b) ECIL has done business of Rs.4.5 Crore in Energy Meters supplied to Meghalaya State Electricity Board and about Rs.28 Lakhs of AMR Meter for export purpose through M/s WINAMR, Hyderabad.

c) R&D on the communication front will help ECIL in the induction of new radio family in HF/V/UHF frequency ranges with over Rs. 100 Crore production value over a period of 5 years from 2007-08 onwards.

d) "Enterprise Information Security" project has resulted in improvement in ECIL's ability to architect security solutions for mid-aged enterprises.

3. In case of imported technology (imported during the last 5 years reckoned from beginning of the financial year) NIL

C. Foreign exchange earnings and outgo:

Activities relating to exports; initiatives taken to increase exports; development of new export markets for products and services and export plans:

During the year 2006-07, the Company exported (including third party) Rs.6.29 crore worth of its products, which include Safe Arm Devices to South Africa, SCR Switches to USA, Synchros to Russia, Electronic Voting Machines to Bhutan & Nizeria.

We proposed to promote our products like EVMs, Farmer Information Systems, Instrumentations and other software to developing countries in Africa and Asia.

Total foreign exchange used and earned

(Rs. crore)

	2006-07	2005-06
Foreign exchange used	**199.69**	173.40
Foreign exchange earned	**5.91**	0.42

For and on behalf of the Board of Directors

K S Rajasekhara Rao
Chairman & Managing Director

Hyderabad
26.09.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 19 11/30/2007, 11:34 AM

शेयरधारियों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध - 2

निगमीय अभिशासन

कंपनी ने अपने सभी परिचालनों में खुलापन एवं पारदर्शिता को बढाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

निदेशक मंडल

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत ई सी आई एल एक सरकारी कंपनी है। वर्तमान में कंपनी की पूरी प्रदत्त पूंजी भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है जिसमें उनके नामिनीज द्वारा रखे गये 3 शेयर शामिल हैं।

निदेशक मंडल में इस समय कुल 10 निदेशकगण हैं : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 पूर्ण कालिक निदेशकगण और 6 गैर - कार्यपालक निदेशकगण।

मंडल की नियमित बैठकें होती हैं और कंपनी की सही दिशा एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

31 मार्च, 2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान मंडल की 4 बैठकें हुईं जो दिनांक 9-6-2006, 27-7-2006, 8-11-2006 एवं 6-2-2007 को संपन्न हुईं। निदेशकगणें का गठन, वित्तीय वर्ष के दौरान संपन्नमंडल बैठकें तथा अंतिम वार्षिक सामान्य बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्न प्रकार हैं :

31-3-2007 तक नाम व स्थिति	मंडल की बैठकें		27-7-2006 को सम्पन्न गत वार्षिक सामान्य	अन्य निदेशिकताओं की संख्या बैठक में उपस्थिति
	कार्यकाल के दौरान संपन्न	उपस्थिति		
पूर्णकालिक निदेशकगण				
श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (29-9-2006 तक)	4	2	हाँ	1
श्री के.एस. राजशेखर राव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (29-9-2006 से)	4	2	--	1
श्री ए मुरुगेशन निदेशक (वित्त) (11-10-2006 तक)	4	2	हाँ	शून्य
श्री आर आर पंडालै निदेशक (कार्मिक)	4	4	हाँ	शून्य
श्री जी एन वी सत्यनारायण निदेशक (तकनीकी)	4	4	हाँ	शून्य
गैर-कार्यपालक निदेशकगण				
श्री व्ही पी राजा	4	3	हाँ	2
श्री राहुल अस्थाना (26-3-2007 तक)	4	3	हाँ	4
ले.ज. दवींदर कुमार पी वी एस एम, वी एस एम एण्ड बार, ए डी सी (30-9-2006 तक)	4	2	--	2
श्री उमेश चंद्र	4	4	हाँ	शून्य
डाँ. बी.एन. सुरेश (11-7-2006 से नियुक्त)	3	1	--	1
डाँ. एम. जे. जराबी (19-10-2006 से नियुक्त)	2	2	--	शून्य
ले.ज. एस.पी. श्री कुमार, पीवीएसएम (6-12-2006 से नियुक्त)	1	1	--	1

ANNEXURE-II TO DIRECTORS' REPORT TO SHAREHOLDERS

Corporate Governance

The Company continued to take several measures to enhance the openness and transparency of all its operations.

Board of Directors

In terms of Section 617 of the Companies Act, 1956, ECIL is a Government Company. Presently, the entire paid up capital of the Company is held by the President of India, including 3 shares held by his nominees.

The Board, as on date, comprises of ten Directors - Chairman & Managing Director, three Whole-time Directors and six Non-Executive Directors. The Board meets at regular intervals and is responsible for the proper direction and management of the Company.

During the financial year ended 31st March 2007, four Board Meetings were held on 09.06.2006, 27.07.2006, 08.11.2006, and 06.02.2007. The composition of the Directors, their attendance at the Board Meetings during the financial year and at the last Annual General Meeting, etc. is as follows:

Name & Position as on 31.03.2007	Board Meetings		Attendance at the last AGM held on 27.07.2006	No. of other Directorships
	Held during the tenure	Attended		
Whole-Time Directors				
Shri G P Srivastava Chairman & Managing Director (up to 29.09.2006)	4	2	Yes	1
Shri K S Rajasekhara Rao, Chairman & Managing Director (from 29.09.2006)	4	2	-	1
Shri A Murugesan Director (Finance) (up to 11.10.2006)	4	2	Yes	Nil
Shri R R Pandalai Director (Personnel)	4	4	Yes	Nil
Shri G N V Satyanarayana Director(Technical)	4	4	Yes	Nil
Non-Executive Directors				
Shri V P Raja	4	3	Yes	2
Shri Rahul Asthana (up to 26.03.2007)	4	3	Yes	4
Lt Gen Davinder Kumar, PVSM,VSM and Bar, ADC (up to 30.09.2006)	4	2	-	2
Shri Umesh Chandra	4	4	Yes	Nil
Dr. B N Suresh (appointed w.e.f. 11.07.2006)	3	1	-	1
Dr. M J Zarabi (appointed w.e.f.19.10.2006)	2	2	-	Nil
Lt.Gen. S P Sree Kumar, PVSM (appointed w.e.f 06.12.2006)	1	1	-	1

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 21 11/30/2007, 11:34 AM

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसार ईसीआईएल कंपनी एक सरकारी कंपनी है इसीलिए पूर्णकालिक निदेशकगणों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इस समय सभी अंशकालिक निदेशकगण सरकारी अधिकारी हैं या अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत हैं और इसीलिए वे बैठकों में उपस्थित होने पर पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं। यद्यपि, डॉ. जराबी जो एक स्वतन्त्र निदेशक है, उन्हें प्रत्येक बैठक की उपस्थिति के लिये 2,500 रुपये भुगतान किये जाते हैं ।

लेखा परीक्षा समिति

मार्च, 2001 में मंडल द्वारा 3 सदस्यीय लेखा परीक्षा समिति गठित की गयी जिसमें 2 गैर- कार्यपालक निदेशकगण और 1 पूर्णकालिक निदेशक हैं। समिति के अधिकार एवं कार्य के संबंध में मंडल ने सुझाव दिया कि सेबी द्वारा निर्धारित लिस्टिंग करार के 49 खंड के प्रावधानों को माने जो लिस्टेड कंपनीज को लागू होते हैं।

वर्तमान लेखा परीक्षा समिति में 2 गैर-कार्यपालक निदेशकगण हैं वे श्री राहुल आस्थाना (26-03-2007 तक) और श्री उमेश चंद्र और पूर्णकालिक निदेशक (तकनीकी) श्री जी एन वी सत्यनारायण। श्री राहुल आस्थाना इस समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान कुल 4 बैठकें हुई 09-02-2006, 27-07-2006, 08-11-2006 एवं 01-03-2007। समिति ने वार्षिक वित्तीय तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की समीक्षा की। समिति ने आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टें तथा अचल संपत्ति के सत्यापन की भी समीक्षा की। वार्षिक वित्तीय विवरण का समिति ने अवलोकन किया और वित्तीय रिकार्ड और साथ ही साथ लागत लेखा रिकार्ड नियम के अंतर्गत आनेवाले डाटा के अनुरक्षण में प्रणाली की वृद्धि करने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों से परामर्श किया।

पूंजी परियोजनाओं पर मंडल उप समिति

29-09-2003 को मंडल ने एक पूंजी परियोजनाओं पर मंडल उप समिति गठित की और इस उप समिति में श्री व्ही पी राजा, गैर कार्यपालक निदेशक, श्री ए मुरुगेशन, निदेशक (वित्त) तथा श्री जी एन वी सत्यनारायण, निदेशक (तकनीकी) सदस्य हैं और इस समिति का मुख्य कार्य यह है कि पूंजी प्रस्ताओं की संवीक्षा तथा मंडल को शिफारिश कर अनुमोदन प्राप्त करना।

निवेश समिति

मंडल ने 17-12-2003 को एक निवेश समिति का गठन किया और इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), महा प्रबंधक (लेखा) एवं निगमीय योजना एवं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्रभाग से एक - एक प्रतिनिधि सदस्य हैं। यह समिति डी पी ई के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिशेष निधि को राष्ट्रीय बैंक एवं अनुसूचित बैंकों में अधिकतम तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक रेट के आधार पर निवेश करने संबंधी प्रस्ताओं पर विचार करेगी।

निगमीय प्रबंधन समिति

निगमीय स्तर पर निगमीय प्रबंधन समिति एक महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करनेवाली समिति है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य कार्यात्मक निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं प्रभागों के प्रमुख इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की नियमित रूप से बैठकें होती हैं और यह समिति कंपनी से संबंधित मुख्य नीतियों पर विचार विमर्श करती है जिसमें कंपनी का कार्यनिष्पादन भी शामिल है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष व महा सचिव एवं अधिकारी संघ के अध्यक्ष व सचिव को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है।

प्रभागीय उत्पादन समितियां

प्रबंधन में कर्मगारों की प्रतिभागिता की योजना के अंतर्गत प्रभागीय उत्पादन समितियां गठित की गईं। संबंधित प्रभाग के प्रमुख इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्यगणों को उत्पादन शालाएं, गुणवत्ता नियंत्रण, सामग्री योजना, कार्मिक एवं वित्तीय अनुभागों से किया जाता है। समय-समय पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं जिस में उत्पादन लक्ष्य में, बिक्री एवं विविध देनदार, आदेश पुस्तिका की स्थिति से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाती है।

शीर्षस्थ समिति

प्रबंधन में कर्मगारों की प्रतिभागिता की परियोजना के अंतर्गत शीर्षस्थ समिति गठित की गयी है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस शीर्षस्थ समिति के अध्यक्ष हैं और बोर्ड के कार्यात्मक निदेशक, कार्यपालक निदेशक, महा प्रबंधक (मानव संसाधन), कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं महा सचिव और अधिकारी संघ के अध्यक्ष व सचिव आदि इस समिति के सदस्य हैं। समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं और इन बैठकों में उत्पादन एवं निष्पादन में वृद्धि तथा अन्य मुख्य नीति परक विषयों पर चर्चा की जाती है। कंपनी में शांति पूर्ण औद्योगिक संबंध कायम करने और बडी समस्याओं का समाधान ढूंढने में इस समिति की बैठकें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

साधारण सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली 3 वार्षिक साधारण बैठकों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2003-04	07.07.04	1400 बजे	पंजीकृत कार्यालय : ईसीआईएल डाक घर, हैदराबाद - 500 062
2004-05	11.07.05	1400 बज	- वही -
2005-06	27.07.06	1400 बजे	- वही -

कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में कंपनी ने मेसर्स के.के. राव एन्ड असोसियेट्स कंपनी सचिवगण से एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है जो वार्षिक लेखा का अंग बनता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हैदराबाद
26.09.2007

The remuneration of whole-time Directors is fixed by the Government of India as the Company is a Government Company in terms of Section 617 of the Companies Act, 1956. At present, all the part-time Directors except Dr. M J Zarabi, are Government officials or officials from other PSUs and therefore, are not eligible for sitting fee for the meetings attended by them. However, Dr. Zarabi, who is an Independent Director, is being paid Rs.2,500 as sitting fee per attendance.

Audit Committee

A three-member Audit Committee was constituted by the Board in March, 2001 comprising of two Non-Executive Directors and a whole-time Director. With regard to terms of reference, powers and functions of the Committee, the Board suggested that the provisions in Clause 49 of listing agreement prescribed by SEBI as applicable to listed Companies are to be followed as a guideline.

The Audit Committee presently comprises of two Non–Executive Directors, Shri Rahul Asthana (up to 26.03.2007), and Shri Umesh Chandra and one Whole-time Director (Technical) of the Company, Shri G N V Satyanarayana. Shri Rahul Asthana is the Chairman of the Committee. During the year, four meetings of the Committee were held on 09.02.2006, 27.07.2006, 08.11.2006 and 01.03.2007. The Audit Committee reviewed the implementation of Accounting Standards and Audit Programmes. The Committee reviewed the Internal Audit Reports and also the report on the Fixed Assets Physical Verification. The Committee perused the Annual Financial Statements and interacted with the Statutory Auditors for improvement in the system for maintaining financial records as well as the data under Cost Accounts Record Rules.

Board's Sub-Committee on Capital Projects

The Board reconstituted the Sub-Committee on Capital Projects on 29.09.2003 consisting of Shri V P Raja, Non-Executive Director, Shri A Murugesan, Director (Finance) and Shri G N V Satyanarayana, Director (Technical) to scrutinise the capital proposals and recommend to the Board for its approval.

Investments Committee

The Board constituted an Investment Committee on 17.12.2003 consisting of Chairman & Managing Director, Director (Finance), General Manager (Accounts) and a representative from Corporate Planning & Project Monitoring Division. This Committee will consider the proposals for investment of surplus funds in nationalised banks or sound rated scheduled banks at the highest and competitive rates as per DPE guidelines.

Corporate Management Committee

The Corporate Management Committee is a high level policy making body at the Corporate level which is headed by the Chairman & Managing Director. The Committee consists of all Functional Directors, Executive Directors, General Managers and Heads of Divisions. The committee meets regularly and deliberates on the major policy issues including performance of the Company. The President and General Secretary of ECEU and President and Secretary of ECOA are the special invitees.

Divisional Production Committees

The Divisional Production Committees are constituted under the Scheme of Workers' Participation in Management. The Head of Division concerned is the Chairman for the Committee and the members are drawn from Production shops, Quality Control, Materials Planning, Personnel and Finance Groups. The meetings are convened periodically for discussion on the issues pertaining to working plans to realize the production targets, sales targets and sundry debts, order booking status etc.

Apex Committee

The Apex Committee is constituted under the Scheme of Workers' Participation in Management. The Committee is headed by the Chairman & Managing Director and other members include Functional Directors on the Board, Executive Directors, General Manager (HR), President and General Secretary of ECEU, and President and Secretary of ECOA. The Committee meets periodically and deliberates on the issues concerning improvement of production and performance and other major policy issues for smooth functioning and maintaining harmonious industrial relations in the Corporation and make suitable recommendations.

General Body Meetings

The details of the last three Annual General Meetings of the Company are given below:

Year	Date	Time	Venue
2003-04	07.07.2004	1400 hours	Registered Office: ECIL Post Office, Hyderabad–500062.
2004-05	11.07.2005	1400 hours	-do-
2005-06	27.07.2006	1400 hours	-do-

As a matter of abundant precaution and in the absence of Company Secretary, the Company obtained a compliance certificate from M/s K K Rao & Associates Company Secretaries, which now forms part of the annual accounts.

For and on behalf of the Board of Directors

K S RAJASEKHARA RAO
Chairman & Managing Director

Hyderabad
26.09.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 23 11/30/2007, 11:34 AM

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

ए. राजस्व की मान्यता:

निम्नलिखित मामलों में (कर एवं शुल्क को मिलाकर) बिक्री स्थापित की गई है और अक्रूअल के आधार पर राजस्व को मान्यता दी हैं :

i) ए) एफओआर डेस्टिनेशन संविधानों के मामले में, लेखे की अवधि में ही माल यदि अपने गंतव्य स्थान को उचित समय में पहुँचने की संभावना हो।

बी) सभी मामलों में जब मालों को खरीददार को पहुँचाने के लिए वाहक के सुपुर्द किया गया हो यद्यपि कंपनी द्वारा ही परिवहन और बीमा कार्य किये गए हो।

सी) काम्पोसाइट ठेके संबंध में, प्राक्कलन के आधार पर सेवाएँ मुहैय्या कराने के पश्चात ठेका मूल्य के अनुसार राजस्व को मान्यता देने के लिए, जहाँ पर सेवाएँ तथा आपूर्तियों के लिए अलग से शुल्क नहीं है।

डी) साफ्टवेयर के लिए/पावतियों के पूरे होने पर/ स्वीकार्यता जहाँ पर ठेके में उपलब्ध प्रत्येक प्रणाली/ पैकेज के लिए अलग अलग मूल्य प्रदान कराना है जो तकनीकी अनुमान पर आधारित है और जहाँ पर ऐसे अलग अलग मूल्य उपलब्ध नहीं है।

ii) बोनडेड स्टोर्स को स्थानांतर किये गए माल (रक्षा के लिए) का फील्ड टेस्टिंग किया जाना है।

iii) यदि ठेका दिया गया हो तो ग्राहक द्वारा पूर्व निरीक्षण एवं स्वीकृति होने पर भी ग्राहक के अनुरोध पर कंपनी के संरक्षण में माल रख लिया जाता है।

iv) पेचीदा उपस्कर/प्रणालियों के टर्नकी/काम्पोजिट ठेके के मामले में, जहाँ पर पूरा करने के लिए समयचक्र 12 महीनों से ज्यादा है, इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से गठित तकनीकी समिति द्वारा यथा अनुमोदित काम पूरा होने की प्रतिशतता के आधार पर प्रत्याशित घाटे के लिए प्रावधान रखते हुए राजस्व मान्य किया जाता है।

ए) विशेष रूप से सामग्री बनाई गई/ प्राप्त की गई तथा

बी) दी गई सेवाएँ सीधे तौर से परिसंपत्ति के निर्माण के संबंध में है।

बी. आंतरिक पूंजीकरण और अंतर -वर्ग अंतरण

i) आंतरिक पूंजीकरण : आंतरिक उपयोग के लिये विनिर्मित उपस्करों का लागत पर पूंजीकृत किया गया है।

ii) अंतर-वर्ग अंतरण : सहमत अंतरण मूल्य के आधार पर अंतर वर्ग या अंतरावर्ग अंतरण किया जाता है। यद्यपि, वर्ष के अंत में उपयोग में लाये बिना बचे हुए मालसूचियों में पडे हुए ऐसे मदों का लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं।

सी. मालसूची :

i) कच्ची सामग्रियाँ, भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे एवं संघटक भार औसतन लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं। भविष्य में उपयोग के लिए उपयोगी मानी गयी अधिशेष सामग्री उनके पुस्तक मूल्य की 15% पर मूल्यांकित एवं सुरक्षित रखी गयी। कंप्यूटर सेवा प्रभाग (सीएसडी) के भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जे प्रत्येक वर्ष के अंत में अवलेखन मूल्य पर 33 1/3 % पर स्थानीय कर से मुक्त किये जाते हैं। अन्य कच्ची सामग्री, भंडार, अतिरिक्त पुर्जे एवं संघटक जो 3 वर्षो से उपयोग नहीं किये गये (उक्त सीएसडी के अधिशेष मदों एवं पुर्जों के अलावा) अवलेखन मूल्य पर 33 1/3 % स्थानीय कर से मुक्त किये जाते हैं।

ii) विभिन्न वर्गो में चालू कार्य में उत्पादों को 'फैक्टरी लागत' या ''उगाही योग्य निवल मूल्य'' दोनों में से जो भी कम हो, उसके अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

iii) परियोजनाओं का चालू कार्य का मूल्यांकन कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किये गये अनुसार प्रत्येक परियोजना के पूरा किये गये काम के प्रतिशत के आधार पर 'फैक्टरी लागत' या ''उगाही योग्य निवल मूल्य'' दोनों में से जो भी कम हो, मूल्यांकित की जाती है।

iv) तैयार मालों को 'फैक्टरी लागत' या ''उगाही योग्य निवलमूल्य'' दोनों में से जो भी कम हो, उसके अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

डी. स्थायी परिसंपत्तियाँ एवं आस्तियों का अवमूल्यन

ऐतिहासिक लागत पर स्थाई परिसंपत्तियाँ, निवल सेनवेट/ वेट यदि कोई हो तो

i) सीधी रेखा पद्धति के आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया जाता है।

ii) वर्ष के दौरान की गयी वृद्धियों/ विलोपनों के लिये मासिक यथानुपात आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया जाता है।

iii) यदि 01.04.2003 मद की लागत 10,000 रुपये के समान या उस से कम हो तो, अधिग्रहण / उपयोग के संपूर्ण वर्ष में आस्तियों की लागत को मूल्यह्रास किया जाता है तथा उस मद के लिये निवल ब्लाक में एक रुपया प्रतिधारित किया जाता है।

iv) निम्न मामले को छोडकर कंपनी द्वारा अपनायी गयी अवमूल्यन की दरें कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 के अनुसार ही हैं।

ए) कंप्यूटर शिक्षा प्रभाग द्वारा प्राप्त कंप्यूटर प्रणालियों का अधिग्रहण किया गया है जो 1.4.2001 से 50% की दर से मूल्यह्रास किये जाते हैं।

बी) किराये पर भेजी गयी प्रणालियों या प्रदर्शन के लिए या फैक्टरी के बाहर उपयोग के लिए भेजी गयी प्रणालियों जो 01.04.2001 से 50% दर पर अवमूल्यन की जाएंगी।

सी) इलेक्ट्रानिक विनिर्माण सेवा प्रभाग द्वारा (i) संयंत्र एवं मशीनरी एवं (ii) इलेक्ट्रानिक परीक्षण एवं मापन उपस्कर के अंतर्गत अधिगृहीत परिसम्पत्तियाँ जो 01.04.2003 से 50% की दर से मूल्यह्रास किये जाते हैं तथा

डी) परियोजनाएँ / साइट पर निर्माण, भंडार, इलेक्ट्रिकल स्थापनाएँ तथा अन्य कार्य 01.04.2003 से ठेके की अवधि के अनुरूप मूल्यह्रास किये जाते हैं।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

A. RECOGNITION OF REVENUE:

Sales (including Taxes and Duties) are set up and revenue is recognized on accrual basis inter-alia in any of the following cases:

i) a) In case of FOR Destination contracts, if there is a reasonable expectation of the goods reaching the destination within the accounting period.

b) In all other cases, when the goods are handed over to the carrier for transmission to the buyer, even if the transport and insurance are undertaken by the company.

c) In respect of composite contracts, involving supply and services, where separate fee for such services is not specified and supplies are completed, to recognize the revenue as per the contract value, after providing for services on an estimated basis.

d) For services/software against completion of milestones/acceptance/acknowledgement, where break up values for each system/package are available in the contract or based on the technical estimates where such break up values are not available.

ii) On transfer of items (for Defence) to the bonded stores awaiting field-testings.

iii) On completion of customer's prior inspection and acceptance in case the contract so provides, even if the goods are retained in the custody of the Company at the request of the customer.

iv) In case of turnkey/composite contracts of complex equipment/systems, where the normal cycle time for completion is 12 months and above, subject to provision of anticipated losses, revenue is recognised (excluding taxes and duties) based on percentage completion, as certified by a Technical Committee, including

a) materials specially made/procured; and

b) services rendered as are directly related to the construction of an asset.

B. INTERNAL CAPITALISATION AND INTER-GROUP TRANSFERS.

i) INTERNAL CAPITALISATION:
Equipment manufactured for internal use is capitalised at cost.

ii) INTER-GROUP TRANSFERS:
Inter and Intra group transfers are made at agreed transfer price. However, unutilised stock of such items at the year end lying as inventory is valued at cost.

C. INVENTORY:

i) Raw Materials, Stores & Spares and Components are valued at weighted average cost. Surplus materials considered useful for future use are valued and retained at 15% of their book value. Stores & Spares of Computer Services Division (CSD) as at the end of each year, are derated at 33 $^1/_3$ % on written down value. Other Raw Materials, Stores, Spares and Components not moved for more than three years (i.e., other than identified surplus items and spares of CSD referred to above) are derated at 33 $^1/_3$ % on written down value.

ii) Work-in-progress of products in various Business Groups is valued at "factory cost" or "net realisable value" whichever is lower.

iii) Work-in-progress of projects is valued at "factory cost" or "net realisable value" whichever is lower based on percentage completion of each project as certified by company's technical experts.

iv) Finished goods are valued at "factory cost" or "net realisable value" whichever is lower.

D. FIXED ASSETS & DEPRECIATION OF ASSETS

Fixed Assets are stated at historical cost, net of CENVAT/VAT, if any.

i) Depreciation is charged on straight-line method.

ii) Depreciation is charged on monthly pro-rata basis for the additions/deletions during the year.

iii) Cost of assets is depreciated in full in the year of acquisition/use, if the cost of an item is less than or equal to Rs.10,000/- with effect from 01.04.2003 and Re.1/- is retained in the Net Block for that item.

iv) The rates of depreciation adopted by the company are as per Schedule XIV of the Companies Act, 1956, excepting in the case of

a) Computer Systems acquired by Computer Education Division which are depreciated at a rate of 50% with effect from 01.04.2001.

b) Systems sent on hire or for demonstration or for use outside the factory which are depreciated at a rate of 50% with effect from 01.04.2001

c) Assets acquired by Electronic Manufacturing Services Division under the heads of (i) Plant and Machinery and (ii) Electronic Testing and Measuring Equipment which are depreciated at a rate of 50% with effect from 01.04.2003 and

d) Structures, Erections, Warehouses, Electrical installations and other similar enabling works at Projects/ Sites are depreciated considering the tenure of the contract with effect from 01.04.2003.

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 25 11/30/2007, 11:34 AM

ई. पूर्वावधि समायोजनः

गत वर्ष के आय / व्ययों से संबंधित 25,000 रुपये या अधिक की राशि की मदों को पूर्वावधि समायोजनों की तरह माना जाता है।

एफ. पूर्वदत्त और बकाया पडे आय / व्यय :

आय / व्ययों से संबंधित 25,000 रुपयों या उससे अधिक की राशि की मदों को, मामले के अनुसार पूर्वदत्त / बकाया पडी देयता की तरह माना जाता है।

जी. तकनीकी जानकारी

31.3.2003 तक पिछले पाँच सालों या करार के अनुसार किसी परियोजना/उत्पाद की पूर्ण हुई किसी कार्य के लिये तकनीकी शुल्क, सॉफ्टवेयर कार्मिकों के प्रशिक्षण आदि पर किया गया व्यय का देय होना। वर्ष के दौरान जो वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है उन परियोजनाओं/उत्पादों पर किये गये व्यय को बट्टे खाते डाला गया 1.4.2003 के बाद किये गए ऐसे व्यय को राजस्व पर चार्जड आफ किया गया।

एच. विलंब शुल्क और घाट शुल्क

सभी आयातों पर चाहे वे पूंजीगत हो या अन्यथा उन पर हुए विलंब शुल्क और / या घाट शुल्कों को राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

आई. विनिमय भिन्नता

तुलन पत्र की तारीख को बकाया पडी नियत आस्तियों (जो अग्रवर्ती ठेके द्वारा आवरित है उनको छोडकर) के वित्तीयन के लिये रखे सभी विदेशी मुद्रा लेनदेनों / विदेशी मुद्रा ऋणों सहित शेष राशियों को उस दिन प्रचलित विनिमिय दर से परिवर्तित किया जाता है। ऐसी विनिमय भिन्नताएँ एएस-11 के अनुसार लेखों में जाती हैं।

जे. सरकारी अनुदान

विनिर्दिष्ट नियत आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान संबंधित आस्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में बताये जाते हैं और राजस्व संबद्ध अनुदानों को जिसमें राशियाँ खर्च की गयीं, उनके संबंधित व्यय खातों से कटौती की जाती हैं।

के . अनुसंधान एवं विकास व्यय

जब अनुसंधान एवं विकास पर व्यय किया गया तब इस व्यय को प्रभारित किया गया। यद्यपि स्थायी परिसंपत्तियों पर किये गये व्यय को पूंजीकृत किया गया।

एल. अशोद्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान

केवल ऐसे ऋणों, जो ठेके के शर्तों के अनुसार वसूली के लिये देय नहीं हैं या प्रबंधन द्वारा मामलावार समीक्षा की जाने पर यह माना है कि ये ऋण वसूली योग्य हैं, को छोडकर एक साल से अधिक अवधि के लिये बचे हुए ऋणों के लिये अशोद्य तथा संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया जायेगा।

एम. सेवा निवृत्ति लाभ

i) वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों की उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण की देयताओं के लिये प्रावधान किया गया।

ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति को राजस्व पर चार्जड आफ किया गया।

एन. उधार लागत

योग्यता प्राप्त परिसंपत्तियॉ, जो उपयोग करने के लिये जिस महीने में तैयार हैं, तब तक पूँजीगत किये जाते हैं, के अधिग्रहण, निर्माण एवं उत्पादन से उधार लागत सीधे संबंध लगाते हैं। अन्य उधार लागत जिस अवधि में व्यय किये गये हैं उस अवधि में व्यय के रूप में मान्य हैं।

ओ. आस्थगित कर

परिसंपत्ति यों एवं दे यताओं के कर आधार के बीच वित्ती य रिपोर्टिंग प्रयोजनार्थ रखाव राशि तुलन पत्र तारीख को सभी अस्थायी समय परिवर्तनों पर देयता पद्धति अपनाते हुए आस्थगित आयकर का प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का मापन, उन कर दरों के अनुसार जिस अवधि में परिसम्पत्तियों की उगाही होती है या देयता निश्चित होती है, वित्तीय विवरण के अनुमोदन की तारीख तक अपनाये हुए कर दरों के आधार पर, (एवं कर नियमों) किया जाता है।

पी. निवेश

अस्थायी के अलावा मूल य में लागत रहित कोई भी ह्रास पर दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

क्यू. वारंटीस के लिए प्रावधान

बिक्री के वर्ष में ग्राहकों को बेची गयी सामग्री के संबंध में ठेके संबंधी दा यित्व के लिए वारंटी प्रावधान तैयार करना।

आर. पट्टे

(ए) आपरेटिंग पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों का पूंजीकृत करना। इस तरह से पट्टे की वजह से उत्पन्न हुई राशि को आय के रूप में मान्यता देय। पट्टे एवं उप पट्टों के संबंध में पट्टा किराया प्राप्ति एवं देय को लाभ और हानि खाते में उपचन आधार पर आय और व्यय के रूप में मान्यता दी गई।

(बी) फैनान्स पट्टे दी गई परिसंपत्तियाँ सामान्य बिक्री मूल्य/फेयर मूल्य/निविल वर्तमान मूल्य पर बिक्री के रूप में मान्यता दी गई। पट्टे अवधि पर फैनान्स आय को मान्यता दी गई। व्यय किये गये वर्ष में इनिशियल डायरेक्ट कास्ट को व्यय किया गया। वित्तीय पट्टे तथा बाद में उप पट्टे पर दिये गए परिसंपत्तियों के संबंध में, वित्तीय पट्टे के लिए लेखानीति लागू है।

एस. निर्णीत हर्जाना

कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाना के लिए दावों को स्वीकृति पर मान्यता दी गई। शेष दावों को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया।

टी. परिसंपत्तियों का इम्पैरमेंट

प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक के अंत में कैरीइंग परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है कि क्या इम्पेरमेंट का संकेत है या नहीं। यदि, कैरीइंग राशि से प्राक्कलन रिकवरेबल राशि कम हो तो इम्पेरमेंट को मान्यता दी जाती है ।

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 26 11/30/2007, 11:34 AM

E. PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS:

Items of income/expenses amounting to Rs.25,000 and above relating to previous years are accounted as Prior Period Adjustments.

F. PREPAID AND OUTSTANDING INCOME/ EXPENSES:

Items of income/expenses amounting to Rs.25,000 and above are accounted as Prepaid/Outstanding liability as the case may be.

G. TECHNICAL KNOW HOW

Expenditure on Technical Know how fees, Software, Training of Personnel etc., incurred upto 31.03.2003 are charged off over a five year period or the duration of the relevant agreement, whichever is less. Expenditure on unsuccessful projects/ products are written off in the year in which they are found to be commercially not viable. Such expenditure incurred after 01.04.2003 are charged off to revenue on incurrence.

H. DEMURRAGES AND WHARFAGES

Expenditure on demurrages and/or wharfages on all imports, whether capital or otherwise, is charged to revenue.

I. EXCHANGE VARIATION

All foreign currency transactions/balances including foreign currency loans for financing fixed assets (other than those covered by forward contract) outstanding on the date of Balance Sheet are converted at the rate of exchange prevailing on that date. Such exchange differences are treated in the accounts in accordance with AS-11.

J. GOVERNMENT GRANTS

Govt. Grants related to specific fixed assets are shown as a deduction from the gross value of the assets concerned and those related to Revenue are deducted from the relevant expense accounts in the year in which the amounts are spent.

K RESEARCH & DEVELOPMENT EXPENDITURE

Research and development expenditure is charged to expenditure when incurred. Expenditure incurred on fixed assets is however capitalised.

L. PROVISION FOR BAD AND DOUBTFUL DEBTS

Provision for bad and doubtful debts is made for the debts outstanding for more than one year, excepting those which are contractualy not due as per the terms of the contract or those which are considered realisable based on a case to case review by the management.

M. RETIREMENT BENEFITS

i) Provisions for gratuity and leave encashment liability to employees are made on the basis of actuarial valuation as at the year end.

ii) Compensation under Voluntary Retirement Scheme is charged off to revenue on incurrence.

N. BORROWING COSTS

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are capitalised till the month in which the asset is ready to use as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which these are incurred.

O. DEFERRED TAXES

Deferred Income Tax is provided using the liability method on all temporary timing differences at the Balance Sheet date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that expected to apply to the period when the asset is realised or the liability settled, based on tax rates (and the tax laws) that have been enacted upto the date of approval of the financial statements.

P. INVESTMENTS

Long term investments are valued at cost less any diminution in value that is other than temporary.

Q. PROVISION FOR WARRANTIES

Warranty provision for contractual obligations in respect of goods sold to customers is set up on the basis of trend based estimates and is provided in the year of sale.

R. LEASES

a) Assets given on operating lease are capitalized. The related lease income is recognized as income, over the lease period, on accrual basis. In respect of lease and sub-lease arrangement, the lease rental received and payable are recognized as income and expenditure respectively in the Profit & Loss Account on accrual basis.

b) Assets given on finance lease are recognized as sale at normal sale price/fair value/Net Present Value. Finance income is recognized over the lease period. Initial direct costs are expensed in the year of incurrence. In respect of assets taken on finance lease and subsequently sub-leased, the Accounting Policy for finance lease, as stated is applicable.

S. LIQUIDATED DAMAGES

Claims for liquidated damages against the Company are recognised on acceptance. Balance claims are shown as Contingent Liabilities.

T. IMPAIRMENT OF ASSETS

As at the end of each Balance Sheet date, the carrying amount of assets is assessed as to whether there is any indication of impairment. If the estimated recoverable amount is found less than its carrying amount, the impairment loss is recognised and assets are written down to their recoverable amount

31 मार्च, 2007 को स्थित तुलन-पत्र

(रुपये लाखों में)

	अनुसूची	31.03.2007 तक		31.03.2006 तक	
I. नियोजित निधियाँ					
1. शेयरधारियों की निधियाँ					
ए) शेयर पूँजी	ए	**15488.12**		15488.12	
बी) शेयर मनि लंबित आबंटन		**849.00**		0.00	
सी) आरक्षित और अधिशेष	बी	**30070.60**	**46407.72**	20857.62	36345.74
कुल (I)			**46407.72**		36345.74
II. निधियों का उपयोग					
1. नियत आस्तियाँ	सी				
ए) सकल अवरुद्ध		**19858.25**		19761.36	
बी) घटाएँ : मूल्यह्रास		**12376.50**		12818.64	
सी) निवल अवरुद्ध		**7481.75**		6942.72	
डी) मार्गस्थ नियत आस्तियाँ और चालू कार्य पूँजी	डी	**216.41**	**7698.16**	691.59	7634.31
2. निवेश	ई		**164.64**		164.64
3. आस्थगित कर (निवल आस्ति)			**1338.11**		574.12
4 ऋणों, अग्रिमों एवं चालू आस्तियाँ					
ए) चालू आस्तियाँ					
ए) माल सूचियाँ	एफ	**6855.84**		7681.96	
बी) फुटकर देनदार	जी	**98870.90**		79468.68	
सी) नकदी व बैंक में शेष राशियाँ	एच	**24502.27**		18940.94	
बी) ऋण व अग्रिम राशियाँ	आई	**14506.70**		13655.98	
		144735.71		119747.56	
5. घटायें : चालू देयताएँ व प्रावधान	जे				
ए) चालू देयताएँ		**88292.46**		80273.70	
बी) प्रावधान		**19236.44**		11504.19	
6. निवल चालू आस्तियां (4) - (5)			**37206.81**		27969.67
7. बट्टे खाते न डाले गये या समायोजित विविध व्यय	के		**0.00**		3.00
कुल (II)			**46407.72**		36345.74
III. लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ	पी				

लेखागत नीतियाँ, अनुसूचियां 'ए' से 'पी' तक लेखों का अंग बनती हैं।
कृते एवं बोर्ड की ओर से।

हमारी इसी तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सत्यनारायण एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल

यू. विष्णुमूर्ति
निदेशक (वित्त)

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सीएच. शेषगिरि राव
भागीदार
एम. नं.18523

स्थान : हैदराबाद
दिनाँक : 24.07.2007

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2007

(Rupees in Lakhs)

	Schedule	As at 31.03.2007		As at 31.03.2006	
I. SOURCES OF FUNDS					
1. Shareholders' Funds					
a) Capital	A	**15488.12**		15488.12	
b) Share Money Pending Allotment		**849.00**		0.00	
c) Reserves and Surplus	B	**30070.60**	**46407.72**	20857.62	36345.74
Total (I)			**46407.72**		36345.74
II. APPLICATION OF FUNDS					
1. Fixed Assets	C				
a) Gross Block		**19858.25**		19761.36	
b) Less: Depreciation		**12376.50**		12818.64	
c) Net Block		**7481.75**		6942.72	
d) Fixed Assets-in-transit & Capital Work-in-Progress	D	**216.41**	**7698.16**	691.59	7634.31
2. Investments	E		**164.64**		164.64
3. Deferred Tax (Net Asset)			**1338.11**		574.12
4. Current Assets, Loans and Advances					
A) Current Assets					
a) Inventories	F	**6855.84**		7681.96	
b) Sundry Debtors	G	**98870.90**		79468.68	
c) Cash and Bank balances	H	**24502.27**		18940.94	
B) Loans and Advances	I	**14506.70**		13655.98	
		144735.71		119747.56	
5. Less: Current Liabilities and Provisions	J				
a) Current Liabilities		**88292.46**		80273.70	
b) Provisions		**19236.44**		11504.19	
6. Net Current Assets (4) - (5)			**37206.81**		27969.67
7. Miscellaneous Expenditure to the extent not written off or adjusted	K		**0.00**		3.00
Total (II)			**46407.72**		36345.74
III. NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS	P				

Accounting Policies, Schedules A to P form part of the Accounts
for and on behalf of the Board

U VISHNUMURTHY
Director (Finance)

K S RAJASEKHARA RAO
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached
for **SATYANARAYANA & CO.,**
Chartered Accountants

Ch SESHAGIRI RAO
Partner
M No.18523

Place : Hyderabad
Date : 24.07.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 29 11/30/2007, 11:34 AM

31 मार्च, 2007 तक का लाभ तथा हानि लेखा

(रुपये लाखों में)

	अनुसूची		2006-2007		2005-2006
I. आय					
विक्रय			**86341.88**		56875.41
सेवाएँ			**13891.96**		12862.27
पट्टा किराया			**356.31**		291.35
टर्न ओवर (सकल)			**100590.15**		70029.03
घटायें : उत्पाद शुल्क			**4883.16**		2574.84
सेवा कर			**1124.97**		773.30
बिक्री कर			**2791.41**		1492.98
टर्नओवर (निवल)			**91790.61**		65187.91
अन्य आय	एल		**3355.19**		3386.23
			95145.80		68574.14
डब्ल्यू आई पी एवं एफ जी के स्टॉक में उपचय (+)/ डिक्रीशन (-)	एम-1		**-596.77**		159.73
घटायें : मूल्य परिवर्तन समायोजन			**0.00**		226.20
कुल I			**94549.03**		68507.67
II. व्यय					
उपभुक्त सामग्री	एम-2		**47446.78**		38916.93
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं परिलब्धियाँ	एम-3		**19295.07**		17524.01
निर्माण, प्रशासन एवं अन्य व्यय	एम-4		**5619.48**		4749.56
विक्रय व्यय	एम-5		**3619.12**		2751.71
अनुसंधान एवं विकास			**3199.57**		2715.04
कुल II			**79180.02**		66657.25
कम: परियोजनाओं एवं अन्य लेखों को अंतरण	एन		**5332.76**		4372.38
III. निवल व्यय **कुल III**			**73847.26**		62284.87
IV. ब्याज एवं मूल्य ह्रास के पहले लाभ	(I-III)		**20701.77**		6222.80
ब्याज	एम-6		**283.89**		179.54
मूल्य ह्रास			**1203.29**		839.99
V. वर्ष के लिए लाभ			**19214.59**		5203.27
(पूर्वावधि/ असाधारण समायोजन के पहले)					
जोडें / (घटायें) पूर्व अवधि मदें (शुद्ध)	ओ		**39.38**		1.15
VI. कर के पहले लाभ			**19253.97**		5204.42
घटायें : कराधान के लिये प्रावधान - वर्ष के लिये			**7295.00**		1749.00
- पिछले वर्षों के लिये			**-209.79**		-22.56
आस्थगित कर परिसंपत्ति (+)/आस्थगित कर देयता (-)			**763.99**		840.42
घटायें : अनुषंगी लाभ कर के लिये प्रावधान			**95.71**		91.75
VII. कर के बाद लाभ			**12837.04**		4226.65
जोडें : गत वर्ष से आगे ले आया गया शेष			**20857.62**		17594.86
VIII. अप्रोप्रियेशन्स के लिये लाभ			**33694.66**		21821.51
घटायें : 2006-2007 के लिए प्रस्तावित लाभांश		**3097.62**		845.33	
घटायें : 2006-2007 के लिए प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर		**526.44**		118.56	
घटायें : सामान्य आरक्षिति को स्थानांतर		**1300.00**	**4924.06**	0.00	963.89
IX. तुलन पत्र में ले जाया गया शेष			**28770.60**		20857.62
प्रति शेयर पर अर्जन	- मूल		**828.83**		284.05
	- पतला		**821.33**		284.05

लेखागत नीतियाँ, अनुसूचियां 'ए' से 'पी' तक लेखों का अंग बनती हैं।

कृते एवं बोर्ड की ओर से।

हमारी इसी तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सत्यनारायण एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल

यू. विष्णुमूर्ति
निदेशक (वित्त)

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सीएच. शेषगिरि राव
भागीदार
एम. नं.18523

स्थान : हैदराबाद
दिनाँक : 24.07.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 30 11/30/2007, 11:34 AM

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED MARCH, 2007

(Rupees in Lakhs)

		Schedule	2006-2007		2005-2006
I.	**INCOME**				
	Sales		**86341.88**		56875.41
	Services		**13891.96**		12862.27
	Lease Rentals		**356.31**		291.35
	Turnover (Gross)		**100590.15**		70029.03
	Less: Excise Duty		**4883.16**		2574.84
	Service Tax		**1124.97**		773.30
	Sales Tax		**2791.41**		1492.98
	Turnover (Net)		**91790.61**		65187.91
	Other Income	**L**	**3355.19**		3386.23
			95145.80		68574.14
	Accretion(+)/Decretion(-) in stocks of WIP & FG	**M-'1'**	**-596.77**		159.73
	Less: Price Variations Adjustment		**0.00**		226.20
	Total I		**94549.03**		68507.67
II.	**EXPENDITURE**				
	Materials Consumed	**M-'2'**	**47446.78**		38916.93
	Employee Remuneration and Benefits	**M-'3'**	**19295.07**		17524.01
	Manufacturing, Admn. and Other Expenses	**M-'4'**	**5619.48**		4749.56
	Selling Expenses	**M-'5'**	**3619.12**		2751.71
	Research and Development		**3199.57**		2715.04
	Total II		**79180.02**		66657.25
	Less: Transfer to Projects and Other Accounts	**N**	**5332.76**		4372.38
III.	**NET EXPENDITURE Total III**		**73847.26**		62284.87
IV.	**PROFIT BEFORE INTEREST & DEPRECIATION (I-III)**		**20701.77**		6222.80
	Interest	**M-'6'**	**283.89**		179.54
	Depreciation		**1203.29**		839.99
V.	**PROFIT FOR THE YEAR**		**19214.59**		5203.27
	(Before prior period / extraordinary adjustment)				
	Add/(Less) Prior Period Items(Net)	**O**	**39.38**		1.15
VI.	**PROFIT BEFORE TAX**		**19253.97**		5204.42
	Less:Provision for Taxation - For the Year		**7295.00**		1749.00
	- For earlier Years		**-209.79**		-22.56
	Deferred tax asset(+)/Deferred tax liability(-)		**763.99**		840.42
	Less:Provision for Fringe Benefit Tax		**95.71**		91.75
VII.	**PROFIT AFTER TAX**		**12837.04**		4226.65
	Add: Balance Brought forward from previous year		**20857.62**		17594.86
VIII.	**PROFIT FOR APPROPRIATIONS**		**33694.66**		21821.51
	Less: Proposed Dividend for 2006-07	**3097.62**		845.33	
	Less: Dividend Tax on Proposed Dividend for 2006-07	**526.44**		118.56	
	Less: Transfer to General Reserve	**1300.00**	**4924.06**	0.00	963.89
IX.	**BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET**		**28770.60**		20857.62
	EARNINGS PER SHARE(Rs) - BASIC		**828.83**		284.05
	- DILUTED		**821.33**		284.05

Accounting Policies, Schedules A to P form part of the Accounts
for and on behalf of the Board

U VISHNUMURTHY
Director (Finance)

K S RAJASEKHARA RAO
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached
for **SATYANARAYANA & CO.,**
Chartered Accountants

CH SESHAGIRI RAO
Partner
M No.18523

Place: Hyderabad
Date : 24.07.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 31 11/30/2007, 11:34 AM

अनुसूची ''ए'' शेयर पूंजी
SCHEDULE 'A' SHARE CAPITAL

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2007	31.03.2006
प्राधिकृत पूँजी		
AUTHORISED CAPITAL		
1,000/- रुपये प्रत्येक मूल्य के 20,00,000/- ईक्विटी शेयर(गत वर्ष 20,00,000/-) 20,00,000(Previous year 20,00,000) Equity Shares of Rs.1000 each	**20000.00**	20000.00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूँजी		
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID-UP CAPITAL		
रु. 1,000 प्रत्येक का 15,48,812 ईक्विटी शेयर पूर्ण रूप से प्रदत्त। (गत वर्ष 15,48,812) ईक्विटी शेयर 15,48,812 (Previous Year 15,48,812) Equity Shares of Rs.1000 each fully paid up	**15488.12**	15488.12
कुल **Total**	**15488.12**	15488.12

अनुसूची ''बी'' आरक्षिति एवं अधिशेष
SCHEDULE "B" RESERVES AND SURPLUS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

		31.03.2007		31.03.2006	
1.	सामान्य आरक्षिति : GENERAL RESERVE :				
	गत तुलन पत्र के अनुसार As per Last Balance Sheet	**0.00**		0.00	
	वर्ष के दौरान जोडे गये Additions during the Year	**1300.00**	**1300.00**	0.00	0.00
2.	लाभ तथा हानि लेखों में शेष Balance in Profit and Loss Account		**28770.60**		20857.62
	कुल **Total**		**30070.60**		20857.62

अनुसूची ''सी'' स्थिर परिसम्पत्तियाँ
SCHEDULE "C" FIXED ASSETS

क्र.सं. S No	परिसंपत्ति का नाम Name of the Asset	लागत पर सकल अवरुद्ध Gross Block At Cost				मूल्य ह्रास Depreciation				निवल अवरुद्ध Net Block	
		01.04.2006 को स्थित As at 01.04.2006	वर्ष के दौरान जोड व समायोजन Additions & Adj. During the Year	वर्ष के दौरान कटौती व समायोजन Deductions & Adj. During the Year	31.03.2007 को स्थित कुल Total As At 31.03.2007	31.03.2006 तक upto 31.03.2006	वर्ष के लिए For the year	गत वर्षों में कटौती व वर्ष के दौरान समायोजन Previous Years Deductions & Adj. During the Year	31.03.2007 तक कुल Total upto 31.03.2007	31.03.2007 को स्थित As At 31.03.2007	31.03.2006 को स्थित As At 31.03.2006
1	भूमि (पूर्ण स्वामित्व) Land (Freehold)	79.37	-	-	**79.37**	-	-	-	**-**	**79.37**	79.37
2	भूमि विकास Development of Land	13.22	-	-	**13.22**	13.22	-	-	**13.22**	-	-
3	सडकें, पुल और नाले Roads, Bridges & Culverts	64.12	-	-	**64.12**	22.22	1.04	-	**23.26**	**40.86**	41.90
4	फैक्टरी भवन Factory Buildings	1570.18	80.58	74.55	**1576.21**	1102.95	32.84	-	**1135.79**	**440.42**	467.23
5	प्रशासनिक व अन्य भवन Administration & other Buildings	918.64	-	-	**918.64**	313.22	15.10	-	**328.32**	**590.32**	605.42
6	अनुसंधान और विकास संयंत्र मशीनरी Research & Development Plant Machinery	161.15	55.05	15.44	**200.76**	134.91	7.90	-	**142.81**	**57.95**	26.24
7	संयंत्र और मशीनरी Plant & Machinery	2921.26	124.95	36.08	**3010.13**	2184.11	72.91	34.93	**2222.09**	**788.04**	737.15
8	इलेक्ट्रानिकी परीक्षण और मापन उपस्कर Electronic Testing & Measuring Equipment	9476.33	185.42	1027.75	**8634.00**	5944.53	328.55	1014.70	**5258.38**	**3375.62**	3531.80
9	ग्राहकों को किराये पर दी गयी कंप्यूटर प्रणालियाँ Computer Systems Hired out to Customers	541.84	1282.73	319.34	**1505.23**	417.19	545.82	278.12	**684.89**	**820.34**	124.65
10	वातानुकूल और एअर कूलर्स/ रेफ्रिजरेटर्स Air conditioners & Air coolers/Refrigerators	233.02	5.82	5.32	**233.52**	141.64	7.06	4.34	**144.36**	**89.16**	91.38
11	जल आपूर्ति और मल-निकास Water supply & Sewerage	52.52	-	-	**52.52**	37.49	1.42	-	**38.91**	**13.61**	15.03
12	बिजली संस्थापना और उपस्कर Electrical Installation & Equipment	417.62	42.94	11.88	**448.68**	261.23	16.01	8.93	**268.31**	**180.37**	156.39
13	गाडियाँ Vehicles	56.08	0.04	-	**56.12**	33.28	3.72	-	**37.00**	**19.12**	22.80
14	फर्निचर, फिटिंग्स और अन्य उपस्कर Furniture, Fittings & Other Equipment	3137.05	126.43	325.70	**2937.78**	2114.80	170.22	306.87	**1978.15**	**959.63**	1022.25
15	पुस्तकालय Library	66.49	1.99	-	**68.48**	60.58	2.24	-	**62.82**	**5.66**	5.91
16	परियोजना / साईट के पास शेड, फिक्चर्स एवं निर्माण / संरचना Sheds, Fixtures and Structures/ Erections at Projects/Sites	52.47	7.00	-	**59.47**	37.27	0.92	-	**38.19**	**21.28**	15.20
	कुल TOTAL	**19761.36**	**1912.95**	**1816.06**	**19858.25**	**12818.64**	**1205.75**	**1647.89**	**12376.50**	**7481.75**	**6942.72**
	गत वर्ष PREVIOUS YEAR	19180.13	652.38	71.15	19761.36	11972.17	851.02	4.55	12818.64	6942.72	7207.96

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 33 11/30/2007, 11:34 AM

टिप्पण : अनुसूची -''सी'' (जारी...)

1. जहाँ प्राप्त आस्ति (यों) की लागत तत्काल सुनिश्चित नहीं की जा सकती और जहाँ अंतर वास्तविक मूल्यांकन से 0.15 लाख रुपयों या 15% से बढ जाता हो वहाँ आनेवाले वर्षो में समायोजन की शर्त के अनंतिम मूल्यांकन आधार पर हिसाब किया जाता है। इस पद्धति के अपनाये जाने के कारण लाभ में 0.98 लाख रुपयों की कमी हुई। (गत वर्ष के लिए 0.51 लाख रुपये)

2. ए) परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपने पत्र सं. 5/10(5)/2000-पीएसयू / खंड 3/61 दिनांक 10-1-2002 द्वारा हैदराबाद स्थित फैक्टरी जिस जमीन पर है (लगभग 278 एकड) उस जमीन का स्वामित्व कंपनी को अंतरण (निशु:ल्क) करने के लिए भारत राष्ट्रपति के अनुमोदन सूचित किया है। आगे कुल जमीन 278 एकड में से 06-01-2006 के पत्र द्वारा बिना लागत के ईसीआईएल को जमीन के स्वामित्व को स्थानान्तरण करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के अनुरूप प.ऊ.वि. द्वारा 229.01 एकड जमीन ''डीड आफ ग्रैन्ट'' द्वारा सौंपी गई। शेष 49 एकड के लिए स्थानान्तरण की प्रक्रिया चल रही है।

   बी) मौला-अली में कंपनी द्वारा 1982-83 में आन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त 0.533 एकड भूमि के स्वामित्व दस्तावेज कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किये जाने हैं।

   सी) परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपने पत्र सं. 5/10(5)/2000-पीएसयू / खण्ड 3/61 दिनांक 10.01.2002 द्वारा मुंबई स्थित आंचलिक कार्यालय (लगभग 2773.50 वर्ग गज) का स्वामित्व कंपनी को अंतरण (निःशुल्क) करने के लिए भारत राष्ट्रपति के अनुमोदन सूचित किया है। उक्त अनुमोदन को प्रभावी बनाने संबंधी अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

   डी) निम्न लिखित शर्तों के अनुसार 20 वर्षों की अवधि के लिए आंचलिक कार्यालय, मुंबई के एक भाग में निचला तल एवं प्रथम तल 12,820 वर्ग फीट जगह को मेसर्स इंडियन रेअर एर्थस लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम को पट्टे पर देने के लिए ईसीआईएल ने निम्न शर्तो पर पट्टानामा निष्पादित किया है:- i) 1069.20 लाख रुपयों के लिए दिये गये जगह का प्रतिभूति जमा ii) वार्षिक किराया 1070 रुपये प्रति वर्ष

   ई) वर्ष 1998-99 में प्रति वर्ष एक रुपये पट्टा किराये पर परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मौला-अली स्थित सर्वे नंबर 303 में कुशाईगुडा पुलिस थाना भवन सहित 1.7 एकड भूमि पट्टे पर दी गयी।

3. सरकारी अनुदानों से हासिल की गयीं आस्तियों के संबंध में की गयीं कटौतियों एवं सकल ब्लाक के स्तंभ के अंतर्गत दिखाये समायोजन के संबंध में 113.11 लाख रुपये (गत वर्ष 62.36 लाख रुपये) शामिल है।

4. वर्ष के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार प्रभाग, उपकरणीकरण तथा प्रणाली प्रभाग, सॉफ्टवेयर परामर्श प्रभाग, जीएडी (सुरक्षा एवं अग्निशमन) ने कुछ परिसंपत्तियों को अप्रचलित तथा अनुपयोग पूँजी उपस्कर के रूप में पहचान की है जिसका सकल अवरुद्ध रु.1590.55 लाख तथा निवल मूल्य 11.87 लाख रुपये हैं । वर्ग द्वारा दिये गये संक्षिप्त औचित्य के आधार पर लेखे में बट्टे खाते में डाले गये ।

NOTES TO SCHEDULE - "C"

1. Where the cost of the asset(s) acquired is not readily ascertainable, accounting is done on provisional valuation subject to adjustments in subsequent years in value where the variation exceeds Rs.0.15 lakhs or 15% of the actual valuation whichever is higher. The decrease in profit on account of this method is Rs. 0.98 lakhs for the year (Previous year Rs. 0.51 lakhs).

2 a) The Department of Atomic Energy (DAE) vide their letter no: 5/10(5)/2000-PSU/Vol. III/61 dated 10.01.2002 conveyed the approval of the President of India for transfer of ownership to the Company (free of cost) of the land on which the factory is located at Hyderabad (about 278 acres). Further , out of 278 Acres of Land, a "Deed Of Grant" for the land admeasuring 229.01 Acres is executed by DAE in accordance with President Of India's approval for transfer of ownership of land to ECIL at free of cost through letter dated 06.01.2006. For the remaining Land admeasuring about 49 Acres, the matter for transfer is under process.

b) Title Deed in favour of the Company is yet to be executed for the freehold land admeasuring 0.533 Acres at Moula-Ali acquired by the Company from Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited, Hyderabad in 1982-83.

c) The Department of Atomic Energy (DAE) vide their letter no: 5/10(5)/2000-PSU/Vol. III/61 dated 10.01.2002 conveyed the approval of the President of India for transfer of ownership to the Company (free of cost) Zonal office located in Mumbai (about 2773.50 sq.yards). The actions required for giving effect to the above approval are under process.

d) ECIL had executed Deeds of Lease with M/s Indian Rare Earths Limited, a Govt. Of India Undertaking, for leasing out a part of Zonal office building at Mumbai, admeasuring 12,820 Sq. Ft in Ground Floor & First Floor for a period of 20 years under the following payment conditions (i) Security Deposit of leased premises for Rs.1069.20 Lakhs and (ii) Annual Rent of Rs.1070/- per annum.

e) An area of 1.7 acres of land along with building occupied by Kushaiguda Police Station in survey No.303, Moula - Ali, belonging to DAE was leased to the Govt. of AP in the year 1998-99 at lease rent of Re.1/- per annum.

3. Assets acquired out of Government grants are shown under deductions and adjustments in the column of the gross block amounting to Rs.113.11 Lakhs (Previous year Rs. 62.36 lakhs).

4. During the year, Information Technology &Telecom Division , Instrument & System Division, Software consultancy Division, General Administration Division (Security & Fire), have identified certain assets as Obsolete and non-usable capital equipment with Gross Block of Rs.1590.55 Lakhs and net value of Rs.11.87 Lakhs. Based on the detailed justification given by the Group, said Capital equipments were written off in the books of accounts.

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 35 11/30/2007, 11:34 AM

अनुसूची ''डी''मार्गस्थ नियत आस्तियाँ और पूँजीगत चालू कार्य
SCHEDULE "D" FIXED ASSETS-IN-TRANSIT AND CAPITAL WORK-IN-PROGRESS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

		31.03.2007	31.03.2006
1.	मार्गस्थ पूँजीगत उपस्कर Capital Equipment-in-Transit	**146.62**	546.54
2.	पूँजीगत चालू कार्य Capital Work-in-progress	**32.86**	131.92
3.	पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम - प्लैंट व मशीनरी Advances against Capital Expenditure-Plant and Machinery	**36.93**	13.13
	कुल **Total**	**216.41**	691.59

अनुसूची ''ई'' निवेश (लागत पर)
SCHEDULE "E" INVESTMENTS (AT COST)

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

		31.03.2007	31.03.2006
	भाव न बताये गये (व्यापार से हटकर) दीर्घावधि **UNQUOTED (OTHER THAN TRADE) - LONG TERM**		
	शेयरों में **IN SHARES**		
1.	ईसीआईएल एम्प्लाईज कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड में 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 250 शेयर 250 shares of Rs.10/- each fully paid up in ECIL Employees' Consumer Co-operative Society Limited	**0.02**	0.02
2.	मेसर्स ईसीआईएल - रैपिस्कॅन लिमिटेड में 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 14,70,000 ईक्विटी शेयर जिसमें 7,35,000 बोनस शेयर भी सम्मिलित हैं 14,70,000 equity shares inclusive of Bonus shares 7,35,000 of Rs. 10/- each fully paid up in M/s. ECIL - Rapiscan Ltd.	**73.50**	73.50
3.	मेसर्स ए.पी. गैस पावर कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद में 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 4,60,960 ईक्विटी शेयर जिनमें बोनस शेयर 1,92,960 शामिल हैं। 4,60,960 equity shares inclusive of Bonus shares 1,92,960 of Rs.10/- each fully paid up in M/s. Andhra Pradesh Gas Power Corporation Limited, Hyderabad.	**26.80**	26.80
4.	आन्ध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद में 10 रुपये प्रत्येक के 2,68,000 के ईक्विटी शेयर के 24 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से पूर्ण रूप से प्रदत्त किया गया है। 2,68,000 equity shares of Rs.10/- each, in Andhra Pradesh Gas Power Corporation Limited, Hyderabad at Rs.24/- per share, fully paid up	**64.32**	64.32
	कुल **Total**	**164.64**	164.64

अनुसूची ''एफ'' मालसूचियाँ
SCHEDULE "F" INVENTORIES

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

		31.03.2007	31.03.2006
प्रबन्धन द्वारा मूल्यांकित एवं प्रमाणित किये गये अनुसार As valued and certified by the management			
ए) तैयार स्टाक a) Finished Stock		**634.65**	648.76
बी) चालू कार्य b) Work-in-Progress		**3233.87**	3799.20
सी) रद्दी माल c) Scrap		**19.56**	36.89
डी) कच्ची सामग्रियाँ, असेम्बलीज व संघटक d) Raw Materials, Assemblies and Components		**1878.65**	1616.21
ई) भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और पैकिंग सामग्रियाँ e) Stores & Spares and Packing Materials		**241.76**	286.82
एफ) औजारों का स्टाक f) Stock of Tools		**23.25**	22.48
जी) मार्गस्थ सामग्रियाँ g) Materials-in-Transit		**824.10**	1271.60
	कुल **Total**	**6855.84**	7681.96

अनुसूची ''जी'' फुटकर देनदार
SCHEDULE "G" SUNDRY DEBTORS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

		31.03.2007	31.03.2006
ए) छः महीनों से अधिक अवधि तक बकाया पडे कर्ज :			
A) DEBTS OUTSTANDING FOR A PERIOD EXCEEDING SIX MONTHS :			
प्रतिभूति रहित :			
Unsecured :			
i) वसूली योग्य माने गये			
Considered good		**14136.31**	16956.05
ii) संदिग्ध माने गये			
Considered doubtful		**2438.17**	1765.68
	कुल (ए)		
	Total (A)	**16574.48**	18721.73
बी) अन्य कर्ज : #			
B) OTHER DEBTS :			
प्रतिभूति रहित :			
Unsecured :			
वसूली योग्य माने गये			
Considered good		**84734.59**	62512.63
	कुल (बी)		
	Total (B)	**84734.59**	62512.63
	कुल (ए) + (बी)		
	Total (A) + (B)	**101309.07**	81234.36
घटायें : संदिग्ध माने गये कर्जों के लिये प्रावधान			
Less: Provision for debts considered doubtful		**2438.17**	1765.68
	कुल		
	Total	**98870.90**	79468.68

एएस-7 कन्स्ट्रक्शन कांट्राक्टस के अंतर्गत दीर्घावधि परियोजना के संबंध में 52555.88 लाख रुपये (गत वर्ष 40533.08 लाख रुपये) आय को अद्यतन रूप में मान्यता दी गई परंतु ग्राहकों को बिल नहीं किया गया ।

Includes Rs.52555.88 lakhs (Previous year Rs. 40533.08 lakhs) towards Income recognised up to date in respect of Long Term Project under AS-7 'Construction Contracts' but not billed to Customers.

अनुसूची ''एच'' रोकड तथा बैंक शेष
SCHEDULE "H" CASH AND BANK BALANCES

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

		31.03.2007		31.03.2006	
1.	**नगद शेष राशि**				
	CASH BALANCE				
	ए) हाथ में नगद				
	a) Cash on hand	**5.50**		3.15	
	बी) अधिकारियों के पास अग्रदाय नगद				
	b) Imprest Cash with Officers	**0.52**		0.33	
	सी) मार्गस्थ/तैयार चेक				
	c) Cheques on hand/in-transit	**2596.46**		166.18	
	डी) उपलब्ध स्टैम्प				
	d) Stamps on hand	**0.06**	**2602.54**	0.08	169.74
2.	**अनुसूचित बैंकों के पास बैंक में शेष राशि**				
	BANK BALANCES WITH SCHEDULED BANKS				
	ए) चालू खाते				
	a) Current Accounts	**1882.41**		2265.56	
	बी) वसूली खाते				
	b) Collection Accounts	**3766.34**		481.25	
	सी) मार्गस्थ प्रेषित राशियाँ				
	c) Remittances-in-transit	**0.99**		1.39	
	डी) मियादी जमा (इसमें सम्मिलित है जो लियन के अंतर्गत है - अनुसूची - 'पी' की नोट सं. 15 (vi))				
	d) Fixed Deposits (including those under lien - Note No. 15 (vi) of Schedule - P)	**16249.99**	**21899.73**	16023.00	18771.20
	कुल **Total**		**24502.27**		18940.94

अनुसूची ''आई'' ऋण और अग्रिम राशियाँ
SCHEDULE "I" LOANS & ADVANCES

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

		31.03.2007		31.03.2006	
1.	**वसूली योग्य मानी गयीं अग्रिम राशियाँ जिनके प्रति कंपनी पूरी तरह सुरक्षित है :**				
	ADVANCES CONSIDERED GOOD IN RESPECT OF WHICH THE COMPANY IS FULLY SECURED:				
	वाहनों के दृष्टिबंधन पर स्टाफ को दी गयीं अग्रिम राशियाँ				
	Advances to staff against hypothecation of vehicles		**191.30**		204.88
2.	**असुरक्षित अग्रिम राशियाँ – शोध्य मानी गयीं परंतु उनके संबंध में कंपनी के पास पार्टी की निजी प्रतिभूति के सिवाय कुछ नहीं है :**				
	ADVANCES UNSECURED - CONSIDERED GOOD IN RESPECT OF WHICH THE COMPANY HOLDS NO SECURITY OTHER THAN THE PARTY'S PERSONAL SECURITY:				
	ए) कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम				
	a) Advances to employees	**284.13**		320.80	
	बी) माल और सेवाओं के लिये आपूर्तिकर्त्ताओं को दिये गये अग्रिम				
	b) Advances to suppliers for goods and services	**1743.41**		1745.08	
	सी) उपार्जित आय				
	c) Accrued Income:	**331.85**		629.49	
	डी) अन्य अग्रिम राशियाँ				
	d) Other Advances	**567.78**		551.81	
	ई) ग्राहकों और अन्यों के दावे				
	e) Claims with Customers and Others	**418.75**		384.29	
	एफ) जमा राशियाँ				
	f) Deposits	**573.07**		664.18	
	जी) स्रोत पर काटा गया आयकर				
	g) Tax deducted at source	**1035.12**		518.20	
	एच) पूर्व प्रदत्त व्यय				
	h) Prepaid expenses	**50.10**		90.03	
	आई) सीमाशुल्क, पोर्ट ट्रस्ट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदि के पास बची शेष राशियाँ आदि				
	i) Balances with customs, Port Trust, Central Excise, etc.	**388.10**		433.76	
	जे) अग्रिम कर (आयकर प्राधिकारी)				
	j) Advance Tax (IT)	**8923.09**	**14315.40**	8113.46	13451.10
3.	**संदिग्ध माने गये अग्रिम**				
	ADVANCES CONSIDERED DOUBTFUL	**247.91**		221.20	
	घटायें : संदिग्ध माने गये अग्रिमों के लिये प्रावधान				
	Less: Provision for advances considered doubtful	**247.91**	**0.00**	221.20	0.00
	कुल				
	Total		**14506.70**		13655.98

अनुसूची ''जे'' चालू देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE "J" CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

		31.03.2007		31.03.2006	
1.	**चालू देयताएँ**				
	CURRENT LIABILITIES				
	ए) मालों, मशीनरी तथा अन्यों के लिये फुटकर लेनदार				
	a) Sundry Creditors for goods, machinery and others	**17726.75**		20355.52	
	बी) फुटकर लेनदार - एसएसआई एकक				
	b) Sundry Creditors - SSI Units	**156.70**		87.32	
	सी) बैंकों से खरीदारों का क्रेडिट				
	c) Buyers' Credit from Banks	**1009.66**		0.00	
	डी) व्ययों के लिए फुटकर लेनदार				
	d) Sundry Creditors for expenses	**11888.95**	**30782.06**	8061.79	28504.63
	ई) ग्राहकों से लिये गये अग्रिम				
	e) Advances from customers		**49848.50**		45335.22
	एफ) सरकारी सहायता अनुदान की राशि				
	f) Government Grants-in-Aid		**1201.86**		1380.63
	जी) जमा राशियाँ				
	g) Deposits		**484.68**		448.06
	एच) परिसर के पट्टे के लिए प्रतिभूति जमा राशि				
	h) Security Deposit for Lease of Premises		**1069.20**		1069.20
	आई) अन्य देयताएँ				
	i) Other liabilities		**4906.16**		3535.96
	कुल **Total - 1**		**88292.46**		80273.70
2.	**प्रावधान**				
	PROVISIONS				
	आयकर के लिए For Income Tax		**10930.53**		7115.09
	अनुषंगी लाभ कर के लिए For Fringe Benefit Tax		**187.46**		91.75
	प्रस्तावित लाभांश के लिए For proposed Dividend		**3097.62**		845.33
	प्रस्तावित लाभांश पर कर के लिए For Tax on proposed Dividend		**526.44**		118.56
	तैयार माल के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिये For Excise Duty on Closing stock of Finished Goods		**415.90**		351.03
	उपदान के लिये For Gratuity		**416.06**		417.40
	अर्जित छुट्टी के नगदीकरण के लिए For Earned Leave Encashment		**1898.00**		1572.15
	वारंटी प्रभार के लिए For Warranty Charges		**1764.43**		992.88
	कुल **Total 2**		**19236.44**		11504.19
	कुल **Total (1+2)**		**107528.90**		91777.89

अनुसूची ''के'' विविध व्यय
SCHEDULE "K" MISCELLANEOUS EXPENDITURE

(बट्टे खाते डालने या समायोजन न किया जा सका)
(To the extent not written off or adjusted)

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

		31.03.2007		31.03.2006	
तकनीकी जानकारी					
TECHNICAL KNOW HOW					
प्रारंभिक शेष					
Opening Balance		**3.00**		28.82	
जमा : वर्ष के दौरान जमा					
Add: Additions during the year		**11.81**		17.00	
		14.81		45.82	
कम : वापसी / प्रभार मुक्त					
Less: Withdrawn/Charged off		**14.81**	**0.00**	42.82	3.00
	कुल				
	Total		**0.00**		3.00

अनुसूची ''एल'' अन्य आय

SCHEDULE "L" OTHER INCOME

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

		2006-2007		2005-2006	
1.	**निम्न पर ब्याज**				
	INTEREST ON				
	ए) स्टाफ को दिये गये अग्रिमों पर				
	a) Staff advances	**13.22**		14.54	
	बी) बिजली जमा राशियाँ (एपीएसईबी)				
	b) Electricity Deposits (APSEB)	**2.86**		2.86	
	सी) आयकर विभाग से वापसी				
	c) Income Tax Refunds	**0.00**		15.73	
	डी) विशेष जमा राशि प्राप्तियाँ [मूल स्रोत पर कटौती की गयी कर 359.44 लाख रुपये (गत वर्ष 325.53 लाख रुपये)]				
	d) Term Deposit Receipts [Tax deducted at source Rs.359.44 lakhs (Previous Year Rs.325.53 lakh)]	**1589.85**		1385.57	
	ई) अन्य				
	e) Others	**13.24**	**1619.17**	5.89	1424.59
2.	**अधिशेष भण्डारों का विक्रय**				
	SALE OF SURPLUS STORES		**5.53**		2.29
3.	**नियत आस्तियों की बिक्री पर लाभ**				
	PROFIT ON SALE OF FIXED ASSETS		**4.45**		41.74
4.	**अन्य**				
	OTHERS				
	ए) किराये				
	a) Rent	**10.03**		17.61	
	बी) रद्दी की बिक्री				
	b) Sale of scrap	**92.65**		16.76	
	सी) बीमा दावे				
	c) Insurance Claims	**56.06**		18.62	
	डी) सीमा शुल्क दावे				
	d) Customs Duty claims	**0.19**		0.18	
	ई) प्रावधानों की वापसी				
	e) Provisions withdrawn	**1060.86**		1578.76	
	एफ) दावा नहीं की गयीं देयताएँ पीछे लिखी गयीं				
	f) Unclaimed liabilities written back	**14.78**		13.87	
	जी) विविध :				
	g) Miscellaneous	**454.72**	**1689.29**	242.41	1888.21
5.	**जॉइंट वेन्चर कंपनी (ईसीआईएल-रैपिस्कॅन लिमिटेड) से लाभांश**				
	DIVIDEND FROM JOINT VENTURE COMPANY (ECIL-Rapiscan Ltd.)		**36.75**		29.40
	कुल Total		**3355.19**		3386.23

अनुसूची ''एम-1'' चालू कार्य एवं तैयार माल के स्टाकों में अभिवृद्धि (+)/ कमी (-)
SCHEDULE "M-1" ACCRETION(+)/DECRETION(-) IN STOCKS OF WORK-IN-PROGRESS AND FINISHED GOODS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2006-2007	2005-2006
अंतिम माल		
CLOSING STOCKS		
i) तैयार माल		
Finished Stock	**634.65**	648.76
ii) चालू कार्य		
Work-in-progress	**3233.87**	3799.20
iii) रद्दी		
Scrap	**19.56**	36.89
	3888.08	4484.85
घटाएँ : आरंभिक माल		
LESS: OPENING STOCKS		
i) तैयार माल		
Finished Stock	**648.76**	945.75
ii) चालू कार्य		
Work-in-progress	**3799.20**	3372.20
iii) रद्दी		
Scrap	**36.89**	7.17
	4484.85	4325.12
अभिवृद्धि (+) / कमी (-) **Accretion(+)/Decretion(-)**	**-596.77**	159.73

अनुसूची ''एम-2'' उपभुक्त सामग्री
SCHEDULE "M-2" MATERIALS CONSUMED

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2006-2007		2005-2006	
1. कच्ची सामग्रियों, असेम्ब्लीज एवं संघटकों का उपभोग CONSUMPTION OF RAW MATERIALS, ASSEMBLIES AND COMPONENTS				
आरंभिक माल				
Opening Stock	**1616.21**		1648.53	
जोडें : विक्रय (विक्रय और समायोजन के बाद)				
Add: Purchases(after sales and adjustments)	**45742.60**		37659.79	
जोडें : विभागीय अंतरण - उत्पादन				
Add: Departmental transfers - Production	**1236.60**		388.24	
	48595.41		39696.56	
घटायें : कर से मुक्ति / लोप के लिये प्रावधान				
Less: Derations/Provision for obsolescence	**31.68**	**48563.73**	12.37	39684.19
घटायें : अंतिम माल				
Less: Closing Stock		**1878.65**		1616.21
		46685.08		38067.98
2. निम्न का उपभोग CONSUMPTION OF				
ए) भंडार और अतिरिक्त पुर्जे				
a) Stores and Spares	**53.68**		187.88	
बी) पैकिंग सामग्रियाँ				
b) Packing materials	**110.81**		72.18	
सी) औजार				
c) Tools	**16.10**	**180.59**	30.56	290.62
3. बेचे गये/उपभुक्त पुर्जों और उपसाधनों की लागत COST OF ACCESSORIES & SPARES SOLD/CONSUMED		**581.11**		558.33
कुल **Total**		**47446.78**		38916.93

अनुसूची ''एम-3'' कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ
SCHEDULE "M-3" EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2006-2007	2005-2006
कर्मचारियों को वेतन, मजदूरियाँ और अन्य लाभ *		
SALARIES, WAGES AND OTHER BENEFITS TO EMPLOYEES *		
ए) वेतन, मजदूरियाँ और बोनस #		
a) Salaries,Wages and Bonus #	**15190.78**	13415.32
बी) प्रशासनिक प्रभारों सहित भविष्य निधि में योगदान		
b) Contribution to Provident Fund including administrative charges	**1317.13**	1280.54
सी) उपदान निधि में योगदान		
c) Contribution to Gratuity Fund	**425.76**	430.18
डी) सेवांत हितलाभ (स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना)		
d) Terminal Benefits (Voluntary Retirement Scheme)	**1371.16**	1479.85
ई) कल्याण व्यय		
e) Welfare expenses	**990.24**	918.12
कुल **Total**	**19295.07**	17524.01

*** शामिल हैं :**
*** Includes :**

ए) अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक के पारिश्रमिक		
A) CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR'S REMUNERATION		
वेतन / Salary	**4.33**	5.47
भविष्य निधि में अंशदान Contribution to PF	**0.30**	0.00
अन्य लाभ / Other Benefits	**3.20**	4.31
	7.83	9.78
बी) निदेशकगण के पारिश्रमिक		
B) DIRECTORS' REMUNERATION		
वेतन / Salary	**14.72**	15.97
भविष्य निधि में अंशदान Contribution to PF	**1.62**	1.76
पेंशन एवं अन्य लाभ Pension and Other Benefits	**13.57**	6.77
	29.91	24.50
कुल (ए + बी) **TOTAL (A+B)**	**37.74**	34.28

\# अनुसूची ''पी'' टिप्पण संख्या 14 का संदर्भ लें
\# Reference is invited to Note No.14 of Schedule ' P '

अनुसूची ''एम-4'' विनिर्माण, प्रशासन एवं अन्य व्यय
SCHEDULE "M-4" MANUFACTURING, ADMINISTRATION & OTHER EXPENSES

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2006-2007		2005-2006	
1. बिजली और ईंधन Power and Fuel		**264.94**		312.43
2. जल प्रभार Water Charges		**139.50**		132.79
3. मरम्मत एवं अनुरक्षण Repairs & Maintenance				
ए) भवन a) Buildings	**97.77**		199.08	
बी) संयंत्र एवं मशीनरी b) Plant & Machinery	**52.73**		136.02	
सी) अन्य c) Others	**147.00**	**297.50**	109.87	444.97
4. किराया Rent		**120.89**		89.79
5. पौरकर और कर Rates and Taxes		**205.09**		79.83
6. बीमा Insurance		**106.17**		118.66
7. मुद्रण व लेखन सामग्री Printing & Stationery		**78.61**		81.88
8. डाक, तार, टेलिफोन और टेलेक्स Postage, Telegram, Telephones & Telex		**137.85**		146.35
9. विज्ञापन Advertisement		**11.50**		12.71
10. यात्रा और सवारी व्यय Travelling and Conveyance expenses		**953.27**		825.51
11. वाहन व्यय Vehicle expenses		**148.34**		132.25
12. निदेशकों के शुल्क और यात्रा व्यय Directors' fees and travelling expenses		**1.14**		0.35
13. लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय लेखा परीक्षकों के रूप में : Auditors' fees and expenses As Auditors :				
ए) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क a) Statutory Audit fee - चालू वर्ष - Current year	**4.00**		4.00	
बी) व्यय b) Expenses	**1.19**	**5.19**	1.57	5.57

जारी / Contd...

अनुसूची ''एम-4'' विनिर्माण, प्रशासन एवं अन्य व्यय (जारी...)
SCHEDULE "M-4" MANUFACTURING, ADMINISTRATION & OTHER EXPENSES (Contd...)

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

		2006-2007		2005-2006	
14.	विविध व्यय Other Expenses				
	i) विनिमय दर परिवर्तन Exchange Rate Variation	**4.62**		50.94	
	ii) बैंक प्रभार Bank Charges	**9.90**		15.53	
	iii) बैंक प्रतिभूतियों पर कमीशन Commission on Bank Guarantees	**35.16**		15.57	
	iv) अतिथि गृह व्यय Guest House expenses	**16.25**		9.41	
	v) मनोरंजन व्यय Entertainment expenses	**10.95**		10.60	
	vi) व्यवसायी और परामर्शी प्रभार Professional and Consultancy charges	**346.57**		368.84	
	vii) पट्टा भाडे Lease Rentals	**227.83**		185.66	
	viii) पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएँ Books and Periodicals	**11.66**		6.57	
	ix) फ्रैन्चैसीस को भुगतान Payment to Franchisees	**899.61**		845.77	
	x) विविध Miscellaneous	**1356.13**	**2918.68**	649.44	2158.33
15.	i) कर मुक्ति Derations (Material Obsolescence)	**112.20**		118.61	
	ii) बट्टे खाते डालना : Write offs :	**37.49**	**149.69**	15.15	133.76
16.	स्टाफ प्रशिक्षण व्यय Staff training expenses		**14.44**		22.36
17.	तकनीकी जानकारी Technical Know-how		**14.81**		42.82
18.	चंदे Donations		**0.05**		0.50
19.	संदिग्ध समझे जाने वाले ऋण एवं अग्रिमों के लिये प्रावधान Provision for amounts considered doubtful-Loans and Advances		**51.82**		8.70
	कुल **Total**		**5619.48**		4749.56

अनुसूची ''एम-5'' बिक्री व्यय
SCHEDULE "M-5" SELLING EXPENSES

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

			2006-2007		2005-2006
1.	विज्ञापन - वाणिज्यिक Advertisement - Commercial		**14.94**		5.63
2.	बिक्री व्यय Selling expenses		**1199.08**		372.06
3.	रायल्टियाँ Royalties		**32.14**		6.40
4.	बिक्री एजेंटों को कमीशन Commission to Selling Agents		**104.48**		110.15
5.	संदिग्ध राशियों के लिये प्रावधान - फुटकर देनदार Provision for amounts considered doubtful - Sundry debtors		**230.71**		1041.77
6.	निर्णीत हर्जाना Liquidated damages		**1401.05**		487.83
7.	बट्टे खाते डाली गई नावसूल राशियाँ Irrecoverable amounts written-off				
	- बट्टे खाते डाली गई अशोध्य ऋण Bad Debts written off	**635.75**		727.87	
	- बट्टे खाते डाले गये खाते Claims written off	**0.97**	**636.72**	0.00	727.87
	कुल **Total**		**3619.12**		2751.71

अनुसूची ''एम-6'' ब्याज
SCHEDULE "M-6" INTEREST

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

		2006-2007	2005-2006
1.	रोकड जमा लेखा Cash Credit Account	**11.72**	1.85
2.	नियत जमाओं के विरुद्ध ऋण Loans against Fixed Deposits	**155.22**	129.35
3.	ग्राहक पेशगियों एवं अन्यों पर ब्याज Interest on Customer Advances and Others	**116.95**	48.34
	कुल **Total**	**283.89**	179.54

अनुसूची ''एन'' परियोजना और अन्य लेखों को अंतरण
SCHEDULE 'N' TRANSFERS TO PROJECTS AND OTHER ACCOUNTS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

		2006-2007	2005-2006
1.	वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर व्यय Expenditure on Scientific Research and Development		
	– आंतरिक In House	**3199.55**	2714.79
	– अनुदान Grants-in-Aid	**529.67**	856.38
2.	पूँजी उपयोग के लिए आँतरिक कार्य Internal Jobs for Capital use	**18.78**	81.70
3.	मरम्मत और अनुरक्षण - आंतरिक Repairs and Maintenance - Internal	**82.56**	200.91
4.	अतिथि-गृह व्यय Guest House Expenses	**7.96**	7.96
5.	बीमा - क्रय Insurance - Purchases	**6.07**	7.04
6.	फालतू पुर्जे Spare Parts	**0.00**	25.58
7.	विभागीय स्थानान्तरण - उत्पादन Departmental Transfers - Production	**1194.26**	341.45
8.	सेवा कर इनपुट क्रेडिट Service Tax Input Credit	**293.91**	136.57
	कुल **Total**	**5332.76**	4372.38

अनुसूची ''ओ'' पूर्वावधि समायोजन
SCHEDULE "O" PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

		2006-2007	2005-2006
I. आय			
INCOME			
1. विक्रय			
Sales		**37.80**	10.02
2. अन्य प्राप्तियाँ			
Other Receipts		**-3.74**	-0.49
	कुल **Total I**	**34.06**	9.53
II. व्यय			
EXPENDITURE			
1. कच्ची सामग्री का उपभोग			
Consumption of Raw Materials		**-11.75**	2.82
2. प्रशासनिक एवं बिक्री व्यय			
Administrative & Selling Expenses		**3.96**	-6.01
3. मूल्यह्रास			
Depreciation		**2.47**	11.03
4. दरें एवं कर			
Rates &Taxes		**0.00**	0.54
	कुल **Total II**	**-5.32**	8.38
	कुल **Total (I+II)**	**39.38**	1.15

अनुसूची ''पी'' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ

1. प्रकटीकरण से मुक्ति :

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग-2 के यथा संशोधित निम्न प्रावधानों सहित प्रकटीकरण अनुपालन से कंपनी को कंपनी कार्य के दिनांक 30-04-2007 के पत्रांक 46/87/2007-सी एल-3 के अनुसार मुक्ति दी गयी :

पैरा	ब्यौरा
3(i)(ए)	प्रत्येक दर्जे के माल एवं उसकी मात्रा के संबंध में बिक्री संबंधी विवरण
3(ii)(ए)(1) & (2),3(ii)(डी)	माल का प्रारंभिक एवं समापन स्टाक, कच्ची सामग्री का क्रय, विक्रय एवं खपत उसके मात्रात्मक विवरण और अर्पित सेवाओं से सकल आय के साथ
4सी	विनिर्मित प्रत्येक दर्जे के माल के संबंध में उत्पादन की लाईसेंस क्षमता, प्रस्थापित क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन के संबंध में विवरण
4डी(ए)	कच्ची सामग्री, संघटक, अतिरिक्त पुर्जे एवं पूंजिगत माल के संबंध में वित्त वर्ष के दौरान लागत बीमा भाडा आधार पर आकलित आयातों का मूल्य
4डी(सी)	आयातित एवं स्वदेशी कच्ची सामग्री, संघटक एवं अतिरिक्त पुर्जों की खपत का मूल्य और कुल खपत में प्रत्येक की प्रतिशतता

2. लेखांकन नीतियों में बदलाव के कारण लेखे पर प्रभाव :

राजस्व मान्यता पर लेखांकन नीतियों में कुछ बदलाव किये गए वे है, लेखा मानकों पर ए (i) ए.बी.सी. तथा ए (iv) तथा पट्टों, (आर) अधारित है और हमारा यह मानना है कि इस बदलाव के कारण यह प्रभाव मटेरियल/क्वान्टियेबल नहीं है केवल लेखांकन नीति ए (iv) को छोडकर जिसकी वजह से टर्नओवर में 2025.75 लाख तथा पी बी टी रु.707.99 लाख में वृद्धि हुई है।

3. लेखांकन मानकों का अनुपालन (ए एस) (कंपनी अधिनियम की धारा 211 के अनुसार)

ए) निर्माण ठेका (लेखांकन मानक - 7):

ए) लेखांकन नीति सं. ए (iv) की शर्तों के अनुसार इस प्रयोजनार्थ गठित तकनीकी समिति द्वारा प्रमाणित पूरे हुए काम की प्रतिशतता के आधार पर एएस-7 के अनुसार (निर्माण ठेके) निर्माण राजस्व रु.36198.37 लाख (गत वर्ष 25238.54 लाख रुपये) को मान्यता दी गई जो निम्न पद्धति पर आधारित है :-

i) 31-03-2007 तक वास्तविक लागत पर अनुपात पर 12873.60 लाख रुपये ठेका की अनुमानित कुल लागत है।

ii) ठेका कार्य फिजिकल प्रपोर्शन का प्रतिशत 23324.77 लाख रुपये है, जिसमें संबधित सेवाएँ शामिल है।

बी) 104012.00 लाख रुपये लागत तथा ठेका मान्यताप्राप्त लाभ 31-03-2007 (मान्यता प्राप्त हानि कम) - 104012.00 लाख रुपये

सी) प्राप्त अग्रिम - 49923 लाख रुपये

डी) ग्राहकों से देय सकल राशि - 52554 लाख रुपये

ई) ग्राहकों को देय सकल राशि - शून्य

एफ) रिटेन्शन्स, यदि कोई हो - शून्य

बी) खण्ड रिपोर्टिंग (एएस-17)

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के अंतर्गत वार्षिक लेखे में मात्रात्मक विवरण का प्रकटीकरण कंपनी कार्य विभाग द्वारा छूट दी गयी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3बी) के नुसार कंपनी गतिविधियों की सामरिक स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए एएस-17 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार खण्डवार विवरण प्रकट करना विवेकपूर्ण नहीं है । इस तरह का अप्रकटीकरण से वित्त पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा ।

++

Schedule 'P' – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS

1 EXEMPTION FROM DISCLOSURE:

Exemption was granted by Ministry of Company Affairs vide Letter.No.46/87/2007-CL-III dated 30.04.2007 to the Company from disclosure compliance of the following provisions contained in Part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956 as amended:

PARA	PARTICULARS
3(i)(a)	Details regarding Sales in respect of each class of goods with quantities thereof.
3(ii)(a)(1)&(2),3(ii)(d)	Value of opening and closing stocks of goods, purchases, sales and consumption of raw materials with value and quantitative break up and Gross Income from services rendered.
4C	Details regarding licensed capacity, installed capacity and actual production in respect of each class of goods manufactured.
4D(a)	Value of imports calculated on CIF basis by the Company during the financial year in respect of raw materials, components and spare parts and capital goods.
4D(c)	Value of imported and indigenous Raw materials, components and spares consumed and percentage of each to the total consumption.

2 IMPACT ON ACCOUNTS DUE TO CHANGES IN THE ACCOUNTING POLICIES :

Certain changes have been made in the Accounting Policies on Revenue recognition ie., A (i) a,b,c and A (iv) and Leases ie., (R) to fall in line with the Accounting Standards and we are of the view that the impact on account of such changes is not material/quantifiable except with regard to change in Accounting Policy A (iv), which resulted in an increase in turnover by Rs.2025.75 Lakhs and PBT by Rs.707.99 Lakhs.

3 COMPLIANCE TO ACCOUNTING STANDARDS (AS) (Pursuant to Sec 211 of the Companies Act)

A) CONSTRUCTION CONTRACTS (ACCOUNTING STANDARD -7) :

a) In terms of Accounting Policy No. A(iv) Contract Revenue of Rs. 36198.37 Lakhs (previous year Rs. 25238.54 lakhs) is recognized as per AS-7 (Construction Contracts), based on the percentage of completion of works, as certified by a technical committee, by the following methods:-

i) Rs.12873.60 lakhs on the ratio of actual costs incurred up to 31-3-2007, to the estimated total cost of the contract.

ii) Rs.23324.77 lakhs on the percentage completion of the physical proportion of the contract work, including related services.

b)	Contract costs incurred and recognized profits (Less Recognized losses) up to 31.03.2007	-	Rs.104012.00 lakhs
c)	Advances received	-	Rs. 49923.00 lakhs
d)	Gross amount due from customers	-	Rs. 52554.00 lakhs
e)	Gross amount due to customers	-	NIL
f)	Retentions, if any.	-	NIL

B) SEGMENT REPORTING (AS-17) :

Disclosure of quantitative particulars in the Annual Accounts as required under Schedule VI of the Companies Act, 1956 was exempted by Ministry of Company Affairs. Therefore it is considered not prudent to disclose segment wise details as required under AS-17, in view of the strategic nature of the Company's activities. Such non-disclosure has no financial effect.

++

अनुसूची ''पी'' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी...)

सी) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18) :

i) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक :

श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक (29-9-06 तक)

श्री के.एस. राजशेखर राव, अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक (29-9-06 से) अतिरिक्त प्रभार निदेशक (वित्त) 11-10-06 से 9-5-07 तक)

श्री ए. मुरुगेशन, निदेशक (वित्त) (11-10-06 तक)

श्री आर.आर. पण्डालै, निदेशक (कार्मिक) (31-03-07 तक)

श्री जी.एन.वी. सत्यनारायण, निदेशक (तकनीकी)

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक को मेहनताना 37.74 लाख रुपये (अनुसूची एम-3 देखें)(गत वर्ष 34.28 लाख रुपये)

ii) ईसीआईएल-रेपिस्कान लि. एक साझा कंपनी (जेवीसी) है जिसमें ईसीआईएल का शेयर 49% है। वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी निर्णय लेने में जेवीसी पर ईसीआईएल का कोई प्रभाव, जो भी हो, न होने पर प्रकटीकरण आवश्यकता के प्रयोजनार्थ एएस-18 के प्रावधान लागू नहीं माने जाते।

डी) कमाई प्रति शेअर (एएस-20)

31-3-2007 को समाप्त वर्ष के लिये एएस-20 के अनुसार कमाई प्रति शेयर निम्नप्रकार गणना की गई :

लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार कर के बाद शुद्ध लाभ (लाख रुपये)		**12837.04**
1-4-2006 को ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या (संख्या)		**1548812**
84,900 ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या 31-03-07 तक लंबित आबंटन (01-02-2007 को राशि प्राप्त की गई)		**14150**
प्रत्येक शेयर डैल्यूटेड आय की गणना के लिये ईक्विटी शेयरों की भारित औसतन संख्या		**1562962**
ईक्विटी शेयर का सामान्य मूल्य	रु.	**1000**
कमाई प्रति शेयर (मूल)	रु.	**828.83**
कमाई प्रति शेयर (पतला)	रु.	**821.33**

ई) आय पर करों के लिये लेखांकन (एएस-22)

i) एएस-22 के अनुरूप 31-3-2007 को कंपनी ने 1338.11 लाख रुपये शुद्ध संचित आस्थगित कर परिसम्पत्ति रिकार्ड किया है (गत वर्ष 574.12 लाख रुपये)। आगे, चालू वर्ष से संबंधित 763.99 लाख रुपये (गत वर्ष 840.42 लाख रुपये) शुद्ध आस्थगित कर देयता वर्ष 2006-2007 के लाभ व हानि लेखों में मान्यता प्राप्त की गयी है।

Schedule 'P' – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

C) RELATED PARTY DISCLOSURE (AS-18):

i) Key Management Personnel :

Shri G P Srivastava, Chairman & Managing Director (upto 29.09.06)

Shri K S Rajasekhara Rao, Chairman & Managing Director (from 29.09.06)

(Addl charge of Director(F) from 11.10.06 to 09.05.07)

Shri A Murugesan, Director (F)(upto 11.10.06)

Shri R R Pandalai, Director (P) (upto 31.03.07)

Shri G N V Satyanarayana, Director (T)

Remuneration to Key Management Personnel - Rs 37.74 lakhs (Refer Schedule M-3) (Previous year Rs.34.28 lakhs).

ii) ECIL-Rapiscan Ltd., is a Joint Venture company (JV) in which the share holding interest of ECIL is 49%. Since ECIL has no influence whatsoever to exercise over the JV in making financial or operating decisions, the provisions of AS-18 for the purpose of disclosure requirement are not considered applicable.

D) EARNINGS PER SHARE (AS-20)

Earnings per share as per AS-20 are calculated as shown below for the year ended 31.03.2007.

Net Profit after tax as per Profit and Loss Account (Rs. in Lakhs)		**12837.04**
Weighted Number of equity shares as on 01.04.2006 (Nos.)		**1548812**
Weighted average number of 84900 Equity shares pending allotment as on 31.03.07 (amount received on 01.02.07)		**14150**
Weighted average number of equity shares for calculation of diluted earnings per share		**1562962**
Nominal value of equity share	**Rs.**	**1000**
Earnings per share (Basic)	**Rs.**	**828.83**
Earnings per Share (Diluted)	**Rs.**	**821.33**

E) ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

i) Pursuant to AS-22, the Company had recorded a net cumulative deferred tax asset of Rs.1338.11 lakhs as on 31.03.2007 (previous year Rs. 574.12 lakhs), recognizing a net deferred tax asset of Rs.763.99 lakhs (previous year Rs.840.42 lakhs) in the Profit and Loss Account for the year 2006-07.

अनुसूची ''पी'' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी...)

ii) समय अंतराल की वजह से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं में सम्मिलित हैं :

(रुपये लाखों में)

	आस्थगित कर			
	31.03.2007 को		31.03.2006 को	
विवरण	**परिसंपत्तियाँ**	**देयताएँ**	परिसंपत्तियाँ	देयताएँ
मूल्यह्रास		**4033.08**		3543.98
अ.छु. नगदीकरण के लिए प्रावधान	**1420.72**		1094.86	
तकनीकी जानकारी	**144.74**		129.93	
उत्पाद शुल्क	**345.04**		256.45	
बिक्री कर	**348.99**		514.97	
उपदान	**0.00**		430.18	
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना व्यय	**1984.84**		1183.88	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण तथा अग्रिम के लिये प्रावधान	**1155.65**		1564.38	
वेतन संशोधन बकाया के लिये प्रावधान	**1063.80**		0.00	
अन्य	**1544.69**		75.00	
कुल	**8008.46**	**4033.08**	5249.65	3543.98

एफ) एएस-29 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण, प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ :
एएस-7 के अंतर्गत कवर किये गये दीर्घ कालीन परियोजनाओं को छोडकर वारंटी पर व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:

(रुपये लाखों में)

विवरण	उत्पाद बिक्री पर	एएस-7 के अंतर्गत ठेके पर
1. 1.4.2006 तक अथ शेष	122.82	870.05
2. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	179.66	612.62
3. वर्ष के दौरान किये गये रिवर्सल्स	20.72	शून्य
4. **31.3.2007 तक अंत शेष**	**281.76**	**1482.67**

उत्पादों की बिक्री पर 0.5% की दर से वारंटी प्रभारों के लिए प्रावधान किया गया है। ए एस-7 के अंतर्गत ठेकों पर जहाँ तहाँ जरूरी है वहाँ 31-03-2007 तक कुल प्रोदभूत पर 2% की दर से वारंटी प्रावधान किया गया है। वारंटी लागत के लिए किसी प्रकार के प्रावधान आवश्यकता नहीं है जहाँ परियोजना मेकानिकल संरचना है और वेंडर्स के पास वारंटी है।

4. i) पट्टा कारबार (ए एस-19)

दिनांक 31.03.2007 को कंपनी की कोई परिसंपत्ति नहीं है जो अपने उपयोगार्थ पट्टे पर ली गई हो । ग्राहकों के अनुरोध पर पट्टा करार के अंतर्गत कतिपय परिसंपत्तियाँ प्राप्त की गयी हैं तथा उप-पट्टा करार के अंतर्गत संबंधित ग्राहकों को उप-पट्टे पर दी गयी हैं । ग्राहकों से प्राप्त 356.31 लाख रुपये पट्टा किराया आय तथा वर्ष 2006-2007 के लिये 227.83 लाख रुपये पट्टा वित्तीय कंपनियों को पट्टा किराया भुगतान लाभ तथा हानि खाते में क्रमश: आय एवं व्यय के रूप में दिखाया गया तथा क्रमश: ''पट्टा किराये से आय'' एवं ''पट्टा किराया भुगतान'' दर्शाया गया ।

386.82 लाख रुपयों की प्राप्तियों (गत वर्ष 355.80 लाख रुपये) के विरुद्ध कम्प्यूटर प्रणालियों को पट्टे पर लिये जाकर ग्राहकों को पुन: पट्टे पर दिये जाने के संबंध में 546.53 लाख रुपये (गत वर्ष 511.78 लाख रुपये) का भावी पट्टा किराया दायित्व है ।

31.3.2007 को भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान की राशि निम्न प्रकार है :

Schedule 'P' – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

ii) Major components of deferred tax assets and liabilities arising on account of timing differences are:

(Rs. in lakhs)

Particulars	DEFERRED TAX			
	AS ON 31.03.2007		AS ON 31.03.2006	
	Assets	**Liabilities**	Assets	Liabilities
Depreciation		**4033.08**		3543.98
Provision for EL encashment	**1420.72**		1094.86	
Technical know how	**144.74**		129.93	
Excise duty	**345.04**		256.45	
Sales tax	**348.99**		514.97	
Gratuity	**0.00**		430.18	
Voluntary Retirement Expenditure	**1984.84**		1183.88	
Provision for Bad & Doubtful Debts and advances	**1155.65**		1564.38	
Provision for Wage revision arrears	**1063.80**		0.00	
Others	**1544.69**		75.00	
TOTAL	**8008.46**	**4033.08**	5249.65	3543.98

F) Disclosures as required under AS-29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets :The details of provision made towards the expenditure on warranty are as under :

(Rs. in lakhs)

	Particulars	On product sales	On contracts under AS-7
1.	Opening Balance as on 01.04.2006	122.82	870.05
2.	Provisions made during the year	179.66	612.62
3.	Reversals made during the year	20.72	NIL
4.	**Closing balance as on 31.03.2007**	**281.76**	**1482.67**

Provision towards warranty charges have been made @ 0.5% on sale of products. Warranty provision @2% on the total income accrued upto 31.03.07 on contracts under AS-7 has been made wherever required. No provision is considered necessary towards warranty costs where the systems are backed by warranty with the vendors and where the project is a mechanical structure.

4. i) LEASE TRANSACTIONS(AS-19):

The Company does not have any assets as on 31.03.2007, which are taken on lease for its own use. At the instance of the customers, computer systems have been acquired under lease agreements and are sub-leased to the respective customers under separate sub lease agreements. The lease rental income of Rs.356.31 lakhs received from the customers and lease rental payments of Rs.227.83 lakhs for the year 2006-07 to the lease financing companies are accounted for as Income and Expenditure respectively in the Profit & Loss Account and included under the heads "Income from Lease Rentals" and "Lease Rental Payments" respectively.

Future lease rental obligation in respect of computer systems taken on lease and sub-leased to customers is Rs.386.82 lakhs (Previous year Rs.355.80 lakhs), as against receivables of Rs.546.53 lakhs (previous year Rs.511.78 lakhs).The quantum of future minimum lease payments as at 31.03.2007 is furnished below:

अनुसूची ''पी'' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी...)

(रुपये लाखों में)

i)	एक वर्ष से ज्यादा नहीं	**149.61**
ii)	एक वर्ष से ज्यादा लेकिन 5 वर्षों से ज्यादा नहीं	**237.21**
iii)	5 वर्षों से ज्यादा	**शून्य**

अवधि के लिए पूर्ण कंटिजेन्ट्स रेंट को आय के रूप में मान्यता दी गई शून्य

ii) वर्ष 2006-07 के दौरान बीओएमटी के आधार पर परिवहन विभाग पूरी तरह आटोमेटेड सेवाएँ प्रदान करने हेतु कंपनी ने केरला मोटर विहैकिल डिपार्टमेंट के लिए 4798 रुपये मूल्य का ठेके का कार्य किया है। ईसीआईएल द्वारा प्राप्त किये गए परिसंपत्तियाँ (फेर मूल्य 604 लाख रुपये) सह व्यापारियों से पट्टे पर किये गए (मूल्य 1550 लाख रुपये) जो केएमवीडी के साइटों पर तैनात है, और इन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में लेखांकित किया गया। (मैन्युफाक्चरर/डीलर लेसर)। केएमवीडी द्वारा सौंपे नहीं गए तीन साइटों को छोड कर सभी निर्धारित साइटों पर यह परियोजना सितंबर, 2006 से आपरेशनल है। प्राप्य योग्य पट्टे किराये तथा करेस्पडिंग देय पट्टे किराये जिसके लिए भविष्य के वर्ष में सेवा आय तथा व्यय को मान्यता दी जानी होगी, जो निम्नवत् है :-

(रुपये लाखों में)

	विवरण	पट्टा किराया सेवा आय (प्राप्य योग्य)	पट्टा किराया व्यय (देय योग्य)
(i)	एक वर्ष के बाद नहीं	**876.40**	**646.68**
(ii)	एक वर्ष के बाद तथा 5 वर्षों से पहले नहीं	**1314.61**	**970.02**
(iii)	पाँच वर्षों के बाद	**शून्य**	**शून्य**

5. सीईएनवीएटी / वीएटी

सीईएनवीएटी तथा वीएटीके बारे में लागू होनेवाली पद्धति जो भारतीय लेखापाल संस्थान द्वारा सुझाव दी गयी व्यावहारिक प्रतिबन्धों की दृष्टि से सख्ती से नहीं अपनाई जा सकी । उत्पाद शुल्क के आधार पर उपयोग की गई सीईएनवीएटी / वीएटी तथा उपलब्ध सीईएनवीएटी / वीएटी साख का लेखा क्रमश: उपभोग एवं मालसूची के विरुद्ध समायोजन द्वारा किया जाता है । उपर्युक्त के अनुसार, मार्गदर्शन नोट का अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जाता है तथा किसी वित्तीय प्रभाव के बारे में कंपनी कुछ भी अनुमान न लगा सकती फिर भी आईसीएआई मार्गदर्शन नोट के सख्ती अनुपालन में लेखा प्रविष्टियाँ प्रभावित नहीं हुई।

6. सहायता अनुदान

31-3-2007 को व्यय न किया गया सरकारी सहायता अनुदान 1201.86 लाख रुपये (गत वर्ष 1380.63 लाख रुपये) चालू देयताएँ एवं प्रावधान - अनुसूची - 'जे' के अंतर्गत निम्न समायोजन के पश्चात् :

(रुपये लाखों में)

	विवरण	वर्ष के अंत 31.03.2007	वर्ष के अंत 31.03.2006
i)	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	**456.00**	677.00
iii)	वर्ष के दौरान वापसी	**23.00**	40.00
iii)	वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से खर्च किया :		
	ए) राजस्व मदें	**527.76**	856.38
	बी) पूंजीगत मदें	**113.11**	62.34
iv)	वर्ष के दौरान खर्च न किया गया शेष राशि के रूप में ब्याज (साख) का आबंटन	**29.10**	43.13

Schedule 'P' – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

(Rs. in lakhs)

i)	Not later than one year	**149.61**
ii)	Later than one year and not later than 5 years	**237.21**
iii)	Later than five years	**NIL**

The total contingent rents recognised as income for the period is NIL

ii) During the year 2006-07, the company has taken up for execution, a contract valuing Rs. 4798 lakhs for Kerala Motor Vehicles Department (KMVD) for implementation of Fully Automated Services of Transport Department on BOMT basis. The assets procured by ECIL (Fair Value of Rs. 604.00 lakhs) together with the assets taken on lease from Business Associate (Value Rs.1550.00 Lakhs) have been deployed at various sites of KMVD, and accounted as a financial lease (by a manufacturer/dealer lessor). The project is operational from September, 2006, at all designated sites, except at three centres which could not be handed over by KMVD. The lease rentals receivable and corresponding lease rentals payable for which service income and expenditure are to be recognized in future years are given below :

(Rs. in lakhs)

	Particulars	Lease rentals Service income (Receivable)	Lease Rental Expenditure (Payable)
i)	Not later than one year	**876.40**	**646.68**
ii)	Later than one year and not later than 5 years	**1314.61**	**970.02**
iii)	Later than five years	**NIL**	**NIL**

5. CENVAT/VAT:

Treatment of CENVAT and VAT as suggested by Institute of Chartered Accountants of India in its Guidance Notes, could not rigidly be followed in view of the practical constraints. CENVAT/VAT credit utilised and CENVAT/VAT credit available are accounted through adjustments against consumption and inventory/capital assets respectively. By the above, the ultimate objective of the relevant Guidance Note is achieved and there is no significant financial impact on the results for the year.

6. GRANTS–IN–AID

Unspent balance of Government Grants-in-Aid Rs.1201.86 lakhs as on 31.03.2007 (Previous year Rs.1380.63 lakhs) under Current Liabilities and Provisions– Schedule– J is after consideration of the following adjustments:

(Rs.in Lakhs)

	Particulars	Year ended 31.03.2007	Year ended 31.03.2006
i)	Receipts during the year	**456.00**	677.00
ii)	Refund during the year	**23.00**	40.00
iii)	Actually utilized during the year towards:		
	a) Revenue Items	**527.76**	856.38
	b) Capital Items	**113.11**	62.34
iv)	Allocation of Interest (Credit) towards unspent balance of Grants during the year.	**29.10**	43.13

अनुसूची ''पी'' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी...)

7. मालसूचियाँ

(i) मालसूचियों में सम्मिलित हैं

ए) उप ठेकेदारों के पास 8.51 लाख रुपये (गत वर्ष 2.22 लाख रुपये) मूल्य की माल एवं

बी) 13.11 लाख रुपये (गत वर्ष 3.66 लाख रुपये) मूल्य की तैयार माल जो प्रदर्शनी /अनुमोदन/प्रदर्शन के लिये भेजी गयी।

(ii) लेखांकन नीति के अनुसार भविष्य प्रयोजनार्थ अधिशेष सामग्री का मूल्य किताबी मूल्य का 15% आंका गया जिसके परिणामस्वरूप मालसूची में 6.69 लाख रुपयों कटौती हुई (गत वर्ष शून्य)। लेखांकन तीति के अनुसार, अचल मालसूची मूल्य में (सीएसडी स्टाक को छोडकर) 25.00 लाख रुपयों की कटौती (गत वर्ष 12.37 लाख रुपयें) तथा सीएसडी स्टॉक के संबंध में मालसूची में 80.51 लाख रुपयें की कटौती की गई (गत वर्ष 106.24 लाख रुपयें)

(iii) चालू कार्य एवं तैयार माल का विमूल्यन : चालू कार्य एवं तैयार माल का विमूल्यन 134.26 लाख रुपयें (गत वर्ष 52.37 लाख रुपयें)

8. (ए) कच्ची सामग्री, भंडार एवं पुर्जे, चालू कार्य, तैयार माल, किताबी ऋण, नियत परिसंपत्तियाँ एवं भूमि तथा भवनों पर बंधक के साथ साथ सदस्य संघ के बीच रैंक द्वारा नकद आधार, चालू पूंजी एवं बैंकों से अल्पअवधि ऋण सुरक्षित है।

(बी) एम एस टी डी परियोजना के लिए डेफर्ड क्रेडिट शर्तों के अंतर्गत सामग्री प्राप्त करने ईसीआईएल रेपिस्कान लि. (जेवी कंपनी) को 1273.93 लाख रुपये देय है यह फुटकर लेन्दार में शामिल है। जेवी कंपनी के साथ किये गए करार के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया के फेवर में मालबंधन के जरिये उतनी ही राशि ईसीआईएल सेक्यूरिटी के रूप में आफर करेगी जिससे कि प्रोक्यूरमेंट और सुपुर्दगी वित्तीयन के लिए टर्म सुविधा प्राप्त कर सकें।

9. 31-03-2007 तक फुटकर देनदार में मेसर्स इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड से प्राप्त होनेवाले 3059.85 लाख रूपयें (गत वर्ष 3371.95 लाख रुपयें) शामिल हैं। यह उद्योग रुग्ण है। कंपनी को पूरा विश्वास है कि शेष राशि की भी वसूली हो जायेगी। ईसीलिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

10. भरेगए रिटर्नस/असेस्समेंट्स के अनुसार कंपनी ने आयकर एवं बिक्री कर अदा किया है। प्रावधान किया है (केवल वे दावें जहाँ पर निर्धारण पूरा किया गया है और अपील की गई) भविष्य में देयताएँ उत्पन्न हो, तो लंबित असेस्समेंट्स/अपील को पूरा होने पर उन असेस्समेंट्स का लेखें में लिखा जायेगा। विवादग्रस्त देयताओं को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया।

11. वर्ष के लिए बिक्री में शामिल है।

(i) लेखा नीति ए (iii) के अनुसार ग्राहकों के अनुरोध पर 341.64 लाख रुपये मूल्य का माल रोका गया जो सुपुर्दगी की स्थिति में हैं। आगे, ग्राहकों के अनुरोध पर पहले वर्षों में 31-03-2007 तक 7324.15 लाख रुपये (गत वर्ष 13558.25 लाख रुपये) मूल्य का माल रोका गया जो प्रेषण के लिए तैयार है।

(ii) 1591.40 लाख रुपये मूल्य का माल (गत वर्ष शून्य) जो लेखा तीति 1 ए (ii) के अनुसार बान्डेड स्टोर्स काक स्थानान्तरित किया गया और क्षेत्रीय परीक्षण होना है।

12. रु.8,670 (कर एवं शुल्क को छोडकर) प्रत्येक यूनिट के हिसाब से भारतीय निर्वाचन आयोग को ईवीएम आपूर्ति से संबंधित राजस्व की मान्यता दी गई, जबकि ईसीआई की प्रैस रिव्यूव कमिटि के सिफारिशें लंबित है।

13. बी ओ ओ आर ठेका के उंतर्गत एक ग्राहक को प्रदान किये गए सेवा से संबधित आय 1573.79 लाख रुपयें इस वर्ष की बिक्री में शामिल है। अक्तूबर, 2006 से यह परियोजना आपरेशनल है। यद्यपि, प्राप्त किये गए वर्क आदेशों के आधार पर बिलों की उगाही हुई और लेखे में किया गया जबकि औपचारिक ठेके पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

14. 1-1-2007 से लागू होने वाले वेतन संशोधन के लिए वेतन तथा मजदूरी हेतु 1064 लाख रुपयों का तदर्थ प्रावधान किया गया है।

Schedule 'P' – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

7. INVENTORIES:

i) Inventory includes

a) Material with sub contractors amounting to Rs.8.51 lakhs (previous year Rs.2.22 lakhs) and

b) Finished goods amounting to Rs.13.11 lakhs (previous year Rs.3.66 lakhs) sent on Exhibition / Approval / Demonstration.

ii) Surplus materials have been valued at 15% of their book value on the basis of their future usability as per Accounting Policy resulting in the reduction of inventory by Rs. 6.69 lakhs (Previous year Nil).

As per the Accounting Policy, the reduction in the value of non-moving inventory (excepting CSD stocks) is Rs.25.00 lakhs (previous year Rs.12.37 lakhs) and in respect of CSD stocks, the inventory has been reduced by Rs.80.51 Lakhs (previous year Rs.106.24 lakhs).

iii) Deration of Work-in-progress and Finished Goods: Work-in-progress and finished goods are derated towards obsolescence by Rs.134.26 lakhs (previous year Rs.52.37 lakhs).

8. a) Cash credit, working capital and short term loans from Banks are secured by first charge by way of hypothecation of Raw Materials, Stores and Spares, Work-in-Progress, Finished Stock, Book Debts, Fixed Assets and Equitable Mortgage on Land and Buildings, ranking parri passu amongst the consortium Member banks.

b) Sundry Creditors include Rs. 1273.93 lakhs payable to ECIL Rapiscan Ltd., (JV Company) under deferred credit terms towards procurement of materials, for MSTD project. As per the agreement with JV, ECIL will offer the same as security, by way of Hypothecation, in favour of State Bank of Hyderabad, from whom JV secured term facility for financing the procurement and delivery to ECIL. Registration of the charge in favour of this Bank is in the process.

9. Sundry Debtors as on 31.03.2007 include Rs.3059.85 lakhs (previous year Rs. 3371.95) towards amounts receivable from M/s. Indian Telephone Industries Limited, a sick unit. The Company is confident of recovering the amount and hence no provision is considered necessary.

10. The company has paid/provided income tax and sales tax as per the returns filed and/or assessments completed (except those claims disputed and in appeals). The liabilities that may arise at a future date, if any, in respect of Assessments/Appeals pending, will be accounted on final settlement. Disputed liabilities are shown under contingent liabilities.

11. Sales for the year include

i) goods valuing Rs.341.64 Lakhs which are in deliverable condition and are retained at the instance of the customers in terms of Accounting Policy A(iii). Further, goods retained in earlier years at the request of the customers worth Rs.7324.15 lakhs (Previous year Rs.13558.25 lakhs) are also awaiting dispatch as on 31.03.2007.

ii) goods valuing Rs.1591.40 lakhs (previous year NIL)which are transferred to bonded stores awaiting field testing as per Accounting Policy A(ii).

12. Revenue has been recognized on the supplies of EVMs to Election Commission of India at Rs.8,670 per unit (excluding taxes & duties), pending recommendation of the price by Price Review Committee of ECI.

13. Sales for the year include Rs. 1573.79 lakhs being the income from services rendered to a customer under a Build, Own, Operate and Replenish (BOOR) Contract. The Project is operational from October, 2006. Though the formal contract has not yet been signed, bills have been raised and accounted on the basis of work orders received and the same are under process.

14. Salaries and wages include Rs. 1064 lakhs towards adhoc provision for impending wage revision with effect from 01.01.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 61 11/30/2007, 11:35 AM

अनुसूची ''पी'' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी...)

15. अन्य

i) एपीजीपीसीएल के शेयरों में निवेश करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूअल काम्प्लेक्स से प्राप्त ब्याज रहित जमा राशि 128.64 लाख रुपये चालू देयताएँ एवं प्रावधानों (अनुसूची 'जे') के अंतर्गत दर्शाये गये हैं । इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम, 2003 के अंतर्गत एपी ट्रान्सको बीलिंग चार्जस के लिए मांग कर रहा है, इसके अनुरूप 10.6.2003 से31.03.2007 की अवधि के लिए उपभुक्त यूनिटों को दृष्टि में रखते हुए 145.91 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया (गत वर्ष 133.05 लाख रुपये) ।

ii) **आकस्मिक देयताएँ :**

निम्न को छोडकर, सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है:

(लाख रुपयों में)

विवरण	31.03.2007 को	31.03.2006 को
ए) साख पत्र (निवल)	**9151.53**	2208.43
बी) बैंक गैरंटियाँ	**3644.04**	1843.27
सी) सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों के पक्ष में निगमीय गैरंटियाँ	**27899.53**	27855.60
डी) क्षतिपूर्ति बंधपत्र	**26110.99**	22482.42
ई) कर्मचारियों की ओर से गैरंटी	**0.78**	1.32
एफ) न्यायालय/अधिनिर्णय के मुकदमें	**144.08**	168.20
जी) i) सरकारी प्राधिकारियों की निम्न मांगें जिनका विवाद कंपनी में समुचित प्राधिकारियों के समक्ष विवाद किया और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया:		
• आस्तिकर/खाली स्थल कर	**NIL**	91.33
• उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क (निलंबित स्थगन याचिकाओं सहित)	**48.12**	607.14
• सेवा कर	**1.77**	NIL
• आय कर	**6450.77**	6316.25
• बिक्रीकर (निलंबित स्थगन याचिकाओं सहित)	**126.34**	164.97
• आकाशवाणी का लाईसेंस शुल्क	**248.33**	248.33
ii) कंपनी के विरुद्ध सरकारी विभागों द्वारा निम्न के बारे में अपील किये गये		
• केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	**90.48**	90.48
• सेवा कर	**NIL**	1253.84
• आय कर	**123.27**	123.27
एच) पूँजी खाते में पूरे न किये गये ठेकों की अनुमानित राशि जिनके लिए प्रावधान नहीं (निवल अग्रिम)	**1225.51**	830.70
आई) निर्णीत हर्जाना का प्रावधान न होना	**10.72**	43.87
जे) विवाद के अंतर्गत बस पास धारियों के पास से मेसर्स एसएआरके सिस्टम इंडिया लिमिटेड (व्यापार साझेदार) द्वारा रिएक्टिवेशन चार्जस एकत्रित करने संबंधी डीटीसी द्वारा दावा ।	**102.64**	102.64

iii) **विदेशी विनिमय में व्यय (प्रावधान शामिल नहीं)**

(रुपये लाखों में)

	2006-2007	2005-2006
विदेशी यात्रा	**109.99**	167.49
अन्य	**0.00**	0.55
कुल	**109.99**	168.04

Schedule 'P' – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

15. Others:

i) Rs.128.64 lakhs received from Nuclear Fuel Complex by way of interest free deposit for Investment in the shares of APGPCL is shown under Current Liabilities and Provisions (Schedule – J). In pursuance of the demand for wheeling charges from APTRANSCO under Electricity Act, 2003, an amount of Rs.145.91 lakhs (previous year Rs.133.05 lakhs) is provided in the books, considering the number of units consumed for the period 10.06.2003 to 31.03.2007.

ii) Contingent liabilities:

All known liabilities have been duly provided for, except the following:

(Rs. in lakhs)

	Particulars	As at 31.03.2007	As at 31.03.2006
a)	Letters of Credit (Net)	**9151.53**	2208.43
b)	Bank Guarantees	**3644.04**	1843.27
c)	Corporate Guarantees favouring Govt. Depts./PSUs	**27899.53**	27855.60
d)	Indemnity Bonds	**26110.99**	22482.42
e)	Guarantee on behalf of employees	**0.78**	1.32
f)	Court/Arbitration cases	**144.08**	168.20
g)	(i) Demands from Government authorities contested by the Company before appropriate authorities not provided for in respect of		
	• Property Tax/Vacant Land Tax	**NIL**	91.33
	• Excise/Customs (including Stay Petitions pending)	**48.12**	607.14
	• Service Tax	**1.77**	NIL
	• Income Tax	**6450.77**	6316.25
	• Sales Tax (including Stay Petitions pending)	**126.34**	164.97
	• Licence fees to All India Radio	**248.33**	248.33
	(ii) Appeals filed by the Govt., departments against the Company in respect of		
	• Central Excise	**90.48**	90.48
	• Service Tax	**NIL**	1253.84
	• Income Tax	**123.27**	123.27
h)	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances)	**1225.51**	830.70
i)	Liquidated damages not provided for	**10.72**	43.87
j)	Claim by DTC in respect of reactivation charges collected by M/s.SARK Systems India Limited(Business partner) from bus pass holders under dispute	**102.64**	102.64

iii) Expenditure in Foreign Currency (excluding provision)

(Rs. in lakhs)

	2006-2007	2005-2006
Foreign Travel	**109.99**	167.49
Others	**0.00**	0.55
TOTAL	**109.99**	168.04

अनुसूची ''पी'' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी...)

iv) निर्यातों द्वारा अर्जन: (निर्यातित समझे गये हैं)

रुपये लाखों में

	2006-2007	2005-2006
निर्यात-उत्पाद	**674.69**	1338.98
कुल	**674.69**	1338.98

v) फुटकर लेनदारों में 156.70 लाख रुपये सम्मिलित है (गत वर्ष 87.32 लाख रुपये) जो लघु औद्योगिक उपक्रमों को देय है। उन लघु औद्योगिक उपक्रमों के नाम जिनको कि कंपनी देना है जो 30 दिन से अधिक समय के लिए खडा है, जो संलग्न-1 में दर्शाया गया । संबंधित लेखा वर्षों में ऐसी एसएसआई द्वारा दावाओं की स्वीकृति पर, स्माल स्केल एण्ड एन्सिलरी इंडस्ट्रीज अंडरटेकिंग आर्डनेन्स के तहत अपेक्षित प्रकार कंपनी ब्याज के लिये व्यवस्था करेगी ।

vi) सावधि जमा शामिल है

- 4450 लाख रुपये (गत वर्ष 4000 लाख रुपये) जारी किये गये बैंक गैरंटियों लियन के अधीन जारी बैंक गैरंटियों पर मार्जिन धन ।
- 2200 लाख रुपये (गत वर्ष 1121 लाख रुपये) लियन के अधीन स्थापित साख पत्रों पर मार्जिन धन ।
- 2200 लाख रुपये (गत वर्ष 2500 लाख रुपये) लियन के अधीन मंजूर ओवर ड्राफ्ट सुविधा । यद्यपि, 31-03-2007 तक किसी प्रकार का ओवर ड्राफ्ट ऋण बाकी नहीं हैं ।

vii) फुटकर देनदारों को पुष्टिपत्र भेजे तो गये तथा कुछ ही पुष्टिपत्र प्राप्त हुए हैं ।

viii) चालू वर्ष के वर्गीकरण को पुष्ट करने गत वर्ष के आंकडे जहाँ भी आवश्यक माना गया या तो पुन: वर्गीकृत किये गये या कि उनको पुन: ढाला गया।

Schedule 'P' – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

iv) Export Earnings: (including Deemed Exports)

(Rs. in lakhs)

	2006-2007	2005-2006
Exports – Products	**674.69**	1338.98
TOTAL	**674.69**	1338.98

v) Sundry Creditors include an amount of Rs.156.70 lakhs (previous year Rs.87.32 lakhs) being the outstanding dues to Small Scale Industrial undertakings. The names of the Small Scale Industrial undertakings to whom the Company owes a sum which is outstanding for more than 30 days are given in the Annexure-I.

The Company will be providing for interest as required under the Small Scale and Ancillary Industries Undertaking Ordinance, on acceptance of claims made by such SSIs in the respective accounting years.

vi) Fixed deposits include

- Rs.4450.00 lakhs (previous year Rs.4000.00 lakhs) lien marked towards margin money on Bank Guarantees issued.
- Rs.2200.00 lakhs (previous year Rs.1121.00 lakhs) lien marked towards margin money on Letters of Credit established.
- Rs.2200.00 lakhs (previous year Rs.2500.00 lakhs) lien marked towards overdraft facility sanctioned. However, there was no overdraft outstanding as on 31.03.2007.

vii) Confirmation letters to Sundry Debtors were sent and a few confirmations have been received.

viii) Figures relating to previous year are either suitably regrouped or recast wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

अनुसूची ''पी'' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी...)

16. तुलन पत्र का सार तथा कंपनी के सामान्य व्यापार रेखा-चित्र

(अधिसूचना संख्या जीएसआर 388 (ई) दिनांक 15-5-1995 के अनुसार)

i) पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या 01149 दिनांक 11-4-1967 - आन्ध्र प्रदेश राज्य कोड : 01 तुलन पत्र तिथि : 31 मार्च, 2007

ii) वर्ष के दौरान लगायी गयी पूंजी (राशियाँ लाख रुपयों में)

सार्वजनिक इश्यू	—	आधिकार इश्यू	—
बोनस इश्यू	—	प्राईवेट प्लेसमेंट (भारत के राष्ट्रपति)	—

iii) जुटाव की स्थिति और निधियों का नियोजन (राशि लाखों में)

कुल देयताएँ	46407.72	कुल आस्तियाँ	46407.72
निधियों के स्रोत :			
प्रदत्त पूंजी	15488.12	प्रारक्षित और अधिशेष	30070.60
शेयर पूंजी द्रव्य अनिर्णित आबंटन	849.00	प्रतिभूति रहित ऋण	—
प्रतिभूति सहित ऋण	—	आस्थगित कर देयता (निवल)	—
निधियों का उपयोग			
निवल नियत आस्तियाँ	7698.16	निवेश	164.64
निवल चालू आस्तियाँ	37206.81	फुटकर व्यय	
संचयी हानियाँ	—	आस्थगित कर (आस्ति) (निवल)	1338.11

iv) कंपनी का निष्पादन (राशि लाख रुपयों में) :

कुल व्यापार एवं अन्य आय	103945.34	कुल व्यय	84691.37
+/- कर से पूर्व लाभ/हानि	19253.97	कर के बाद लाभ/हानि	12837.04
प्रति शेयर आय रुपयों में मूल	828.83	लाभांश दर	20
प्रति शेयर आय रुपयों में पतला	821.33		

v) कंपनी के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के व्यापक नाम (आर्थिक अर्थों के अनुसार) :

शीर्षक संख्या	एचएस कोड	आईटीसी (एचएस) कोड	उत्पाद वर्णन
84.71 84.73	8471.20	847120.09	रियल टाईम के लिए कंप्यूटर आधारित सेवा, , विशिष्ट और व्यापारिक उपयोग, सॉफ्टवेयर और परामर्शी सेवाएँ, अतिरिक्त पुर्जे और रखरखाव सेवाएँ और पर्सनल कंप्यूटर ।
84.69 84.71 85.25 85.28 84.01 84.70 85.32 85.33			महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रेडियो संचार प्रणाली, एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ रिसीवरों और ट्रांसिवरों, सैटलाईट टीवी रिसीव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है । विशेष एमडब्ल्यू संघटकों जैसे वीसीओ, आईसोलेटर्स, सर्क्यूलेटर्स, पीएलओस स्विचेस, ऑम्प्लिफायर्स, फिल्टर्स आदि हैं। अभिकल्पना, विकास, गढान, उत्पादन, आपूर्ति और संस्थापना के लिये विभिन्न प्रकार के एंटिना प्रणालियाँ। औद्योगिक और विश्लेषक उपकरण, सुरक्षा प्रणालियाँ - सीसीटीवी फायर अलार्म और एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणालियाँ, इलेक्ट्रानिक एनर्जी मीटर्स, विशेष प्रणालियाँ और फाईबर ऑप्टिक आधारित प्रणालियाँ।
85.41 90.30 90.31 90.32	9022.19		हाईब्रिड माईक्रो सर्किट्स, टैंटलम कैपेसिटर्स, सेमी कंडक्टर संघटक. प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड्स, तकनीकी सिरेमीक संघटक और पोटेंशियोमीटर्स ।
	9022.31	902221.00 854310.09 903289.04	बिजली संयंत्र के लिये ई ए एस टी पैकेज, सर्वो प्रणालियों, इलेक्ट्रो-मेकेनिकल प्रणालियों और औद्योगिक नियंत्रणों, डाटा एक्विजिशन प्रणालियाँ, टेली-सुपरवाईजरी प्रणालियाँ, नियंत्रण और उपकरणीकरण उपस्करें।
85.43 84.72 90.22			

लेखागत नीतियाँ, अनुसूचियां 'ए' से 'पी' तक लेखों का अंग बनती हैं।
कृते एवं बोर्ड की ओर से।

हमारी इसी तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सत्यनारायण एण्ड कंपनी

यू. विष्णुमूर्ति
निदेशक (वित्त)

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सनदी लेखापाल
सीएच. शेषगिरि राव
भागीदार
एम. नं.18523

स्थान : हैदराबाद
दिनाँक : 24.07.2007

Schedule 'P' – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

16. BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

(As per notification No.GSR 388(E), dated 15.05.1995)

I. Registration Details

Registration No.01149, Dt.11.04.1967-AP State Code: 01 Balance Sheet Date: 31st March, 2007

II. Capital raised during the year (Amount in Rs. Lakhs)

Public Issue	—	Rights Issue	—
Bonus Issue	—	Private Placement (President of India)	—

III. Position of Mobilisation and Deployment of Funds (Amount in Rs. Lakhs)

Total Liabilities	46407.72	Total Assets	46407.72
Sources of Funds:			
Paid-up Capital	15488.12	Reserves & Surplus	30070.60
Share Money Pending Allotment	849.00	Unsecured Loans	—
Secured Loans	—	Deferred Tax Liability (Net)	—
Application of Funds:			
Net Fixed Assets	7698.16	Investments	164.64
Net Current Assets	37206.81	Misc. Expenditure	—
Accumulated Losses	—	Deferred Tax (Asset) (Net)	1338.11

IV. Performance of Company (Amount in Rs. Lakhs)

Turnover and Other Income	103945.34	Total Expenditure	84691.37
+/- Profit/Loss Before Tax	19253.97	Profit/Loss After Tax	12837.04
Earning Per Share in Rupees – Basic	828.83	Dividend rate %	20
Earning Per Share in Rupees - Diluted	821.33		

V. Generic Names of Principal Products/Services of the Company (as per monetary terms):

Heading No.	H.S. Code	I.T.C(H.S) Code	Product Description
84.71 84.73 84.69 84.71	8471.20	847120.09	Computer based System for Real time, Specific and Business Applications, Software and Consultancy Services, Spares and Maintenance Services and Personal Computers.
85.25 85.28			Radio Communication Systems to cater to Strategic Sectors comprising HF/VHF/UHF Receivers and Transceivers, Satellite TV receiver only and special MW components such as VCO, Isolators, Circulators, PLOs, Switches, Amplifiers, Filters, etc. Design, Development, Fabrication, Production, supply & erection of a variety of Antenna Systems.
84.01 84.70			Industrial and Analytical Instruments, Security Systems comprising CCTV Fire Alarm and X-ray Baggage Inspection Systems, Electronic Energy Meters, Special Systems and Fibre Optic based systems.
85.32 85.33 85.41 90.30 90.31 90.32	9022.19		Hybrid micro-circuits, Tantalum Capacitors, Semiconductor Components, Printed Circuit Boards, Technical Ceramic Components and Potentiometers.
85.43 84.72 90.22	9022.31	902221.00 854310.09 903289.04	EAST Packages for Thermal Power Plants, Data Acquisition systems, Tele supervisory systems, Control and Instrumentation equipment, Servo Systems, Electro mechanical systems and Industrial Controls.

Accounting Policies, Schedules A to P form part of the Accounts
for and on behalf of the Board

As per our report of even date attached
for SATYANARAYANA & CO.,
Chartered Accountants

U VISHNUMURTHY
Director (Finance)

K S RAJASEKHARA RAO
Chairman & Managing Director

CH SESHAGIRI RAO
Partner
M No.18523

Place : Hyderabad
Date : 24.07.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 67 11/30/2007, 11:35 AM

अनुबंध-1

लघु उद्योगों के नाम जिनको तीस दिनों से ज्यादा राशि का भुगतान बकाया है दिनांक 31-03-2007 तक

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता का नाम	राशि
01	ए बी इण्डस्ट्रीज	0.08
02	अग्रवाल फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड	1.35
03	अलौइड इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन	0.95
04	अलप्रिंट इण्डस्ट्रीज	0.56
05	अंफेनॉल इंटरकनेक्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	1.31
06	आन्ध्रा मशीन टूल्स	0.01
07	आर्डी इण्डस्ट्रीज	0.03
08	असोसिएटेड इंज. कारपोरेशन	0.06
09	अस्वथी इंजनियरिंग	0.01
10	कनेक्टवेल इण्डस्ट्रज प्राइवेट लिमिटेड	2.33
11	कॉस्मिक इंजनियरिंग एंटरप्रैसस	0.14
12	डी बी पावर इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड	1.80
13	डिजाइन असेम्ब्लीज इन्का.	0.01
14	इलेक्ट्रो इंजनियरिंग एंटरप्रैसस	0.42
15	इलेक्ट्रो मेग्नेटिक कोर्स कॉइल्स	0.19
16	इलेक्ट्रो मेग्नेटिक डिवाइसस	6.90
17	एलमेट्रानिक डिवाइसस	0.40
18	एसके एंटरप्रैसस	1.49
19	एक्सेल हैड्रो-न्यूमॅटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	0.01
20	फारकॉम केबल्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	0.01
21	फास्टनर मैन्यूफेक्चरर प्राइवेट लिमिटेड	0.03
22	हिता टेक्नॉलाजी प्राइवेट लिमिटेड	0.53
23	हाई टेक इंजनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	2.45
24	हाई टेक (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	0.27
25	हितेन आटोमेटिव्स	0.29
26	हैदराबाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्कस	0.20
27	हैदराबाद वैयर्स फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	0.03
28	जया इंजनियरिंग	0.14
29	जया एंटरप्रैसस	0.19
30	जया इंडस्ट्रीस	0.26
31	कुमार एंटरप्रैसस	0.18
32	मधुबाबु इंडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	0.12

ANNEXURE - I

NAME OF THE SMALL SCALE INDUSTRIES TO WHOM AMOUNTS ARE OUTSTANDING MORE THAN 30 DAYS AS ON 31.03.2007

(Rupees in lakhs)

S.No.	Name of the Supplier	Amount
1	A B Industries	0.08
2	Aggarwal Fastners Pvt Ltd	1.35
3	Allied Electronics Corporation	0.95
4	Alprint Industries	0.56
5	Amphenol Interconnect India Pvt Ltd	1.31
6	Andhra Machine Tools	0.01
7	Ardi Industries	0.03
8	Associated Engg Corporation	0.06
9	Aswathi Engineering	0.01
10	Connectwell Industries Pvt Ltd	2.33
11	Cosmic Engineering Enterprises	0.14
12	D B Power Electronics (P) Ltd	1.80
13	Design & Assemblies Inc	0.01
14	Electro Engineering Enterprises	0.42
15	Electro Magnetic Cores & Coils	0.19
16	Electro Magnetic Devices	6.90
17	Elmatronic Devices Inc	0.40
18	Eskay Enterprises	1.49
19	Excel Hydro-pneumatics Pvt Ltd	0.01
20	Farcom Cable Systems Pvt Ltd	0.01
21	Fastener Manufacturer Pvt Ltd	0.03
22	Hita Technology Pvt Ltd	0.53
23	Hitech Engineering Pvt Ltd	2.45
24	Hitech (India) Private Limited	0.27
25	Hiten Automatives	0.29
26	Hyderabad Electroplating Works	0.20
27	Hyderabad Wires & Filaments P Ltd	0.03
28	Jaya Engineering	0.14
29	Jaya Enterprises	0.19
30	Jaya Industries	0.26
31	Kumar Enterprises	0.18
32	Madhubabu Industries Pvt Ltd	0.12

अनुबंध-1

लघु उद्योगों के नाम जिनको तीस दिनों से ज्यादा राशि का भुगतान बकाया है दिनांक 31-03-2007 तक

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता का नाम	राशि
33	नवीन उद्योग (हैदराबाद)	0.03
34	न्यू शाम्पसन स्प्रींग्स इंडस्ट्रीस	0.12
35	परफेक्ट अटोमेट्स	0.04
36	पूजा मेटल फिनिसिंग	0.14
37	प्रोटेक्ट्रान इलेक्ट्रामेक प्राइवेट लिमिटेड	0.05
38	पैरोटेक इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड	0.96
39	रामचन्द्रा रबर वर्कस	0.52
40	राम्स इंजनियरिंग वर्कस	0.02
41	राटो कमुनिकेशन्स एंड इलेक्ट्रानिक्स	3.11
42	आर ई आई कम्पनी	5.20
43	रेवती इलेक्ट्रानिक इक्विपमेंट कंपोनेंट्स	0.18
44	एस आर इंडस्ट्रीस	0.02
45	सैनी इलेक्ट्रानिक्स	0.05
46	साईकमल इंजनियरिंग इंडस्ट्रीस	0.02
47	सल्जर इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	1.10
48	सरदार पॉलिमौल्ड्स	0.17
49	सरवल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	0.03
50	शांति टैमर मार्ट	0.29
51	शिवानन्दा इलेक्ट्रानिक्स	0.40
52	सौथफील्ड पेंट्स लि.	0.31
53	श्री मारुती इलेक्ट्रोप्लेटिंग	0.08
54	श्री रामा एंटरप्रैसस	0.01
55	श्री तिरुमला इंडस्ट्रीयल पेंटिंग वर्कस	0.27
56	श्री तिरुमला इंजनियर्स	0.05
57	श्री विजया इंडस्ट्रीस	0.07
58	श्रीनिवासा मेटल फिनिशर्स	0.04
59	सुरेश मेटल फिनिशर्स	0.07
60	टेक्नो केबल्स प्राइवेट लिमिटेड	0.07
61	उदय इंजनियरिंग वर्कस	1.25
62	यूनिक इंजनियरिंग एंटरप्रैसस प्राइवेट लिमिटेड	0.01
63	वेराट्रॉनिक्स	0.23
64	झेंट्रॉनिक सिस्टिम्स	0.06
65	अन्य (रु.500/- से कम)	0.01
	कुल	**37.73**

ANNEXURE - I

NAME OF THE SMALL SCALE INDUSTRIES TO WHOM AMOUNTS ARE OUTSTANDING MORE THAN 30 DAYS AS ON 31.03.2007

(Rupees in lakhs)

S.No.	Name of the Supplier	Amount
33	Naveen Udyog (Hyd)	0.03
34	New Sampson Springs Industries	0.12
35	Perfect Automats	0.04
36	Pooja Metal Finishing	0.14
37	Protectron Electromech Pvt Ltd	0.05
38	Pyrotech Electronics Pvt Ltd	0.96
39	Ramachandra Rubber Works	0.52
40	Rams Engineering Works	0.02
41	Rato Communications And Electronics	3.11
42	Rei Company	5.20
43	Revathy Electronic Equipment & Components	0.18
44	S R Industries	0.02
45	Saini Electronics	0.05
46	Saikamal Engineering Industries	0.02
47	Salzer Electronics Limited	1.10
48	Sarada Polymoulds	0.17
49	Servel Udyog (P) Ltd	0.03
50	Shanthi Timer Mart	0.29
51	Sivananda Electronics	0.40
52	Southfield Paints Ltd	0.31
53	Sri Maruthi Electroplating	0.08
54	Sri Rama Enterprises	0.01
55	Sri Thirumala Industrial Painting Works	0.27
56	Sri Tirumala Engineers	0.05
57	Sri Vijaya Industries	0.07
58	Srinivas Metal Finishers	0.04
59	Suresh Metal Finishers	0.07
60	Techno Cables Pvt Ltd	0.07
61	Uday Engineering Works	1.25
62	Unique Engineering Enterprises Pvt Ltd	0.01
63	Veratroniks	0.23
64	Zentronic Systems	0.06
65	Others (Less Than Rs.500/-)	0.01
	Total	**37.73**

अनुसूची ''क्यू'' सामाजिक उपरिव्ययों पर व्यय

(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की कार्यालय ज्ञापन संख्या बीपीई-1(17) एडीवी(एफ) दिनांक 5-3-1969 की आवश्यकतानुसार)

(रुपये लाखों में)

विवरण	पूंजी						
	सकल अवरुद्ध राशि					निवल अवरुद्ध राशि	
	01.04.2006 को लागत	वर्ष के दौरान अतिरिक्तियाँ/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ समायोजन	**31.03.2007 को कुल लागत**	**31.03.2007 तक मूल्यह्रास**	**31.03.2007 को स्थित**	31.03.2006 को स्थित
स्कूल व शैक्षणिक सुविधाएँ	58.71	-	-	**58.71**	**29.74**	**28.97**	29.92
परिवहन	9.61	-	-	**9.61**	**7.66**	**1.95**	2.21
कैंटीन	47.68	1.08	-	**48.76**	**37.23**	**11.53**	11.86
कुल	**116.00**	**1.08**	**-**	**117.08**	**74.63**	**42.45**	**43.99**
गत वर्ष	116.55	1.12	1.67	116.00	72.01	43.99	46.06

विवरण	राजस्व							
	आर्थिक सहायता प्राप्त परिवहन	आवास सुविधाएँ	शैक्षणिक सुविधाएँ	चिकित्सा सुविधाएँ *	कैंटीन	सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियाँ	**31.03.2007 को स्थित कुल**	31.03.2006 को स्थित कुल
वेतन, मजदूरियाँ और अन्य लाभ	-	-	-	20.22	264.57	-	**284.79**	273.08
चिकित्सा व्यय	-	-	-	419.04	-	-	**419.04**	374.94
भण्डारों/औषधियों का उपभोग	-	-	-	4.58	-	-	**4.58**	3.82
मरम्मत व रखरखाव	-	-	-	-	-	-	**0.00**	1.40
किराया	-	9.72	-	0.03	-	-	**9.75**	9.75
मूल्यह्रास	0.27	-	0.95	-	1.40	-	**2.62**	3.20
भाडा प्रभार - कान्ट्राक्ट बसें	132.38	-	-	-	-	-	**132.38**	157.50
पौरकर, कर और बीमा	-	-	-	-	-	-	**0.00**	2.05
सवारी व्यय की प्रतिपूर्ति	325.22	-	-	-	-	-	**325.22**	328.26
आर्थिक सहायता	-	-	-	-	154.16	-	**154.16**	145.82
विविध	-	-	-	-	-	66.72	**66.72**	102.32
कुल	457.87	9.72	0.95	443.87	420.13	66.72	**1399.26**	1402.14
घटाएँ : वसूलियाँ	36.89	4.27	-	-	47.25	-	**88.41**	88.89
कुल	**420.98**	**5.45**	**0.95**	**443.87**	**372.88**	**66.72**	**1310.85**	1313.25
गत वर्ष	460.29	5.51	0.95	399.00	345.18	102.32	**1313.25**	1260.31

* सांविधिक आवश्यकताओं से ऊपर

टिप्पणी : उक्त अनुसूची, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के परिपत्र के अनुसरण में हैं तथा जहाँ तक कंपनी के लेखों से व्यवहार्य हो, व्यय, आय एवं वसूलियों की आंकडे जमा की गयी हैं। व्ययों को व्यक्तिगत प्राथमिक शीर्षों के अंतर्गत लाभ तथा हानि लेखों में दर्शाया गया है।

कृते एवं मंडल की ओर से

यू. विष्णुमूर्ति
निदेशक (वित्त)

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 24.07.2007

SCHEDULE 'Q' EXPENDITURE ON SOCIAL OVERHEADS

(As required by Government of India, Ministry of Finance, O.M. No.BPE-I(17) ADV(F) dated 05.03.1969)

(Rupees in Lakhs)

Particulars	CAPITAL						
	GROSS BLOCK					NET BLOCK	
	Cost as at 01.04.2006	Additions/ adjustments during the year	Deductions/ adjustments during the year	**Total Cost as at 31.03.2007**	**Depreciation upto 31.03.2007**	**As at 31.03.2007**	As at 31.03.2006
School & Educational Facilities	58.71	-	-	**58.71**	**29.74**	**28.97**	29.92
Transport	9.61	-	-	**9.61**	**7.66**	**1.95**	2.21
Canteen	47.68	1.08	-	**48.76**	**37.23**	**11.53**	11.86
TOTAL	**116.00**	**1.08**	**-**	**117.08**	**74.63**	**42.45**	**43.99**
Previous Year	116.55	1.12	1.67	116.00	**72.01**	43.99	46.06

Particulars	REVENUE							
	Subsidised transport	Housing facilities	Educational facilities	Medical facilities *	Canteen	Social and Cultural activities	**Total as at 31.03.2007**	Total as at 31.03.2006
Salaries, Wages & Other Benefits	-	-	-	20.22	264.57	-	**284.79**	273.08
Medical Expenses.	-	-	-	419.04	-	-	**419.04**	374.94
Consumption of Stores/Medicines	-	-	-	4.58	-	-	**4.58**	3.82
Repairs and Maintenance	-	-	-	-	-	-	**0.00**	1.40
Rent	-	9.72	-	0.03	-	-	**9.75**	9.75
Depreciation	0.27	-	0.95	-	1.40	-	**2.62**	3.20
Hire Charges - Contract Buses	132.38	-	-	-	-	-	**132.38**	157.50
Rates, Taxes & Insurance	-	-	-	-	-	-	**0.00**	2.05
Reimburs. of Conveyance expns.	325.22	-	-	-	-	-	**325.22**	328.26
Subsidy	-	-	-	-	154.16	-	**154.16**	145.82
Miscellaneous	-	-	-	-	-	66.72	**66.72**	102.32
Total	457.87	9.72	0.95	443.87	420.13	66.72	**1399.26**	1402.14
Less: Recoveries	36.89	4.27	-	-	47.25	-	**88.41**	88.89
Total	**420.98**	**5.45**	**0.95**	**443.87**	**372.88**	**66.72**	**1310.85**	1313.25
Previous Year	460.29	5.51	0.95	399.00	345.18	102.32	**1313.25**	1260.31

* Over and above the statutory requirements

NOTE : The above schedule is pursuant to Government of India, Ministry of Finance circular and the figures of expenditure, income and recoveries have been collected to the extent practicable from the Accounts of the Company. The expenses have been shown in the individual primary heads in the Profit & Loss Account.

for and on behalf of the Board

U VISHNUMURTHY
Director (Finance)

K S RAJASEKHARA RAO
Chairman & Managing Director

Place : Hyderabad
Date : 24.07.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 73 11/30/2007, 11:35 AM

31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रुपये लाखों में)

	2006-2007	2005-2006
ए. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर के पहले निवल लाभ/(हानि) एवं असाधारण मदें	**19253.97**	5204.42
निम्न के लिए समायोजन :		
मूल्यह्रास	**1205.74**	851.02
विविध व्यय	**14.81**	42.82
विदेशी मुद्रा	**4.62**	50.94
अनुदान के प्रति ब्याज आबंटन	**29.10**	43.13
प्राप्त लाभांश	**-36.75**	-29.40
नियत आस्तियों को बेचने पर लाभ	**-4.45**	-41.74
आस्तियों का अपूँजीकरण /बट्टे खाते डाले गये	**54.91**	0.00
अल्पावधि जमा आवतियों पर प्राप्त ब्याज	**-1589.85**	-1385.57
चालू पूँजी परिवर्तनों के पहले प्रचालन लाभ	**18932.10**	4735.62
फुटकर देनदारों में वृद्धि/कमी	**-19402.22**	-21395.70
चालू देयताओं में वृद्धि/कमी	**8192.91**	18900.04
प्रावधानों में वृद्धि/कमी	**1160.93**	-2884.78
मालसूचियों में वृद्धि/कमी	**826.12**	-1059.32
ऋणों एवं पेशगियों में वृद्धि/कमी	**-7.21**	351.53
प्रचालनों से उत्पन्न नकद	**9702.63**	-1352.61
भुगतान किया तकनीकी जानकारी शुल्क	**-11.81**	-17.00
भुगतान किया सीधी कर	**-4059.52**	-2257.94
प्राप्त किया गया अनुदान	**456.00**	677.00
वापस किया अनुदान	**-23.00**	-40.00
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति एवं अन्यों के प्रति अनुदान का उपभोग	**-581.51**	-856.38
असाधारण मदों के पहले नकदी प्रवाह	**5482.79**	-3846.93
असाधारण मदें	**—**	—
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद	**5482.79**	-3846.93
बी. निवेश प्रचालनों से नकद प्रवाह		
नियत आस्तियों का क्रय (113.11 लाख रुपयों के अनुदान से सम्मिलित)	**-1912.95**	-652.38
नियत आस्तियों की बिक्री	**4.60**	45.48
कंपनियों का अधिग्रहण	**—**	—
मार्गस्थ नियत आस्तियाँ एवं पूँजी कार्य प्रगति में -	**475.18**	-643.79
निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त राशि	**—**	0.00
प्राप्त ब्याज	**1589.85**	1385.57
प्राप्त लाभांश	**36.75**	29.40
निवेश गतिविधियों से निवल नकद	**193.43**	164.28
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शेयर पूँजी की जारी से वृद्धि	**849.00**	900.00
बैंकों से सावधि ऋण से वृद्धि	**—**	—
वित्तपट्टा देयताओं की पुन: अदायगी	**—**	—
प्रदत्त लाभांश	**-845.33**	-742.56
प्रदत्त लाभांश कर	**-118.56**	-104.14
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद	**-114.89**	53.30
नकद एवं नकद तुल्यमान में शुद्ध वृद्धि	**5561.33**	-3629.35
नकद एवं नकद तुल्यमान (अथ नकद शेष)	**18940.94**	22570.29
नकद एवं नकद तुल्यमान (इति नकद शेष)	**24502.27**	18940.94

टिप्पण : ब्याज, लाभांश, निवेश/नियत आस्तियों का क्रय एवं बिक्री तथा करों को छोडकर जो नकद के वास्तविक चलन के आधार पर विचार किये गये हैं, आस्तियों एवं देयताओं में संबंधित समायोजन के साथ अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत उपर्युक्त विवरण तैयार किया गया है ।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

हमारे सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सत्यनारायण एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल

यू. विष्णुमूर्ति
निदेशक (वित्त)

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सीएच. शेषगिरि राव
भागीदार
एम नं. 18523

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 24.07.2007

CASH FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH, 2007

(Rupees in Lakhs)

	2006-2007	2005-2006
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
NET PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX & EXTRAORDINARY ITEMS	**19253.97**	5204.42
Adjustments for :		
Depreciation	**1205.74**	851.02
Miscellaneous expenditure	**14.81**	42.82
Foreign Exchange	**4.62**	50.94
Interest allocation towards Grants	**29.10**	43.13
Dividends received	**-36.75**	-29.40
Profit on sale of fixed assets	**-4.45**	-41.74
W-off/decapitalisation of assets	**54.91**	0.00
Interest received on Short Term Deposit Receipts	**-1589.85**	-1385.57
Operating profit before Working Capital changes	**18932.10**	4735.62
Increase/Decrease Sundry debtors	**-19402.22**	-21395.70
Increase/Decrease Current liabilities	**8192.91**	18900.04
Increase/Decrease Provisions	**1160.93**	-2884.78
Increase/Decrease Inventories	**826.12**	-1059.32
Increase/Decrease Loans and advances	**-7.21**	351.53
Cash generated from operations	**9702.63**	-1352.61
Technical know how fee paid	**-11.81**	-17.00
Direct taxes paid	**-4059.52**	-2257.94
Grants received	**456.00**	677.00
Grant returned	**-23.00**	-40.00
Grants utilisation towards VRS & others	**-581.51**	-856.38
Cash flow before extraordinary items	**5482.79**	-3846.93
Extraordinary items	—	—
Net cash from operating activities	**5482.79**	-3846.93
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of fixed assets(including from grant Rs.113.11 lakhs)	**-1912.95**	-652.38
Sale of fixed assets	**4.60**	45.48
Acquisition of companies	—	—
Fixed assets in transit and capital work in progress	**475.18**	-643.79
Amt. received on maturity of Investments	—	0.00
Interest received	**1589.85**	1385.57
Dividend received	**36.75**	29.40
Net cash from investing activities	**193.43**	164.28
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds from issue of Share Capital	**849.00**	900.00
Proceeds from term loan from Banks	—	—
Repayment of finance lease liabilities	—	—
Dividend paid	**-845.33**	-742.56
Dividend tax paid	**-118.56**	-104.14
Net cash used in financing activities	**-114.89**	53.30
Net increase in cash and cash equivalents	**5561.33**	-3629.35
Cash and cash equivalents (Opening Balance)	**18940.94**	22570.29
Cash and cash equivalents (Closing Balance)	**24502.27**	18940.94

Note : The above statement has been prepared under indirect method except in case of interest, dividend, purchase and sale of investments/Fixed Assets and Taxes, which have been considered on the basis of actual movement of cash, with corresponding adjustments in Assets and Liabilities.

for and on behalf of the Board

U VISHNUMURTHY
Director (Finance)

K S RAJASEKHARA RAO
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached
for SATYANARAYANA & CO.,
Chartered Accountants

Ch SESHAGIRI RAO
Partner
M No.18523

Place : Hyderabad
Date : 24.07.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 75 11/30/2007, 11:35 AM

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
सदस्य
इलेक्ट्रनिक्स कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड
हैदराबाद

हमने 31 मार्च, 2007 को संलग्न इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के तुलन पत्र एवं उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिये और उसके साथ अनुबंधित लाभ-हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

ए) हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की। ये मानक अपेक्षित करते हैं कि हम लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन करते हैं ताकि सभी द्रव्यात्मक विषयों में पहचानी हुई रिपोर्टिंग ढांचा के अनुसार क्या वित्तीय विवरण बनाये जाते हैं तथा द्रव्यात्मक कुछ विवरणों से मुक्त होने के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करें। लेखा परीक्षा में शामिल है, परीक्षण आधार पर परीक्षा करना, राशि के समर्थन में तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के साक्ष्य। लेखा परीक्षा में यह भी शामिल है कि समूचे वित्तीय विवरणों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रयोग किये गये लेखांकन सिद्धान्तों का तथा प्रबन्धन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलन का मूल्यांकन। हम यह विश्वास करते हैं कि हमारी राय के लिए अपनी लेखा परीक्षा समुचित आधार बनती है।

बी) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अनुसार कंपनी विधि मंडल द्वारा जारी विनिर्माण एवं अन्य कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षानुसार, हम उक्त आदेश के पैरे 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण अनुबंध में अनुलग्न करते हैं।

सी) उक्त पैरा ('बी') में निर्देश अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अलावा, निम्न मदों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :

i) अनुसूची ''पी'' में सेगमेंट पर (एएस-17) के गैर अनुपालन से संबंधित नोट संख्या 3 (बी) जिसके अंतर्गत कारण बताएँ।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध- 3
लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर कंपनी द्वारा उत्तर

कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 के अंतर्गत वार्षिक लेखे में आवश्यक मात्रात्मक विवरण दर्शाने का कंपनी अफेर्स मंत्रालय ने छूट दी थी। इसीलिये कंपनी के समारिक महत्व के कार्यकलापों के मद्देनजर एएस-17 के अंतर्गत आवश्यक ब्योरा दर्शाना मुनासिफ नहीं समझा गया। इस तरह से नहीं दर्शाने से किसी प्रकार का वित्तीय प्रभाव नहीं पडेगा।

AUDITORS' REPORT

To
The Members of
Electronics Corporation of India Limited
HYDERABAD

We have audited the attached Balance Sheet of Electronics Corporation of India Limited (ECIL), Hyderabad, as at 31st March, 2007 and also the Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

A) We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

B) As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 issued by the Government of India in terms of Section 227(4A) of the Companies Act, 1956 and on the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we annex hereto a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.

C) Further to our comments in the annexure referred to in paragraph (B) above, attention is invited to the following:

Annexure-III to the Directors' Report

Company's Replies to the Auditor's Qualifications / Reservations

i) Note No. 3(B) in Schedule `P' regarding non-compliance of disclosure requirements of Accounting Standard (AS)-17 on `Segment Reporting' for the reasons stated therein;	Disclosure of quantitative particulars in the Annual Accounts as required under Schedule VI of the Companies Act 1956 was exempted by Ministry of Company Affairs. Therefore it is considered not prudent to disclose segment wise details as required under AS-17, in view of the strategic nature of the Company's activities. Such non-disclosure has no financial effect.
ii) Note No: 3(C) in Schedule `P' regarding non-compliance of disclosure requirements of AS-	The note referred to by the Statutory Auditors is self explanatory.

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 77 11/30/2007, 11:35 AM

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	कंपनी द्वारा उत्तर
ii) ''रिलेटेड पार्टी डिसक्लोज़र'' पर एक-18 के अपेक्षाओं का प्रकटन संबंधी नान कम्प्लौन्स संबंधी अनुसूची ''पी'' में नोट नं.3(सी) के कारण बताए	संवैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित टिप्पणी स्वत: स्पष्ट हैं ।
iii) ईवीएम की बिक्री के लिए 8670 रुपये मान्यता देने संबंधी अनुसूची ''पी'' में टिप्पणी संख्या 12 की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है जबकि प्रैज समीक्षा समिति द्वारा अंतिम मूल्य निर्धारण लंबित है ।	2003-04 के दौरान आपूर्ति किये गये ईवीएम के मूल्य के आधार पर राजस्व की मान्यता दी गई और कंपनी को पूरा विश्वास है कि इस मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
iv) 1-1-2007 से देय वेतन संशोधन के लिये 1063.80 लाख रुपयों का अशाश्वत प्रावधान तथा जिसे वेतन तथा मजदूरी में मिलाने संबंधी तदर्थ प्रावधान अनुसूची ''पी'' के नोट सं. 14.	किसी दिशा निर्देशों की अनुपस्थिति में प्राक्कलन के आधार पर प्रावधान बनाये गये ।
v) एपीजीपीसीएन में निवेश करने के उद्देश्य से एनएफसी से डिपाजिट प्राप्त करने संबंधी अनुसूची ''पी'' में टिप्पणी संखया 15 (i) शेयरों में तथा स्वामित्व से संबंधित एनएफसी तथा कंपनी के बीच मुद्दों पर लंबित सेटलमेंट, इस तरह की जमा राशि को ''चालू देयताओं'' के रूप में दर्शाना।	संवैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित टिप्पणी स्वत: स्पष्ट है ।
डी) वित्तीय विवरण 2006-07 पर हमारी टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं :	
1) ए) ''राजस्व मान्यता'' पर लेखांकन नीति ''ए'' की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है : जहाँ डेस्टिनेशन तथा पूर्व कार्य मामले, विशेषरूप से वर्षान्त ट्रान्साक्शन्स संबंधी । राजस्व की मान्यता इस अनुमान पर दी गई की माल गंतव्य स्थान पर पहुँच गया होगा और स्वामित्व से संबंधित रिस्क तथा रिवार्ड को वर्ष के पहले ग्राहकों पर छोड दिया गया, जिसके लिये कोई साक्ष्य नहीं है । मिश्रित ठेकों में आंशिक शिपमेंट्स के लिये राजस्व की मान्यता दी गई जबकि लाइन एन्ट्री के आधार पर स्वामित्व से संबंधित जोखिम तथा रिवार्ड का स्थानान्तरण आदि संबंधित आदेशों में उल्लिखित दायित्व को पूरा करना है । हमारे विचार में इस तरह की मान्यता राजस्व मान्यता पर लेखा मानक (एएस)-9 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । हम सामग्री के मूल्य को क्वान्टिफाई करने की स्थिति में नहीं है जो राजस्व मान्यता के मानदण्ड को पूरा नहीं कर रहा हैं और राजस्व मान्यता पर एएस-9 के अर्थ से मेल नहीं खाता और इसका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव क्या होगा ।	राजस्व मान्यता के संबंध में कपनी द्वारा मानी जा रही लेखा नीति आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा जारी किये गये विभिन्न मतों के अनुरूप है । एफओआर डेटिनेशन ठेके से संबंधित आय की गणना करते समय और विशेषकर वर्षान्त के प्रेषण, ग्राहकों को सामग्री पहुँचाने के लिये रीजनेबल समय को सुनिश्चित किया गया ।

AUDITORS' REPORT	Company's Replies
18 on `Related Party Disclosure' for the reasons stated therein;	
iii) Note No: 12 in Schedule `P' regarding Recognition of Sale of EVMs at Rs.8670 per unit, pending recommendation of the final price by the Price Review Committee;	Revenue has been recognized on the basis of prices at which EVMs have been supplied in 2003-04 and the company is confident of realizing the same.
iv) Note No: 14 in Schedule `P' regarding adhoc provision of Rs.1063.80 lakhs towards impending wage revision due from 01.01.2007 and inclusion of the same in salaries and wages;	In the absence of any guidelines, provision has been made on estimated basis.
v) Note No: 15(i) in Schedule `P' regarding deposit received from NFC for the purpose of Investment in APGPCL. Pending settlement of issues between NFC and the Company with reference to investment in shares and its ownership, the amount deposited has been exhibited under `Current Liabilities'.	The note referred to by the Statutory Auditors is factual and is self explanatory.
D) Our comments on the Financial Statements 2006-07 are as under:	
1) a) Reference is invited to Accounting Policy A on "Revenue Recognition":	
In FOR Destination and Ex-works cases, particularly for the year end transactions, revenue is recognized on the assumption that the goods would have reached the destination and/or the risk and rewards associated with ownership have been passed on to customers before the year end, for which there is no evidence. Even for partial shipments in a composite contract, Revenue is recognized on line entry basis assuming transfer of title to goods and risk and rewards associated with ownership to the extent of partial supplies made though complete obligations envisaged in the order are yet to be fulfilled.	The accounting policy followed by the Company in regard to recognition of revenue is in line with the various opinions issued by the Expert Advisory Committee of ICAI. While accounting income relating to FOR Destination contracts and in particular the year end dispatches, reasonableness of time for the goods reaching the customers has been ensured.
In our opinion, such recognition is not strictly in line with the provisions of Accounting Standard (AS)-9 on Revenue recognition. We are not in a position to quantify the value of goods that have not fulfilled the key criterion for Revenue Recognition within the meaning of AS-9 on Revenue Recognition and its impact on the financial statements.	

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	कंपनी द्वारा उत्तर
बी) लेखा नीति ए (iv) की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है ।	
एएस-7 निर्माण ठेके के अंतर्गत टर्नकी अन्य ठेके के संबंध में पालिसी (ए-iv)राजस्व मान्यता निम्न प्रकार हैं : (i) यदि पूरा करने के लिये साधारण सैकिल समय बारह महीने हो (ii) सामग्री प्राप्ति में लागत शामिल है परंतु असेट के निर्माण के लिये नहीं पर नार्मल कोर्स में आपूर्ति के लिये; (iii) स्टान्ड अलोन सेवा ठेके जहाँ कंप्लीशन तथा स्वीकृति के लाइन एन्ट्री आधार पर सेवा चार्जबल होती है ।	दीर्घकालीन ठेके के लिये आय की मान्यता हेतु लेखांकन नीति लेखांकन मानक 7 के अनुरूप है । संपत्ति के निर्माण से संबंधित सेवाओं की मान्यता संबंधी लेखा मानक-7 के पैरा 4(ए) में दर्शाया गया । इसी तरह से ठेके के लिये प्राप्त की गई सामग्री को लेखांकन मानक 7 के पैरा 30 (ए) के अनुसार शामिल किया गया और तदनुसार राजस्व की मान्यता दी गई ।
हमारी राय में उपरोक्त सभी एएस-7 के परिधि से परे हैं और एएस-9 ''राजस्व मान्यता'' के अंतर्गत आते हैं । हमारी राय में, उपरोक्त नीति के आधार पर जो एएस-7 का डीवियेशन है, राजस्व मान्यता की वजह से बिक्री एवं ऋणदाताओं में 2025.75 लाख का ओवर स्टेटमेंट, 707.99 लाख रुपयों का ओवर स्टेटमेंट कर से पहले लाभ में और 1317.76 लाख रुपयों का मालसूचियों में अंडरस्टेटमेंट दर्ज किया गया ।	
सी) ''पट्टे'' पर लेखा नीति आर(बी) की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है :	
लेखा मानक (एएस)-19 के 26, 27 तथा 32 पैराग्राफ के अंतर्गत वित्तीय पट्टों के प्रक्रिया के विरुद्ध कंपनी नीति के अनुसार मेनफाक्चरर/डीलर लेसर द्वारा ही सभी वित्तीय पट्टों का ट्रीटमेंट होता है (एएस-19 का पैराग्राफ 32) हमारी राय में यह एएस-19 के विरुद्ध है । हमारी राय में ग्राहकों को उप-पट्टों पर देने के लिये वित्तीय पट्टों की संपत्ति को ट्रीट करने के लिये लेखा मानक-19 में कंपनी के नार्मल बिक्री के रूप में नहीं माना गया । इस नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है ।	कंपनी के सामान्य कारोबार के दौरान ही यह पट्टी कही कार्रवाई की गई है इसीलिये लेखा नीति के लिये लेखा मानक 19 का 32 पैरा ही आधार है ।
2) बीओएमटी बेसिस के अंतर्गत केरला मोटर विहैकिल डिपार्टमेंट (केएमवीडी) - फास्ट परियोजना के संबंध में टिप्पणी 4 (ii) की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है:	
बिल्ड ओन मेनटेन ट्रान्सफर (बीओएमटी) ठेके के कार्यान्वयन के लिये कंपनी और व्यापार सहभागी ने इस परियोजना में क्रमश: 604 लाख रुपये और 1550 लाख रुपये निवेश किये । केएमवीडी के साथ के ठेका पद्धति के अनुरूप कंपनी ने व्यापार सहभागी के साथ बैक टु बैक	लेखा मानक-19 प्रावधानों के अनुसार केएमवीडी के लेनदेन को हिसाब में लिया गया ।

AUDITORS' REPORT	Company's Replies
b) Reference is invited to Accounting Policy A(iv):	
In respect of turnkey/other contracts covered under AS-7 `Construction Contracts' the policy (A-iv) envisages revenue recognition (i) even if the normal cycle time for completion is twelve months; (ii) including the cost of materials procured but not meant for construction of the asset, but for supplies in the normal course; (iii) including stand alone service contracts where the service becomes chargeable on line entry basis on completion and acceptance.	The Accounting Policy for recognition of income for long term contracts is in line with Accounting Standard – 7. Para 4(a) of Accounting Standard-7 provides for recognition of services directly related to the construction of the asset. Similarly materials specifically procured for the contract have been included as part of costs as per para 30(a) of Accounting Standard -7 and accordingly revenue is recognised.
In our opinion, all the above are outside the scope of AS-7 and are covered under AS-9 'Revenue Recognition'. *In our opinion, recognizing revenue on the basis of above policy which is in deviation to AS-7 has resulted in overstatement of the sales and debtors by Rs.2025.75 lakhs, overstatement of Profit Before Tax(PBT) by Rs.707.99 lakhs and understatement of the inventory by Rs.1317.76 lakhs.*	
c) Reference is invited to Accounting Policy-R(b) on `Leases':	
As against the laid down treatment of finance leases vide paragraphs 26, 27 and 32 of Accounting Standard (AS)-19, the company policy envisages treatment of all finance leases to be by manufacture/ dealer lessor (paragraph 32 of AS-19), which in our opinion, is contrary to AS-19. In our opinion, treating the assets taken on finance lease for the purposes of sub-leasing to customers also as Company's normal sale is not envisaged in Accounting Standard-19. The policy needs to be reviewed.	The leasing activity is undertaken by the Company in the course of its normal business and hence, para 32 of Accounting Standard -19 is the basis for the Accounting Policy.
2) Reference is invited to Note 4(ii) regarding Kerala Motor Vehicles Department (KMVD) - FAST Project under `BOMT' basis:	
For implementing the "Build Own Maintain Transfer" (BOMT) Contract, the company and its Business Associate (BA) have invested Rs.604 lakhs and Rs.1550 lakhs respectively in the project. The company entered into a back to	The KMVD transactions have been accounted as per the provisions of Accounting Standard -19 only.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	कंपनी द्वारा उत्तर
अग्रीमेंट में करार किया । एएस-19 ''पट्टे के अंतर्गत कंपनी ने ''बीओएमटी'' ठेके को ''वित्तीय पट्टा'' मान लिया है और लीज अकौन्टिंग के खातिर 10-3-2007 को व्यापार सहभागी से पट्टा करार किया है जो परियोजना के कार्यान्वयन के बाद किया गया । इस तरह से कंपनी पट्टेदार बन गई और केएमवीडी की उप पट्टेदार हो गई । कंपनी ने व्यापार सहयोगी द्वारा किये गये निवेश को कंसमशन के हिसाब में लिया और 1550 लाख रुपयों का लयाबिलिटी क्रियेट किया । परिणामस्वरूप कंपनी ने परियोजना में अपने निवेश को डीमड लीज के रूप में ही नहीं माना बल्कि व्यापार सहयोगी के निवेश को भी निवेश में शामिल किया और दानों को मेन्युफाक्चरर/डीलर लेसोर माना और 2006-07 के लिये पूरी राशि 2168 लाख रुपयों को बिक्री आय के रूप में दर्शाया । इस तरह से वर्ष 2006-07 में ही स्वामित्व तथा जोखिम रिवार्डस केएमवीडी को स्थानांतरित किया गया, जबकि ठेके की शर्तों के अनुसार तीन वर्षों के ठेके के अंत में केएमवीडी को टाइटल टु गुड्स स्थानांतरित करना होता है ।	
लेखा मानक (एएस)-19 की उपरोक्त व्याख्या तथा काम्प्लेक्स अकाउन्टिंग के मद्देनजर, हम यह सही है या नहीं इस बारे में कोई राय देना नहीं चाहते और बिक्री तथा ऋणदाता एवं उपभोक्ता तथा क्रेडिटर्स के विषय में किये गये डिसक्लोसर्स के बारे में राय देना नहीं चाहते ।	
3) केएमवीडी परियोजना से सेवा आय (पैरा 2 के साथ पढें)	
उक्त पैरा - 2 में कथित प्रकार केएमवीडी के साथ के ठेके के अनुसार तीन वर्षों का ठेका अवधि का समय केएमवीडी द्वारा ''गो लीव'' दिनांक स्वीकृत होने तथा प्रमाणित करने के बाद आरंभ होता है। ''गो लीव'' का अर्थ है परियोजना में स्वीकृत एवं शामिल किये गये सभी साइट जो पूरी तरह से आपरेशनल है और केएमवीडी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र पर आधारित है । केएमवीडी अभी ''गो लीव'' प्रमाण पत्र देना है और तीन वर्षीय ठेका अवधि अभी केएमवीडी द्वारा पुष्टि की जानी है । यद्यपि, सभी साइटों का ''गो लीव'' प्रमाणपत्र जारी करना शेष है, जो 3 वर्ष के ठेका अवधि के आरंभन का आधार है । कंपनी सितंबर 2006 से आरंभन दिनांक मानती है और दो तिमाही के लिये आय को मान्यता दी है जो 799.64 लाख रुपये हैं और जिसमें व्यापार सहयोगी	''गो लिव'' के पहले परियोजना से संबंधित सभी गतिविधियाँ पूरी की गयी हैं तथा कुछेक संदर्भों में जहाँ केएमवीडी द्वारा कंपनी को केन्द्रों का अंतरण न हुआ ऐसे मामलों को छोडकर बिल्स तैयार किये गये। केएमवीडी ने सूचित किया कि भुगतान के लिए दावे प्रक्रियाधीन हैं।

back agreement with BA on the lines of Contract with KMVD. The company considered `BOMT' contract as a 'Financial Lease' within the meaning of AS-19 'Leases' and to enable lease accounting, entered into a lease agreement with BA on 10.03.2007 much after the implementation of the project according to which the company became lessee to the extent of investment by BA and in turn considered it as a sub-lease to KMVD. The company accounted for the investment by BA as its consumption and created a liability for Rs.1550 lakhs. Consequently the company not only treated its own investment in the project as a deemed lease but also included the investment of BA which it took under finance lease, as deemed finance lease and considering both as manufacture/dealer lessor, the entire amount of Rs.2168 lakhs as sale income for the year 2006-07 with a corresponding expenditure of equal amount being the joint investment. Thus, treating the ownership and risks rewards transferred to KMVD in 2006-07 itself, though as per terms of contract, the title to goods is to be transferred to KMVD at the end of three years contract period.

In view of the above complex accounting and interpretation of the Accounting Standard (AS)-19 adopted, we do not wish to give any opinion on the correctness or other-wise of the accounting treatment including recognition of sale and debtors and consumption and creditors and the disclosure made in the notes in this regard.

3) Service Income from KMVD Project (Read with Para 2 above):

As per contract with KMVD as discussed in para-2 above, the 3 years contract period commences from 'Go Live' date accepted and certified by KMVD. `Go Live' means acceptance of all the sites included in the project as "Fully Operational" on the basis of certificate to be issued by KMVD. KMVD is yet to give 'Go Live' certificate and the date of commencement of 3 years contract period is yet to be confirmed by KMVD. Though 'Go Live' certificate of all sites is still to be issued which forms the basis for commencement of 3 years contract period, the company considered the

All the activities relating to the project have been completed before the "Go live" and bills have been raised except for a few instances where the centers had not been handed over by KMVD to the company. KMVD had already communicated that claim for payments is also under process.

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 83 11/30/2007, 11:35 AM

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	कंपनी द्वारा उत्तर
का व्यय शेयर 581.68 लाख रुपये हैं । आगे, आज की तारीख तक केएमवीडी से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ ।	
हमारी राय में इस तरह से आय तथा व्यय की मान्यता देना असामयिक है और अक्रूअल कानसेप्ट के विरुद्ध है और ठेके की शर्तों के विरुद्ध है । इसके परिणामस्वरूप राजस्व और डेटार्स में 799.64 लाख रुपयों को ओवर स्टेटमेंट, व्यय और देयताओं में 581.68 लाख रुपयों का ओवर स्टेटमेंट तथा 217.96 लाख रुपयों का कर से पहले लाभ को ओवरस्टेटमेंट में दर्शाया गया ।	
4) महाराष्ट्र बिक्री कर विभाग (एमएसटीडी) के बीओओआर ठेका के अंतर्गत सेवा आय तथा किया जानेवाला करार से संबंधित टिप्पणी सं. 13 की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है :	
कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार., कंपनी ने शर्तों के निर्णय जिसमें ''ट्रान्सीशन अवधि समाप्ति दिनांक'' तथा ''ठेके का आरंभन दिनांक शामिल है'', के लिये एमएसटीडी के साथ करार किया । आज तक, उपरोक्त मुद्दों पर सहमति बननी है । और निर्णय लेने है, जो हमारी राय में अक्रूअल कानसेप्ट के अनुसार परियोजना पर राइट टु क्लेम तथा राइट टु अक्रू किसी काम को स्थापित करने के लिए आवश्यक है ।	कंपनी अपना उत्तरदायित्व परा किया है और 30.09.2006 तक ''एन्ड आफ ट्रान्सीशन'' घोषणा करने के लिए ,एमएसटीडी को सूचित किया कि निविदा के शर्तों के अनुसार आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया और 20.09.2006 से कार्य चल रहा है ।
उपरोक्त लंबित मामलों को छोडक़र, ट्रान्सिशन अवधि की समाप्ति 30 सितम्बर, 2006 घोषणा करते हुए कंपनी ने एमएसटीडी को सूचित करते हुए पत्र लिखा, इस तरह से ठेके की आरंभण तिथि 01.10.2006 है और अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 तक की अवधि के लिए कंपनी ने 1022.79 लाख रूपयों की आय को मान्यता दी है जिसमें न्यूनतम अस्यूर्ड ट्रन्सेक्शन्स शमिल है। कंपनी ने जनवरी 2006 से सितम्बर 2006 की अवधि के लिए 410.80 लाख रूपयों के आय को मान्यता दी है। (यह अस्यूमड ठेका अवधि के आरंभण तिथि से पहले) जिसके लिए एमएसटीडी से किसी प्रकार की पुष्टि उपलब्ध नहीं है। कंपनी ने सेवाओं के लिए 140.21 लाख रूपयों की आय को मान्यता दी है। इस तरह से 1573.80 लाख रूपयों के कुल आय को मान्यता दी है। इस तरह के आय को मान्यता देने से कंपनी 1270.64 लाख रूपयों के लिए व्यय के लिए अकौंटेड हुआ।	
हमारी राय में, इस तरह से आय को मान्यता देना प्रिमैच्यूर है और अक्रूअल कान्सेप्ट के विरूद्ध है और इसके परिणाम स्वरूप 1573.80 लाख का राजस्व तथा कर्जदारिया और	

commencement date from September 2006 and recognised income for two quarters amounting to Rs.799.64 lakhs and provided an expenditure of Rs.581.68 lakhs being the share of Business Associate. Further, no payment is received from KMVD till date.

In our opinion, such a recognition of income and expenditure is premature, against the accrual concept and not strictly inline with the terms of contract. This has resulted in overstatement of Revenue and debtors by Rs.799.64 lakhs, expenditure and liability by Rs.581.68 lakhs and a consequential over statement of PBT by Rs.217.96 lakhs

4) Reference is invited to Note 13 in regarding service income recognized under BOOR contract of Maharashtra Sales Tax Department (MSTD) and agreement to be entered:

As per the terms of work order, the company has to enter into an agreement with MSTD for agreeing and deciding on the terms including "the date of end of transition period" and "the date of commencement of contract duration". As on date, the above issues are yet to be resolved and decided, which in our opinion, are essential to establish the `right to claim and right to accrue' any income on the project as per `Accrual Concept'.

Notwithstanding the above pending issues, based on company's letter informing MSTD to declare the `end of transition period' as 30th September, 2006, thereby considering the commencement of contract duration date as 01.10.2006, the company recognized an income of Rs.1022.79 lakhs for the period from October 2006 to March 2007 including for the minimum assured transactions. It also recognized income of Rs.410.80 lakhs for the period from January 2006 to September 2006 (the period before the assumed date of commencement of contract duration) for which no confirmation is available from MSTD. It also recognized service income of Rs.140.21 lakhs towards other services. Thus, the total income recognized was Rs.1573.80 lakhs. Based on such recognition of income the company accounted for an expenditure of Rs.1270.64 lakhs towards share of income relating to Business Associate.

The company has discharged its responsibility and informed to MSTD to declare the "End of Transition" as 30.09.2006. In response to this, MSTD had communicated that the IT infrastructure has been installed as per the tender specifications and is working since 20.09.2006.

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 85 11/30/2007, 11:35 AM

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	कंपनी द्वारा उत्तर
1270.64 लाख रूपयों का व्यय तथा देयताएँ और 303.16 लाख रूपयों का कर से पहले लाभ ओवरस्टेटमेंट में दर्शाया गया।	
5) एक काम्पोसाइट आदेश के विरूद्ध, कंपनी ने 467.06 लाख रूपयों को 'राजस्व को मान्यता' दी है, हमारी राय में एएस-9-राजस्व मान्यता के प्रावधानों के विरूद्ध है क्योंकि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किया गया आदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि आपूर्तिकर्ता के जोखिम पर ही आपूर्ति होनी है और इस तरह से राजस्व की मान्यता के लिए मानदंड की अवहेलना हुई है।	ग्राहक ने उसके दिनांक 30.3.2007 के पत्र के साथ उपस्कर को प्राप्त किया है। यह भी कंपनी लेखा नीति ए (i) (सी) के अनुरूप है।
इस मान्यता के परिणाम स्वरूप 467.06 लाख रूपयों का बिक्री एवं डेबटार्स को ओवरस्टेटमेंट में दर्शाया गया और 406.60 लाख रूपयों का मालसूची को अंडरस्टेटमेंट और 60.46 लाख रूपयों का पीबीटी को ओवरस्टेटमेंट में दर्शाया गया।	
6) कंपनी ने 604.73 लाख रूपयों की बिक्री को मान्यता दी है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक के साइट पर सुपुर्दगी की शर्त पर आपूर्तिकर्ताओं को आदेश पेश किया और आपूर्तिकर्ताओं ने अप्रैल, 2007 में माल को सुपुर्द किया। इस का मतलब यह रहा कि अप्रैल, 2007 में ही क्रय किया गया। हमारी राय में इस तरह के लेन-देन अक्रूअल कान्सेप्ट के विरुद्ध है और इसके परिणामस्वरूप 604.73 लाख रुपयों का बिक्री एवं डेटार्स को ओवरस्टेटमेंट में तथा 337.42 लाख रुपयों का व्यय एवं क्रेडिटार्स को ओवरस्टेटमेंट में और 267.31 लाख रुपयों का कर से पहले लाभ को ओवरस्टेटमेंट में दर्शाया गया।	लेखा परीक्षा के आबसरवेशन में संदर्भित सामग्री का ग्राहक के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किया गया और ठीक पाया गया और 31.03.2007 से पहले प्रेषित किया गया।
7) बढ़े तीन ठेकों में कम्पनी ने एएस-7 कन्स्ट्रक्शन ठेका के अंतर्गत 10562.16 लाख रुपयों के राजस्व को मान्यता दी है यद्यपि ठेके के अन्य कन्सिडरेशन्स तथा अन्य शर्तों पर कोई सहमति नहीं हुई और अंतिम रूप भी नहीं दिया गया और मूल्य पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। कान्ट्राक्ट कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए एएस-7 के अंतर्गत लेखा मानक के अनुसार राजस्व को निर्धारित नहीं किया गया। एएस-7 के अंतर्गत राजस्व को मान्यता देने के लिये तथा विश्वसनीय प्राक्कलन बनाने के लिये एक ठेके की आवश्यकता है जो यह निर्धारित करें ;	संदर्भित सभी ठेके सामरिक उत्पादों के है और कंपनी इन परियोजनाओं में अच्छी प्रगति की है। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये लेटर्स आफ इंटेन्ट के आधार पर आय की मान्यता दी गई। रक्षा योजनाओं के मामलों में कन्सिडरेशन को सूचित किया गया और अन्य मामलों में कपनी द्वारा अनुमानित मूल्यों को अडाप्ट किया गया।

AUDITORS' REPORT	Company's Replies
In our opinion, such a recognition of income is premature and against accrual concept and has resulted in overstatement of revenue and debtors by Rs.1573.80 lakhs and expenditure and liabilities by Rs.1270.64 lakhs and consequently the Profit Before Tax by Rs.303.16 lakhs.	
5) Against a composite order, the company recognized revenue of Rs.467.06 lakhs which, in our opinion, is contrary to the provisions of AS-9 - `Revenue Recognition' as the order placed by the customer clearly stipulated that goods supplied and held in their custody are at the risk of the supplier and thus not met the criterion for recognizing revenue. *This recognition has resulted in overstatement of sales and debtors by Rs.467.06 lakhs and understatement of inventory by Rs.406.60 lakhs and consequential overstatement of PBT by Rs.60.46 lakhs.*	The customer has accepted the equipment vide his letter dated 30.3.2007. This is also in line with the Accounting Policy of the company A(i)(c).
6) *The company has recognized a sale of Rs.604.73 lakhs for which the company placed orders on suppliers on `delivery at customers site' terms and the said suppliers have delivered the goods in April 2007 as evidenced by acknowledgements of the customer i.e., the purchase itself has taken place in April 2007. In our opinion, recognition of sale in March 2007 for such transactions is contrary to accrual concept and has resulted in overstatement of sales and debtors by Rs.604.73 lakhs with corresponding overstatement of expenditure and creditors by Rs.337.42 lakhs and consequential overstatement of PBT by Rs.267.31 lakhs.*	The goods referred to in the Auditor's observation have been inspected and cleared by the customer's representative and have been dispatched before 31.03.2007.
7) In three major contracts the company recognized a revenue of Rs.10562.16 lakhs under AS-7 'Construction Contract' even though the contract consideration to be exchanged and other terms are not agreed to or finalised and in some cases even price negotiations have not taken place. Considering the indicative/expected/assumed contract consideration for the purposes of determing the Revenue under AS-7 is not envisaged in the Accounting Standard. For recognizing any revenue under AS-7 and for making reliable estimates there must be a contract which establishes:	All the contracts referred, relate to strategic products and the company has substantially progressed in these projects. The income has been recognized on the basis of Letters of Intent issued by Competent Authorities. In the case of Defence projects, consideration has also been indicated and in other cases the prices as estimated by the company have been adopted.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	कंपनी द्वारा उत्तर
i) संपत्ति के निर्माण से संबंधित दोनों पार्टियों के अधिकार ii) कनसिडरेशन की अदला बदली iii) समझौते की शर्तें पहले प्रोक्यूर करने के लिये कांट्राक्ट कंसिडरेशन के बगैर ग्राहकों से लेटर्स आफ इन्टेन्ट (एलओ'आई) जहाँ जहाँ प्राप्त हुआ हो आदि राजस्व मान्यता के आधार नहीं हो सकते । इस तरह का राजस्व मान्यता जिसमें लाभ शामिल हैं जबकि कनसिडरेशन निर्धारित नहीं है और उचित भी नहीं है और ऐसे मामलों में एएस-7 ऐसे लागत को राजस्व की मान्यता के लिये अनुमति प्रदान करता है जिसकी वसूली हो सकती है । इस तरह से हमारी राय में उपरोक्त 3 ठेकों में लाभ की मान्यता देने के कारण टर्नओवर डेटार और पीबीटी में 4631.41 लाख रुपयों का ओवरस्टेटमेंट दर्ज किया गया जो आय की मान्यता तथा लागत का अन्तर है ।	
8) कंपनी ने 5 अलग आदेशों को मिला दिया और उसे एक परियोजना के रूप में मान लिया जबकि यह अलग पैकेजस के रूप में तथा अलग सुपुर्दगी दिनांक और एक वर्ष की कम अवधि की थी और एएस-7 के अंतर्गत 1024.67 लाख रुपयों के राजस्व को मान्यता दी गई । हमारी राय में यह एएस-7 के प्रावधानों के विरुद्ध है । इस तरह के लेखे की वजह से 1024.67 लाख रुपयों का राजस्व तथा विविध देनदार का ओवरस्टेटमेंट तथा 804.96 लाख रुपयों का मालसूची को अंडर स्टेटमेंट और परिणामस्वरूप 219.17 लाख रुपयों का पीबीटी का ओवरस्टेटमेंट में दर्शाया गया ।	आदेशों को पूरा करने के लिये इंडिवीड्युल दिनांक पर विचार नहीं किया जा सकता जबकि ग्राहक अपने दिनांक 27-2-07 के पत्र में सभी आदेशों को ''सिंगल वर्क पैकेज'' में माना है । लंबे समय के निर्माण कार्य को ठेके की गणना के लिये जब यह सिंगल वर्क पैकेज है तो सभी पैकेज कार्य को सम्पन्न करने के लिये लगने वाला पूरे समय पर विचार किया जाता है एएस-7 के अंतर्गत जबकि यह समय अवधि 12 महीनों से अधिक हो ।
9) वर्ष 2005-06 के वित्तीय वर्ष में फॅक्टरी ऐक्सेपटेन्स टेस्ट (एफएटी) के लिये इंतेजार करते हुए आपूर्तिकर्त्ता के आहते में सामग्री पडी हुई है, इसे कंपनी ने एएस-7 के अंतर्गत कुछ राजस्व की मान्यता प्रदान की है । इस सामग्री से संबंधित सप्लायार्स बीजक, टाइटल गूड्स को 31-3-2006 से पहले खरीदी /आयातित/इनावाइजड नहीं की गई उसे कंपनी ने कनसंमशन के अंतर्गत लेखे में लिया है और इस तरह के तरीके पर हमारे वर्ष 2005-06 के रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी की गई । इस तरह की सामग्री पर एफएटी अभी दिया जाना है और परिणामस्वरूप 31-3-07 तक 1415.93 लाख रुपयों तक	वर्ष 2005-06 में व्यय और आय को हिसाब में लिया गया था बल्कि 2006-07 में नहीं लिया गया । यह सामग्री प्राप्त हो चुकी ।

AUDITORS' REPORT	Company's Replies
i) each party's enforceable rights regarding the asset to be constructed: ii) the consideration to be exchanged: and iii) the manner and terms of settlement The `Letters of Intent' (LOIs) wherever received from customers without contract consideration are for advance action of procurement and to maintain delivery/completion dates which cannot be the basis for recognition of revenue. *Such a recognition of revenue including the profit where the consideration itself is not determined is not proper and in such cases AS-7 permits the recognition of revenue only to the extent of costs incurred of which recovery is probable. Thus, in our opinion, recognition of the profit in above 3 contracts has resulted in overstatement of turnover, debtors and profit before tax by Rs.4631.41 lakhs, being the difference between the income recognized and the cost incurred.*	
8) *The company combined 5 different orders and treated as one project though they are negotiated as separate packages with different delivery dates which individually are less than one year and recognized a revenue of Rs.1024.67 lakhs under AS-7, which in our opinion, is contrary to the provisions of AS-7. This accounting has resulted in overstatement of revenue and sundry debtors by Rs.1024.67 lakhs and understatement of inventory by Rs.804.96 lakhs and consequently resulted in overstatement of the profit before tax by Rs.219.71 lakhs.*	Individual dates of completion for orders cannot be considered when the customer states that all the orders mentioned in the letter dated 27.02.07 are a "single work package", When it is a single work package, total period required for all the package is to be considered for the purpose of reckoning long term construction contracts under AS-7, which is more than 12 months.
9) In the financial year 2005-06, the company recognized certain revenues under AS-7 for the value of materials reportedly lying at suppliers' premises awaiting Factory Acceptance Test (FAT) for which there was no suppliers' invoice and the title to goods was not passed on the company before 31.03.2006. As the revenue was recognized at cost, the company accounted for similar amount under consumption for the materials which was not purchased/imported/ invoiced before 31.03.2006 and such treatment was adversely commented in our report for the year 2005-06. *Out of such materials, FAT is still to be carried out and consequently purchase/invoicing by*	The income as well as expenditure had been accounted in 2005-06 and not in 2006-07. These materials have since been received.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	कंपनी द्वारा उत्तर
बिक्री/बीजक किया जाना है इस तरह से उपरोक्त बिक्री और कंनसमशन को 2005-06 में मान्यता दी गई, करेसपांडिंग विविध देनदारियाँ और लेनदारियाँ 31-3-2007 तक किताबों में दर्शाये जा रहे हैं, जो हमारी राय में सहीं नहीं है जो अभी 31-3-07 तक न वसूली योग्य है न भुगतान योग्य है । 31-3 -2007 तक लेनदारियाँ 1415.93 लाख है जबकि करेसपांडिंग ओवरस्टेटमेंट आफ क्युमुलेटीव लागत और राजस्व एएस-7 के अंतर्गत 1415.93 लाख है । जैसे कि क्यूमुलेटीव बिक्री और खर्च समान है इसीलिए लाभ और हानि लेखे पर कोई प्रभाव नहीं है ।	
10) रेडियो पेजिंग से संबंधित 248.33 लाख रुपये के नान प्रोविजन राशि जो आकाशवाणी को देय है उसे कंटींजेंट देयता के रूप में टिप्पण संख्या 15 (ii) (जी) के अंतर्गत दर्शाया गया ।	संवैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित टिप्पणियाँ स्वत: स्पष्ट हैं ।
11) कंपनी ने सकल बिक्री (387.68 लाख रुपये) में वैट को सम्मिलित किया है और सकल बिक्री में से वैट पर व्यय को घटाया गया जिसे लाभ तथा हानि लेखें में दर्शाया गया जो मार्गदर्शन नोट से विचलन है, इस मार्गदर्शन के अनुसार वैट कलेक्शन टर्नओवर में सम्मिलित नहीं होना चाहिए और इस तरह से वैट कलेक्शन्स और भुगतान चालू देयताओं का हिस्सा होना चाहिए ।	अनुसूची ''पी'' के नोट 5 की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है ।
इसी तरह से क्रय पर इनपुट वैट संबंध में, कंपनी ने निर्धारित प्रक्रिया को कार्यान्वित नहीं किया संपूर्ण इनपुटवैट 354.95 लाख रुपयों को वर्ष के कन्समशन के विरुद्ध समायोजित किया गया । प्रबन्धन द्वारा विचलन की वजह से हुए प्रभाव को निर्धारित नहीं किया गया और हम वित्तीय स्टेटमेंट्स पर इस तरह के डीवियेशन से प्रभाव को क्वान्टिफाई करने की स्थिति में नहीं है ।	यह 1-4-2007 से कार्यान्वित किया जा रहा है ।
12) फुटकर देनदार, फुटकर लेनदार, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम और आपूर्तिकत्ताओं को अग्रिम पुष्टियों, समायोजन के अधीन है। कई लंबे समय से लंबित लेनदारियाँ शेष है, जो बिना चलन के समीक्षा किये गये है जिसमें कुछ 5 वर्षों से अधिक समय से समायोजन नहीं किये गये । आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा सामग्री की सुपुर्दगी में विलंब के लिये, कंपनी ने लिक्विडेटेड डैमेजस की ओर राशि को रोके रखा परन्तु इसे बिना समायोजन करें देयताओं के अंतर्गत दर्शाता रहा । इस तरह	फुटकर देनदारों के शेष की पुष्टि के लिये कंपनी ने पत्र भेजे हैं । कुछ पुष्टियाँ प्राप्त हुई हैं । बकाया फुटकर देनदारियाँ, लेनदारियाँ और निर्णीत हर्जाना आदि की समीक्षा के लिये समीक्षा मेकानिज़्म है और आवश्यक कार्रवाई की गई । चालू वर्ष में समीक्षा की जायेगी और इसे मजबूत किया जायेगा ।

AUDITORS' REPORT	Company's Replies
supplier/import of the materials to the extent of Rs.1415.93 lakhs are yet to take place as on 31.03.2007. Thus, for the said sales and consumption recognized in 2005-06, corresponding sundry debtors and creditors are continuing in books as 31.03.2007 which in our opinion is not correct, as they are neither recoverable nor payable even on 31.03.2007. The continuation of such accounting has the effect of overstatement of sundry debtors, creditors as on 31.03.2007 by Rs.1415.93 lakhs with a corresponding overstatement of cumulative cost and revenues recognized under AS-7 by Rs.1415.93 lakhs. As the cumulative sale and consumption was for equal amount there is no impact on the Profit & Loss account.	
10) Reference is invited to Note No.15(ii) in respect of non-provision of Rs.248.33 lakhs payable to All India Radio relating to Radio Paging Activity shown as contingent liability.	The note referred to by the Statutory Auditors is self explanatory.
11) The company has included VAT collected (Rs.387.68 lakhs) in Gross Sales and the expenditure on VAT payable is reduced from Gross Sales as reflected in the profit & loss account, which is in deviation with the guidance note issued by ICAI which prescribed that VAT collections should not form part of turnover and such VAT collections and payments there against should form part of current liabilities. There is no impact on the Profit & Loss Account.	Reference is invited to Note No.5 of Schedule 'P'.
In respect of Input VAT on purchases, the company has not implemented the laid down procedures and the entire Input VAT of Rs.354.95 lakhs has been adjusted against consumption of the year. The impact on account of this deviation is not ascertained by the management and we are not in a position to quantify the impact of deviation on the financial statements.	This has since been implemented from 1.4.2007.
12) The balances appearing under Sundry Debtors, Creditors, Advances received from customers and Advances given are subject to confirmation and reconciliation and consequential adjustments. There are many long outstanding credit balances without any movement or review, some of which are for more than five years without any adjustments. For the delays in delivery of goods by suppliers, the company has withheld amounts towards liquidated	The Company has sent letters for confirmation of balances of Sundry Debtors. A few confirmations have been received. There is review mechanism in place for outstanding Sundry Debtors, Creditors and Liquidated Damages etc., and necessary actions have been taken. This will be reviewed in the current year and further strengthened.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	कंपनी द्वारा उत्तर
के राशियों को पहचान करने के सिस्टम के अभाव में, हम क्वान्टिफाई करने की स्थिति में नहीं है । उपरोक्त लिमिटेशन्स के मद्देनज़र, उपरोक्त का लाभ और हानि लेखे पर तथा रिसीवेबल्स और देयताओं पर के प्रभाव को हम पुष्टि तथा क्वान्टिफाई करने की स्थिति में नहीं हैं ।	
13) एक रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र से 3059.85 लाख रुपयों का बकाये को वसूली योग्य समझा गया पर वह लंबे समय से वसूली नहीं हो पा रही है । हम वसूली योग्यता पर कहने की स्थिति में नहीं है ।	कंपनी को आईटीआई से राशि की वसूली पर पूरा विश्वास है और लेखे के किताबों में कोई प्रावधान नहीं किया गया । जिसे अनुसूची ''पी'' के नोट संख्या 9 के अंतर्गत दर्शाया गया ।
14) सेनवेट/वैट लेखा, आईसीएआई द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश से डीवियेशन से संबंधित अनुसूची ''पी'' के नोट संख्या 5 की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है, हमारे द्वारा इस के प्रभाव को क्वान्टिफाई नहीं किया गया ।	1-4-2007 से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है ।
15) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कंपनी पर दावा संबंधी संदर्भ नोट 15(iiK) की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है जिसके लिए (रु. 102.16 लाख) प्रावधान नहीं है। बस पास धारियों से कंपनी द्वारा अप्राधिकृत रूप से पैसे वसूल के कारण डीटीसी द्वारा कंपनी पर दावा पेश किया और कंपनी इसे कंटिन्जेंट देयता मानती है। उसे विश्वास है कि यह मामला आरबिट्रेशन या व्यापार भागिदार से वसूल कर निपटाया जायेगा। हम इस मामले पर कोई अपनी राय बनाने की स्थिति में नहीं हैं।	संवैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित नोट स्वत: स्पष्ट है।
16) व्यय के लिए लेखांकन वर्ष में सेवा प्रदातों द्वारा दावा की गयी सेवा कर को कंपनी चार्ज ऑफ कर रही है तथा अक्रूअल पद्धति पर व्यय के बुकिंग पर योग्य क्रेडिट को उपार्जित होने के बजाय जब सेवा प्रदातों के भुगतान किया गया तब इनपुट क्रेडिट प्राप्य के रूप में क्रेडिट ले रही है ।	सेवा प्रदातों को भुगतान पर ही सेवा कर पर इनपुट क्रेडिट उपलब्ध है। तथा तदनुसार कंपनी अक्रूअल पद्धति पर परिसंपत्ति को नहीं पहचान रही है।
17) ग्राहकों से बिक्री के सी/डी/जी/एन प्रपत्र के लंबित रहने के कारण कंपनी ने रियायत दर पर देयताओं का सृजन किया। ऐसी बिक्री के मामले में यदि ऐसे रियायती फार्म प्राप्त नहीं हुए। प्रस्तुत नहीं किये गये तो कंपनी के जिम्मे पडने वाला आस्थगित कर 554.56 लाख रुपये तक हो सकता है, पर कंपनी द्वारा इसका उजागर नहीं किया गया।	कंपनी अपेक्षित प्रपत्रों की वसूली के लिए प्रयास कर रही है तथा आदेशों को अंतिम रूप देने के पहले कर प्राधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुति हेतु उन प्रपत्रों को पाने का विश्वास है।
18) विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त राशि विवादों में घिरी है इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेषकर आयकर (अक्तूबर 2006 तक	

AUDITORS' REPORT	Company's Replies
damages at the time of payments but continued to show such withheld amounts under liabilities without adjusting the same. In the absence of any system to identify such amounts, we are not in a position to quantify the same. *In view of the above limitations, the impact of the above on the profit and loss account and on the receivables and payables cannot be ascertained and quantified by us.*	
13) A sum of Rs.3059.85 lakhs due from a sick PSU has been considered good and recoverable though the same is long outstanding without any significant recoveries. We are not in a position to comment on the recoverability or other-wise of the same.	The Company is confident of recovering the amounts from ITI and hence no provision is made in the books of account as has been disclosed under Note No. 9 of Schedule "P"
14) Reference is invited to Note No.5 of Schedule `P' regarding Cenvat / VAT accounting, deviations from the Guidance Note issued by ICAI, the impact of which is not quantifiable by us.	This is being implemented from 01.04.2007.
15) Reference is invited to Note No.15 (ii)j, regarding claims by Delhi Transport Corporation on the company not provided for (Rs.102.16 lakhs). DTC made claim on the company for unauthorized collections from Bus Pass holders and the company treated the same as contingent liability as the company is hopeful of resolving the issue by Arbitration or alternatively recovering the same from Business Partner. We are not in a position to form any opinion on the issue/treatment.	The note referred to by the Statutory Auditors is self explanatory.
16) The company is charging off the service tax claimed by service providers in the year of accounting for expenditure and taking credit as Input Credit receivable only when the payments are made to service providers instead of accruing the credit eligible upon booking of the expenditure on accrual basis. The impact is not quantifiable.	*Input credit on service tax is available only on payment to service providers and accordingly the Company is not recognizing asset on accrual basis.*
17) The company created liability at concessional rates towards sales pending receipt and submission of C/D/G/N Forms from customers. In respect of such sales the differential tax that may devolve on the company in case such concessional forms are not received/submitted as estimated by the company works out to Rs.554.56 lakhs which however has not been disclosed.	The Company is pursuing collection of the required forms and is confident of getting the same for submission before the tax authorities before the finalization of orders.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	कंपनी द्वारा उत्तर
विभाग द्वारा लगायी ब्याज सहित 6450.77 लाख रुपये), बिक्री कर (126.34 लाख रुपये जो ज्यादातर सी/डी प्रपत्रों को प्रस्तुत न करने के कारण) तथा उत्पाद शुल्क एवं सीमाकर दावाएँ 49.89 लाख रुपये, हम इस पर टीका टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है क्यों कि कंपनी पर अंतिम देयता का भार पड सकता है और कंपनी द्वारा दिये गये वक्तव्य पर भरोसा किया गया और ये मामले न्यायालय के विचाराधीन है।	
19) आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर कार्यालयीन अनु एवं वि व्यय के अंतर्गत प्राथमिकी व्यय शीर्ष ये व्यावहारिक व्यय शीर्ष के रूप में कंपनी ने पुन: वर्गीकृत किया है जो 3199.57 लाख रुपये है जिस से साफ्टवेयर पर 2068 लाख रुपये व्यय भी सम्मिलित है। उसे ही विश्वसनीय मान लिया गया और प्रकटीकरण प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया गया।	
20) वर्ष 2005-06 में एएस -7 के अंतर्गत जहाँ 102.53 लाख रुपये बिक्री के रूप में माना गया है, आदेश में वर्ष के दौरान कार्य प्रगति नहीं है तथा हम को सूचित किया गया कि परियोजना को ग्राहक ने रोक रखने की वजह से कार्य की प्रगति नहीं है और आदेश चालू है। कंपनी के कथानुसार विश्वसनीय मान ली गयी।	वर्ष के दौरान ग्राहक ने इस परियोजना को रोक रखा है। अतएव, कोई प्रगति नहीं हुई।
21) रिटेंशन के आधार पर वस्तुएँ बेचने संबंधी संदर्भ नोट सं.11 की ओर ध्यानकर्षित किया जाता है जिसके अंतर्गत 2001-02 (36.58 लाख रुपये) 2002-03 (4851.17 लाख रुपये) 2003-04 (1655.72 लाख रुपये) 2004-05 (780.68 लाख रुपये) जिसका कुल 7324.15 लाख रुपये हुआ पर 31-03-2007 तक प्रेषण होना है।	ग्राहकों के अनुरोध पर रखा गया है और प्रेषित किया जाएगा।
22) लघु उद्योग यूनिटों के बारे में टिप्पण सं.15(v) के अधीनस्थ सूचना हमारे द्वारा विश्वसनीय मानली गयी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अनुसार प्रकटीकरण नहीं किया गया तथा हमने सूचित किया कि आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।	वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रकटीकरण अपेक्षानुसार किया जाएगा।
23) एक प्रभाग द्वारा अन्य प्रभाग को प्रयुक्त सेवाओं के लिए पारस्परिक सहमति आधार पर सीधे श्रमिकों का अंतर विभागीय स्थानांतरण काफी मात्रा में है जो हमारे द्वारा विश्वसनीय माना गया।	
ई) हमारी उक्त टिप्पणियों के अतिरिक्त, हम सूचित करते हैं कि:	
i) हमने वह सारी सूचना और सभी स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो	

AUDITORS' REPORT	Company's Replies
18) Considering the substantial amounts involved in disputes at different levels particularly relating to Income Tax (Rs.6450.77 lakhs including interest levied by the department upto October 2006), Sales Tax (Rs.126.34 lakhs mostly on account of non-submission of C/D forms) and excise and customs duty claims of Rs.49.89 lakhs, we are not in a position to comment on the ultimate liability that may devolve on the company and as such the treatment given by the company has been relied upon by us, as the issues are sub-judice.	
19) The company has reclassified the expenditure from primary heads to functional heads under In-house R & D expenditure based on internal reports to the extent of Rs.3199.57 lakhs which includes Rs.2068 lakhs being the expenditure on software. We have relied on the information given by the management and accepted the same for disclosure purposes.	
20) There is no significant progress of work during the year in an order where in a sales of Rs.102.53 lakhs was recognized under AS-7 in 2005-06 and we have been informed that there is no progress on the work since the customer has placed 'Hold' on the project and the order is still live. We have relied on the information furnished by the company.	During the year the customer has placed a Hold on this project. Hence, no progress is achieved.
21) Reference is invited to Note No.11 regarding goods sold under Retention basis in financial year 2001-02 (Rs.36.58 lakhs) 2002-03 (Rs.4851.17 lakhs) 2003-04 (Rs.1655.72 lakhs) 2004-05 (Rs.780.68 lakhs) aggregating to Rs.7324.15 lakhs still awaiting dispatch on 31.03.2007.	Retention is based on customers' request and will be cleared.
22) Reference is invited to Note No.15(v) regarding information relating to SSI units which was relied upon by us. Disclosure as per section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 has not been made and we have been informed that the data is not readily available.	The disclosure requirement will be followed from financial year 2007-08.
23) For the services rendered by one division to other there has been substantial inter divisional transfer of direct labour based on mutually agreed basis which has been relied upon by us.	
E) Subject to our above comments, we report that:	
i) We have obtained all the information and explanations which to the best of our	

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी द्वारा उत्तर

हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे;

ii) हमारे विचार में, जहाँ तक कंपनी की लेखा पुस्तकों से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित ढंग से उचित लेखा पुस्तकें रखीं ;

iii) इस रिपोर्ट में निर्देशित तुलन पत्र एवं लाभ-हानी खाता लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं ;

iv) तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाता कंपनी अधिनिम, 1956 की धारा 211 की उपधारा 3 सी में उल्लिखित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं बजाय उस सीमा तक जिस सीमा तक उन व्यतिक्रमों की उक्त पैरा सी एवं डी में अभिव्यक्ति की गयी। जहाँ तक वे निर्माण ठेके के लिए एएस -7 पर, राजस्व मान्यता पर एएस -9, खण्ड रिपोर्टिंग पर एएस एएस -17 तथा पट्टे के लिए लेखांकन पर एएस -19 से संबधित हैं।

v) विधि मंत्रालय, न्याय तथा कंपनी के मामले द्वारा जारी परिपत्र सं. 8/2002 दि.22-03-2002 के कंपनी अधिनियम की धारा 274(1) (जी) के प्रावधान के अनुसार यह कंपनी को लागू नहीं है, क्यों कि यह सरकारी कंपनी है।

vi) हमारी सूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 ए के अंतर्गत लेखों के प्रयोजनार्थ तथा उप कर की वसूली हेतु केन्द्रीय सरकारने अधिसूचना जारी नहीं की।

vii) हम सूचित करते हैं कि उक्त पैरा डी के मुद्दे (1) (ए), 2, 11 से 16 पर विचार के बिना जिनका प्रभाव निश्चित न किया जा सकता है या जहाँ हम किसी भी राय को व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है या जहाँ प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचना पर हम विश्वस्त हो गये, पैरा डी के मुद्दे 1 (बी), 3 से 10 के अंतर्गत हमारे द्वारा की गयी टिप्पणी पर विचार किया गया ;

- निवल बिक्री 9179.60 लाख रुपयों के बजाय 80663.56 लाख रुपये हुआ होता;
- कुल व्यय 73847.26 लाख रुपये के बजाय 71905.85 लाख रुपये हुआ होता;
- वर्ष के लिए कर से पहले लाभ 19253.97 लाख रुपये के बजाय 12597.66 लाख रुपये हुआ होता;

knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company, so far as appears from our examination of those books,

iii) The Balance Sheet, the Profit & Loss account and Cash Flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

iv) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub-section 3C of Section 211 of the Companies Act, 1956 *except to the extent of the deviations expressed in paragraphs C and D above in so far as they relate to AS-7 on construction contracts, AS-9 on Revenue Recognition, AS-17 on segment reporting and AS-19 on Accounting for Leases*.

v) As per circular No.8/2002, dated 22.03.2002 issued by the Ministry of Law, Justice & Company Affairs, the provisions of section 274 (l)(g) of the Companies Act, are not applicable to the Company, as it is a Government Company.

vi) According to our information, the Central Government has not issued any Notification for the purpose of levy and collection of cess under section 441A of the Companies Act, 1956.

vii) We report that without considering items (1)(a), 2, 11 to 16 of Para-D above, the impact of which could not be determined or where we are not in a position to express any opinion or where we have relied on the information given by the management, had the other observations made by us under (1)(b), 3 to 10 of Para-D above been considered;

- *The net sales would have been Rs.80663.56 lakhs instead of Rs.91790.60 lakhs;*
- *Total expenditure would have been Rs.71905.85 lakhs instead of Rs.73847.26 lakhs;*
- *Profit before tax for the year would have been Rs.12597.66 lakhs instead of Rs.19253.97 lakhs;*

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

- फुटकर देनदार 98870.90 लाख रुपये के बजाय 86327.93 लाख रुपये हुआ होता;
- चालू देयताएँ 88292.46 लाख रुपये के बजाय 84935.12 रुपये हुआ होता;
- 31-03-2007 को माल सूचियाँ 6855.84 लाख रुपये के बजाय 9385.16 लाख रुपये हुआ होता;

रु. 6656.31 लाख तक के उपरि विवरण के परिणाम स्वरूप, संबंधित देयताओं का उपरिविवरण 2547 लाख रुपये के साथ लाभ आधारित प्रोत्साहन पर प्रभाव तथा कर के लिए प्रावधान क्रमश: करीब 164 लाख एवं 2383 लाख रुपये हैं।

viii) हमारे विचार में और हमारी जानकारी तथा हमको प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखे के अंगीभूत टिप्पण एवं लेखांकन नीतियों के साथ पढे जाने पर, और आगे निर्देशित अनुबंध पैरा-''बी'' में हमारी टिप्पणियों के साथ पढे जाने पर और आगे पैरा-''डी '' में प्रस्तुत हमारी टिप्पणियों के अध्याधीन तथा तदनुसार लेखे पर उसके संचित प्रभाव के फलस्वरूप, मात्रागण निर्धारण किये जाने योग्य सीमा तक पैरा ''ई '' (vii) में बनाया गया, कंपनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षानुसार और उपेक्षित ढंग से भारत में सामान्य तथा स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों की पुष्टि की सही एवं उचित ढंग से समाचार देते हैं कि :

ए) जहाँ तक तुलन पत्र के संबंध में हैं 31-03-2007 को कंपनी के स्थिति-विवरण के बारे में,

बी) जहाँ तक लाभ-हानी खाते का संबंध है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष की हानि के बारे में सच्चा तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं, तथा

सी) जहाँ तक नकदी प्रवाह विवरण का सम्बन्ध है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष को नकदी प्रवाह को प्रस्तुत करते हैं।

कृते सत्यनारायण एण्ड कंपनी
सनदी लेखा पाल

(सी एच शेषगिरि राव)
भागीदार
एम. नं. 18523

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 25.07.2007

कंपनी द्वारा उत्तर

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(के एस राजशेखर राव)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 26.09.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 98 11/30/2007, 11:35 AM

AUDITORS' REPORT

- *Sundry Debtors would have been Rs.86327.93 lakhs as against Rs.98870.90 lakhs;*
- *Current liabilities would have been Rs.84935.12 lakhs as against Rs.88292.46 lakhs;*
- *Inventories on 31.03.2007 would have been Rs.9385.16 lakhs instead of Rs.6855.84 lakhs;*

  Consequent to overstatement of the PBT by Rs.6656.31 lakhs, the impact on profit linked incentive and provision for tax is overstatement of the same by about Rs.164 lakhs and Rs.2383 lakhs respectively with a corresponding overstatement of liabilities by Rs.2547 lakhs.

viii) In our opinion and to the best of our opinion and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the accounting policies and notes forming part of accounts, further, read with our comments in the Annexure referred to in paragraph B and *subject to our comments given in paragraph D and the cumulative consequent effect thereof on the accounts to the extent quantified, as stated in paragraph E(vii) above,* give the information as required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31.03.2007.

b) in case of the Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date, and

c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date

for SATYANARAYANA & CO.,
Chartered Accountants

Ch SESHAGIRI RAO
Partner
M.No. 18523

Place : Hyderabad
Date : 25.07.2007

Company's Replies

for and on behalf of the Board of Directors

K S RAJASEKHARA RAO
Chairman & Managing Director

Place : Hyderabad
Date : 26.09.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 99 11/30/2007, 11:35 AM

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध	कंपनी द्वारा उत्तर
समसंख्यक दिनाँक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ बी को देखें	
i) ए) स्थिर परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण के साथ पूर्ण ब्यौरा दर्शाते हुए कंपनी ने समुचित रिकार्ड रखा है।	
बी) प्रबंधन के अनुसार सभी स्थिर परिसंपत्तियों का तीन वर्ष में एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन करने का कंपनी का चरणवार कार्यक्रम है और अगला स्थिर परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यपान वर्ष 2005-06 में होनेवाला था। जिस के लिए एक बाहरी एजेन्सी को रखा गया जिसने कार्यक्रम के अनुसार सत्यापन कार्य पूरा किया और विभेदों तथा अनसर्वीसेबल तथा अबसोलेट मदों के बारे में रिपोर्ट दिया। चन प्रभागों ने मिलान के बाद मूल्यों के समायोजन की पुष्टि की तथा तदनुसार 1590.55 लाख रुपयों के सकल मूल्य का समायोजन किया गया और इसके परिणामस्वरूप नेट बुक वेल्यू में 11.87 लाख रुपयों को बट्टे खाते डाला गया। सत्यापन के दौरान पाये गए विभेदों को परिसंपत्तियों के साथ मिलान कर पुष्टि की जानी है। मिलान कार्य एवं समायोजन कार्य लंबित रहने के कारण हम विभेदों का समायोजन न कर सकने के कारण वित्तीय विवरणों पर होनेवाले प्रभाव के विषय में टिप्पणी करने एवं क्वान्टिफाई करने की स्थिति में नहीं है।	अनुसूची ''सी'' टिप्पण सं. 4 का संदर्भ लें । आपसी बातचीत से सुलह प्रगति पर है। इस के बाद आवश्यक उचित कार्रवाई ली जाएगी।
सी) कंपनी ने अपने स्थिर परिसंपत्ति से कोई बडा हिस्सा नहीं बेचा है जिससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पडा।	
ii) ए) वर्षांत में, तैयार स्टाक तथा निर्माणाधीन स्टाक का प्रबन्धन ने प्रत्यक्षत: सत्यापन किया है। ए. और बी. दर्जे की कच्ची सामग्री भण्डार एवं तीसरे पक्षकारों के यहाँ पडी सामग्री को छोडकर अतिरिक्त पुर्जे प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान एक बार प्रत्यक्षत: सत्यापित किये गये हैं। वर्ष के दौरान सी दर्जे के मदों का सत्यापन नहीं किया गया। हमारे विचार में, अन्य मुद्दों के संबंध में जिनमें शाखा के स्टाक शामिल है, प्रत्यक्ष सत्यापन की अवृत्ति तर्कसंगत है और कंपनी के आकार - प्रकार के सापेक्ष पर्याप्त दिखने तक सुधार किये जाने की आवश्यकता है।	
बी) हमारे विचार में, कंपनी द्वारा स्टाक के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु अनुसरण की जानेवाली कार्यविधियाँ उक्त पैरा (ii) (ए) के साथ पढे जाने पर तर्कसंगत हैं और कंपनी के कलेवर तथा उसके कारबार के स्वभाव के अनुरूप हैं।	

Annexure to the Auditors' Report

Company's Replies

Annexure Referred to in Paragraph B of our report of even date.

i) a) The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.

b) The Company has a phased programme of physical verification of all fixed assets once in three years which has fallen due from 2005-06 for which purpose the company engaged external agency who have carried out physical verification and reported discrepancies and also reported unserviceable and obsolete items. Certain divisions have after reconciliation confirmed the values to be adjusted and accordingly adjustments have been carried out for gross value of Rs.1590.55 lakhs resulting in a write off of Rs.11.87 lakhs being the net book value. *As on date certain differences noticed on physical verification are still to be reconciled and confirmed. Pending such review and reconciliation, we are not in a position to comment and quantify the unadjusted differences and its consequential impact on the financial statements.*

Reference is invited to Note No.4 of Schedule 'C'. Reconciliation is under progress. Suitable action as necessary will be taken after reconciliation.

c) The company has not disposed off major part of fixed assets having affect on going concern.

ii) (a) According to the explanation and information given to us, finished goods and work in progress have been physically verified by the management at the year end and A and B class items of Raw materials, stores and spares excluding materials lying with third parties and branches have been physically verified by the management twice during the year. *'C' class items have not been verified during the year. In our opinion, the frequency of the physical verification needs to be improved to be reasonable and adequate in relation to the size of the company and nature of its business.*

(b) In our opinion, the procedures of physical verification of stocks followed by the Company read with para (ii)(a) above are reasonable and adequate in relation to the size of the Company and nature of its business.

(c) The company is maintaining proper records of inventory. The discrepancies to the extent noticed on physical verification of stocks as

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध	कंपनी द्वारा उत्तर
सी) कंपनी मालसूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। किताबी रिकार्डो के साथ तुलना करते हुए स्टाकों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने के समय जो विसंगतियाँ ध्यान में आईं, उनके साथ लेखा पुस्तकों में समुचित ढंग से व्यवहार किया गया।	
iii) ए) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है।	
बी) जैसे कि धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मो को कोई ऋण नहीं दिया है। कंपनी द्वारा ऋण देने या लेने पर ब्याज दर या अन्य शर्तों से संबंधित खंड यदि कंपनी के हितों के अनुरूप न हो वे कंपनी पर लागू नहीं होंगे।	
सी) जैसे कि धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है तो दिये जानेवाले मूलधन तथा ब्याज के पुन: भुगतान संबंधी खंड कंपनी को लागू नहीं होता।	
डी) जैसे कि धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है तो एक लाख के ऊपर के बकाया राशि पर मूलधन तथा ब्याज की वसूलने के लिए लिये जानेवाले कदम से संबंधित खंड कंपनी को लागू नहीं होता।	
ई) कंपनी ने अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों से किसी प्रतिभूत या ऋण नहीं किया है।	
एफ) जैसे कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों से कोई ऋण नहीं लिया है। कंपनी द्वारा देने या लेने पर ब्याज दर या अन्य शर्तों से संबंधित खंड यदि कंपनी के हितों के अनुरूप न हो तो वे लागू नहीं होंगे।	
जी) जैसे कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों अन्य पक्षकारों से कोई ऋण नहीं ली है तो, मूलधन तथा ब्याज के भुगतान संबंधी खंड कंपनी को लागू नहीं होता।	
iv) हमारे विचार में और हमको प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकारणों के अनुसार भण्डार, कच्ची सामग्री, संघटकों की खरीदी तथा माल	भविष्य में लेखा परीक्षकों के सुझावों के अनुसार प्रणाली एवं प्रक्रिया को सुदृढ बनाने लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर ध्यान दिया गया।

Annexure to the Auditors' Report	Company's Replies
compared to book records have been properly dealt with in the books of account.	
iii) a) The Company has not granted any loans to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Sec. 301 of the Companies Act, 1956.	
b) As the company has not granted any loans to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Sec. 301, the clause relating to rate of interest and other terms and conditions of loans given by the company, secured or unsecured which are prima facie prejudicial to the interest of the company is not applicable to the company.	
c) As the company has not granted any loans to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Sec. 301, the clause relating to receipt of the principal and interest is not applicable to the company.	
d) As the company has not granted any loans to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Sec. 301, the clause relating to steps taken for recovery of the principal and interest on overdue amount of more than one lakh is not applicable to the company.	
e) The company has not taken any loans, secured or unsecured from companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.	
f) As the company has not taken any loans from companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956, the clause relating to rate of interest and other terms and conditions of the loan taken which are prima facie prejudicial to the interest of the company is not applicable to the company.	
g) As no loans are taken by the company from the companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956, clause relating to payment of principal amount and interest is not applicable to the company.	
iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the internal control systems for purchase of inventory and fixed assets	The observations of Audit are noted for further streamlining of the systems and procedures as suggested by Auditors

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध	कंपनी द्वारा उत्तर
की बिक्री हेतु जो आंतरिक निमंत्रण कार्यविधियाँ हैं, वे और रिकार्डों का रखा जाना मिलकर कार्यविधियों सुधारने की आवश्यकता है और अन्य दस्तावेज संबंधी कमियाँ टालने की जरूरत है ताकि कंपनी के कलेवर एवं उसके कारबार के स्वभाव के अनुरूप हो, के इन क्षेत्रों को छोडकर (ए) वर्षान्त तक रसीदों की रिकार्डिंग सामग्री से संबंधित मुद्दे जो संख्या व वाल्यूम में सबस्टान्शियल है, (बी) व्यापार सहयोग के माध्यम से कंपनी द्वारा किये गए ''ई'' गवर्नेन्स परियोजनाओं के संबंध में आय का समय के रहते हुए लेखांकन एवं लागत, (सी) वर्षान्त के क्रय एवं बिक्री के लिए कट आफ प्रक्रियाएँ जो संख्या व वाल्यूम में सबस्टान्शियल, (डी) अनरिकन्साइल्ड विभेदों को पहचान के लिए ग्राहकों और विक्रेताओं से शेष पुष्टि पत्र प्राप्त करना, (ई) सुपुर्दगी के दिनांकों के बाद में प्राप्त आपूर्तियों के लिए निर्णीत हर्जाना संबंधी मामलों की पहचान और इन्हें उचित ढंग से हिसाब करना और निर्णीत हर्जाना की छूट।	ए) एफएटी कंडक्ट करने के बाद वर्षान्त की अवधि में सामग्री की प्राप्ति। गुणवत्ता नियंत्रण एवं आन लाइन परीक्षण के बाद प्राप्त की गई सामग्री तथा दस्तावेजों का नियंत्रण। बी) करेसपांडिंग मैचिंग व्यय के साथ''ई'' गवर्नेन्स के राजस्व की मान्यता दी गई और किसी प्रकार के डीवीयेशन इनविसेज नहीं किया गया। सी) कार्यान्वयन के लिए लेखा परीक्षक के सुझाव का परीक्षण किया जायेगा। डी) बकाये की पुष्टि के लिए ग्राहकों को पत्र भेजे गए, परंतु कुछ पार्टियो ने ही जवाब दिया। ई) 01-04-2007 से कार्यान्वयन किया जा रहा।
बडे ट्रान्साक्शन को दृष्टि में रखते हुए सही पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ और प्रणालियों को बरखरार रखना और प्रभावीरूप से मानीटर करना। वर्तमान प्रणाली कमजोर है और कम्प्यूटर शिक्षा प्रभाग में आंतरिक नियंत्रण की कमी ही इसका कारण है। जो प्रणाली लागू की गई इससे शिक्षण सुपुर्दगी एवं फ्राइनचैजस को दय के कारण वसूली योग्य सही राशि अभिनिश्चित नहीं है।	कलेक्शन जमा करने के लिये एक प्रणाली चल रही है और फ्रेनचीसीस के दावों को पूरा किया जा रहा है । बाहरी सनदी लेखा पाल द्वारा ईसीआईटी के आपरेशन्स का लेखा परीक्षण किया गया ।
आगे, कंपनी द्वारा चलाये जा रहे ''ई'' गवर्नन्स परियोजनाओं के सहयोगी बिजनेस असोसियेट्स द्वारा किये गए नकद वसूली संबंधी आंतरिक नियंत्रण नियमावली पर्याप्त नहीं है और बिजनेस असोसियेट्स कंपनी द्वारा खोले गए विशेष एसक्रो लेखों में अपने द्वारा की गयी वसूली को जमा कराने में लगातार नाकाम हो रहे हैं।	वसूली को नियंत्रण करने के लिये वर्तमान मुद्रा नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ किया जायेगा ।
v) ए) प्रबन्धन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान किसी प्रकार का लेन देन किया गया है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जानेवाले रजिस्टर में दर्ज किया जाना है।	
बी) हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं सूचना के अनुसार कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जानेवाले रजिस्टर में दर्ज किये गये कंपनियों से, कंपनी ने कोई कांट्राक्ट या	

Annexure to the Auditors' Report	Company's Replies
and for sale of good and services are adequate as commensurate with the size of the company and nature of its business, *except in the areas of (a) recording of receipts and issues of material at the year end which are substantial in number and volume; (b) timely accounting of Income and related matching costs in respect of 'e' Governance projects undertaken by the company through business associates; (c) 'cut off' procedures for year end purchases and sales which are quite substantial in number and volume; (d) obtaining balance confirmation letters from customers and vendors to identify unreconciled differences (e) identifying and effecting recovery of liquidated damages for supplies received beyond delivery dates and its proper accounting and waiver of Liquidated damages leviable. Considering the volume of transactions proper and adequate internal control procedures and systems be kept in place and effectively monitored.*	a) This is due to long lead items received at the fag end of the year after conducting of FAT. Where materials are received, documents are controlled only after completion of quality control inspection and online testing. b) Revenue in respect of the 'e' governance is recognized normally with the corresponding matching expenditure and as such no deviation is envisaged. c) The Auditor's suggestion will be examined for implementation. d) Letters are sent to customers for confirmation of balances, but response is received from few parties only. e) This has already been implemented from 1.4.2007.
We are of the opinion that the present internal control systems of fee collections by the franchisee and from school projects needs to be improved. The exact amount recoverable on account of Education delivery and payable to franchisee is not ascertainable from the system in vogue.	A system exists for depositing the collections and settling the claims of franchisees in time. ECIT operations are audited by external firm of Chartered Accountants.
Further, the internal control procedures in respect of cash collections made by Business Associates as part of 'e' Governance Projects under taken by the company are not adequate and there has been continuous failure of remitting the collection by the Business Associates with the company/specific escrow accounts opened by the company.	The present monitory control will be further strengthened to check the collections.
v) (a) As per the information and explanations provided by the management, there are no contracts or arrangements taken place during the year, which need to be entered into the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.	
(b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not entered into contracts or arrangements exceeding Rs.5 lakhs in value with companies in which directors are interested as listed in the Register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956. and the clause relating to reasonableness of the prices having regard	

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध	कंपनी द्वारा उत्तर
व्यवस्था नहीं की है जिसका मूल्य 5 लाख रुपयों से अधिक हो और मूल्य की औचित्यता से संबंधित खंड कंपनी पर लागू नहीं है।	
यद्यपि, महाराष्ट्रा बिक्री कर विभाग (एम एस टी डी) के साथ ठेका निष्पादित करने के लिए 1300 लाख रुपयों का माल दूसरों से प्राप्त कर आपूर्ति करने के लिए कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन (49% ईक्विटी होल्डिंग) किया। बाद में, कंपनी ने जेवीसी को आदेश दिया पर क्रय प्रक्रिया को पूरी तरह पालन नहीं किया गया पर निदेशक मंडल ने रेटिफाई किया। कंपनी के शर्तों के अनुसार उनके नेगोशियेटेड मूल्य पर 81.33 लाख रुपयों का मार्कअप के भुगतान के लिए सहमति दी गई और साथ ही साथ एमएसटीडी के लिए प्राप्त किये गए परिसंपत्ति के लिए कंपनी सेक्यूरिटी देने के लिये सहमति दी। कंपनी ने एसबीएम के फेवर में हैपाथिकेशन के रूप में सेक्यूरिटी दी जिस से की जेवीसी ने ईसीआईएल प्रोक्यूरमेंट वित्तीय तथा आपूर्ति के लिए ऋण सुविधा प्राप्त की और कंपनी ने जेवीसी द्वारा किये गए ऋण 8.5% डिमिनिशिंग बैलन्स के हिसाब से 254 लाख रुपये तक ब्याज लागत देने के लिए सहमति दी। जैसे कि इसतरह की व्यवस्था निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है इसीलिए हम जेवीसी के आदेशों के अन्य शर्तों तथा मूल्य के रीजनेबलनेस पर आधारित है।	
vi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 ए और धारा 58 एए उसके अधीन किये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की और कंपनी का बोर्ड या नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या न्यायालय या अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन संबंधी धारा कंपनी को लागू नहीं होता।	
vii) कंपनी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है, पर हमारी राय में कंपनी के आकार व्यापार के अनुरूप इसका विस्तार एवं कवरेज पर्याप्त नहीं है, विशेषरूप से राजस्व मान्यता के क्षेत्र, जाब्स के लिए सामग्री एवं सीधे मजदूरों की बुकिंग, मैचिंग लागत सहित सेल आर्डर ट्रैकिंग, आई सी ए आई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अकौन्टिंग आफ सेनवैट/इनपुट तथा आउट पुट वैट/इनपुट सेवा, कर आदि का अनुपालन, बिक्री अदेश शर्तें जिसमें अग्रीम समायोजन, अ एवं वी व्यय को हिसाब में लेना, कंपनी द्वारा की जा रही ई गवर्नोन्स	लेखा परीक्षा द्वारा दिये गए सुझावों के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा के आंतरिक टीम के विस्तार को प्रतिवर्ष बढाया जा रहा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। वर्ष के दौरान विभागीय अंतरिम लेखा परीक्षकों द्वारा आंतरिक परीक्षा के अतिरिक्त कार्य जैसे क्रय प्रक्रिया की समीक्षा, ए एम सी ठेकों की समीक्षा, वैट/सेनवैट लेखांकन, सेवा कर अनुपालन आदि, के लिए बाह्य लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई।

to the prevailing market prices is not applicable to the company.

However, the company entered into MOU with Joint Venture Company (with 49% of Equity holding) for supply of equipment about Rs.1300 lakhs which they have to procure from market, for execution of contract with Maharashtra Sales Tax Dept (MSTD). Later, the company placed orders on JVC without following the laid down purchase procedure which however have been ratified by the Board of Directors. As per the terms the company agreed to pay 'mark up' of about Rs. 81.33 lakhs on their negotiated price and also agreed to give the assets procured for MSTD project as security by way of hypothecation, in favour of State Bank of Hyderabad from whom JVC secured term loan facility for financing the procurement and supply to ECIL and also agreed to meet the interest cost on the loan taken by JVC at 8.5% on diminishing balance i.e. to the extent of Rs.254 lakhs during the loan period. As the arrangement has been approved/ratified by the Board, we have relied on the reasonableness of the prices and other terms and conditions of the order on JVC.

vi) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public as per the provisions of Sec. 58A and Sec.58AA or any other relevant provisions of the Companies Act, 1956 and the rules framed there under and the clause relating to compliance to order passed by the Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other Tribunal is not applicable to the Company.

vii) *The company has an internal audit system, the scope and coverage of which, in our opinion, is not adequate and commensurate with size of the company and nature of its business, particularly in the areas of Revenue recognition, material and direct labour booking to Jobs, Sale Order tracking with matching costs, compliance with and accounting of CENVAT / Input and output VAT/ Input Service Tax, as per guidelines issued by ICAI, compliance with sale order terms including advances adjustments, accounting of R&D expenditure, 'e' governance projects undertaken by the company, cut off procedures relating to*

The scope of Internal Audit by In-house team is being widened from year to year covering the important areas as suggested by Audit. During the year, apart from Internal Audit by the Internal Audit Department, external auditors have been appointed to take up certain additional assignments like review of purchase procedure, review of AMC contracts, VAT/CENVAT accounting, service tax compliance etc.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध	कंपनी द्वारा उत्तर
परियोजनाएँ, क्रय और बिक्री से संबंधित कट आफ प्रक्रियाएँ तथा मेन्डेटरी अकाउन्टिंग स्टान्डर्डस सहित अनुपालन। कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग में बहुत कम स्टॉक है। वर्ष के अन्त में कंपनी ने चन क्षेत्रों के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के लिए बाह्य एजेन्सी को नियुक्त किया और उनके द्वारा प्रस्तुत किये गए रिपोर्टस का उत्तर प्रबंधन ने अभी तक नहीं दिया।	
viii) कंपनी के समेकिताधीन उत्पादों के लिए केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (i) (डी) के तहत लागत के रिकार्ड रखना निर्धारित किया है इसके अनुरूप हमने सामग्री, श्रमिक एवं कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखे की पुस्तकों को समेकित किया और हमारे द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकी ।	लागत रिकार्ड समेकित कार्य पूरा हो चुका ।
ix) ए) कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों के पास सांविधिक देय जैसे भविष्य निधि, इन्वेस्टर शिक्षा एवं प्रोटेक्शन निधि आदि को कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, धन कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क सेस आदि नियमित रूप से जमा करवा रही है। इस संबंध में 31-3-2007 तक कोई ऐसी अविवादित रकम नहीं है जो छ: माह से अधिक समय के लिए अतिदेय हो गई है।	
बी) हमें प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार आय कर (3942.23 लाख रुपये), सीमा शुल्क (178.56 लाख रुपये), उत्पाद शुल्क (599.53 लाख रुपये), बिक्री कर (96.87 लाख रुपये) सेवा कर बकाया (1.77 लाख रुपये) को जमा नहीं करा गया क्योंकि इस संबंध में निम्न अनुबन्ध के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष विवाद लंबित है। (आकस्मिक देयताओं के अधीन दिखाये गये विभागीय अपील सूची में सम्मिलित नहीं हैं)।	कंपनी ने उचित प्राधिकारियों के समक्ष विवादित राशियों के लिये दावा पेश किया और इन राशियों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्शाया गया।
विवाद के कारण विभिन्न विभागों के संबंध में बकाया जो जमा नहीं किया गया:	

Annexure to the Auditors' Report	Company's Replies
purchases and sales and compliances with Mandatory Accounting Standards. The company's internal audit department is grossly understaffed. Towards the end of the year the company appointed external agencies to carryout internal audit of certain areas and for the reports submitted by them no replies are submitted by the management so far.	
viii) We have broadly reviewed the books of account relating to material, labour and other items of cost maintained by the company basically for the purposes of valuation of closing inventory We *have been informed that records required to be maintained pursuant to the rules made by the Central Govt. for the maintenance of Cost Records under section 209(1) (d) of the Companies Act, 1956 for the products of the company are under compilation and no review could be made by us.*	The compilation of Cost Records has been completed.
ix) a) The company is regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, wealth tax, service tax, customs duty, excise duty, cess and other material statutory dues applicable to it. There were no outstanding dues as at 31.03.2007 for a period exceeding 6 months from the date they became payable.	
b) According to the information and explanations given to us, the dues (net after 'on account payments' shown as advances) in respect of income tax (Rs.3942.23 lakhs), Customs duty (Rs.178.56 lakhs), excise duty (Rs.599.53 lakhs), sales tax (Rs.96.87 lakhs), service tax (Rs.1.77 lakhs), which have not been deposited on account of disputes by the company pending before various authorities as per the details given below. (The list does not include Departmental appeals which are shown under contingent liabilities).	The disputed amounts have been contested by the Company before the appropriate authorities and is disclosed as contingent liabilities.
Dues in respect of various Departments not deposited on account of Disputes:	

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध

कंपनी द्वारा उत्तर

(रुपये लाखों में)

कर/शुल्क	लंबित	राशि
आय कर	आईटीएटी	3034. 79
	आयुक्त (अपील)	382. 13
	ए.पी. हाई कोर्ट	87. 15
	सी.बी.डी.टी	438. 15
	कुल	**3942.22**
सीमा शुल्क	उच्चतम न्यायालय	154.42
	सीईएसटीएटी, बेंगलूर	24.14
	कुल	**178.56**
उत्पाद शुल्क	आयुक्त (अपील)	13.35
	सीईएसटीएटी, बेंगलूर	34.77
	आयुक्त, हैदराबाद	551.41
	कुल	**599.53**
बिक्री कर	एसटीएटी-हैदराबाद	2.58
	एसटीएटी - नई दिल्ली	42.18
	विशेष ट्रिब्यूनल, चेन्नै	25.28
	असेस्सिंग आफीसर, बैंगलूर	2.05
	डीसीसीटी, बैंगलूर	18.11
	एडीसी, कोलकाता	0.38
	असेस्सिंग आफीसर, संबलपूर	6.29
	कुल	**96.87**
सेवा कर	आयुक्त (अपील्स)	1.77
	कुल	**1.77**

x) कंपनी को कोई संचित हानि नहीं हुई और हमारी लेखा परीक्षा द्वारा कवर किये गये वर्ष के दौरान और पूर्ववर्ती वर्ष में कंपनी को नकद हानि नहीं हुई।

xi) 31-03-2007 तक किसी वित्तीय संस्था या बैंकों से कोई बकाया नहीं है और वित्तीय संस्थान या बैंक को कंपनी बकाया देने में चूक नहीं की है।

xii) शेयर, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर कंपनी ने ऋण एवं अग्रिम को प्रदान नहीं किया है।

xiii) हमारी राय में, कंपनी कोई चिट फंड या निधि / म्यूचअल बेनिफिट फंड / सोसाइटी नहीं है। इसीलिए, कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड -4 (xiii) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है।

Annexure to the Auditors' Report

Company's Replies

(Rs.Lakhs)

Tax/Duty	Pending before	Amount
Income Tax	ITAT	3034. 79
	Commissioner (Appeals)	382. 13
	AP High Court	87. 15
	CBDT	438. 15
	TOTAL	**3942.22**
Customs	Supreme Court	154.42
	CESTAT Bangalore	24.14
	TOTAL	**178.56**
Excise	Commissioner (Appeals)	13.35
	CESTAT, Bangalore	34.77
	Commissioner, Hyderabad	551.41
	TOTAL	**599.53**
Sales Tax	STAT- Hyderabad	2.58
	STAT-New Delhi	42.18
	Special Tribunal-Chennai	25.28
	Assessing Officer, Bangalore	2.05
	DCCT, Bangalore	18.11
	ADC, Kolkata	0.38
	Assessing officer, Sambalpur	6.29
	TOTAL	**96.87**
ServiceTax	Commissioner (Appeals)	1.77
	TOTAL	**1.77**

x) The company has no accumulated losses and it has not incurred any cash losses during the financial year covered by our audit and in the immediately preceding financial year.

xi) There were no outstanding loans from Banks or financial institutions on 31.03.2007 and the company has not defaulted in repayment of dues to Financial institutions or Banks.

xii) The company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

xiii) The company is not a chit fund or nidhi/mutual benefit fund/society. Therefore, the provisions of

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध

xiv) हमारी राय में कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेशों में किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड -4(xiv) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है।

xv) हमारी राय में, बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर उन व्यक्तियों (मूलतः कर्मचारी) को जिन शर्तों के आधार पर कंपनी ने गारंटी दी है, इससे कंपनी को हानि नहीं होगी।

xvi) हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी प्रकार की सावधिक ऋण नहीं ली है और ऋण प्राप्त करने के लिए दिया गया आवेदन कंपनी पर लागू नहीं है।

xvii) हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलन पत्र को समग्र रूप से परीक्षा के बाद हम यह रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि के आधार पर उगायी गयी निधि को दीर्घावधि निवेश के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया।

xviii) हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में कवर किये जानेवाले पार्टियाँ एवं कंपनियों को वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों का प्रिफरेंशियल आंवटन नहीं किया।

xix) कंपनी ने किसी प्रकार के डिबेंचरों को जारी नहीं किया। जारी किया गय डिबेंचर पर सेक्यूरिटी क्रियेट करना, कंपनी पर लागू नहीं है।

xx) कंपनी ने पब्लिक इश्यू पर किसी प्रकार की निधि उगाही नहीं है और पब्लिक इश्यू द्वारा उगाही गई डिस्कोलजर ऑन दि एंड यूस ऑफ मनि, कंपनी पर लागू नहीं है।

xxi) हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं वित्तीय विवरणों का सत्य एवं फेयर दृष्टिकोण हेतु अपनायी गयी लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें कंपनी में किसी प्रकार का छल व्यवहार दिखाई नहीं दिया।

कृते सत्यनारायण एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल

सीएच. शेषगिरि राव
भागीदार
एम. नंबर 18523

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 25.07.2007

कंपनी द्वारा उत्तर

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

के. एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 26.09.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 112 11/30/2007, 11:35 AM

Annexure to the Auditors' Report

clause 4(xiii) of the Companies (Auditors' Report) Order, 2003 are not applicable to the company.

xiv) The company is not dealing in or trading in shares, securities, debentures and other investments. Accordingly, the provisions of clause 4(xiv) of the Companies (Auditors' Report) Order, 2003 are not applicable to the company.

xv) In our opinion the terms and conditions on which the company has given guarantees for loans taken by others (basically employees) from banks or financial institutions are not prejudicial to the interest of the company.

xvi) In our opinion and as per the information and explanations given to us the company has not taken any term loans during the year and application of loans for the purpose for which the loans were obtained is not applicable to the company.

xvii) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the company, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term investments.

xviii) The company has not been made any preferential allotment of shares to the parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Act.

xix) The company has not issued any debentures and creation of security or change is not applicable to the company.

xx) The company has not raised any funds by public issue and disclosure on the end use of money raised by the public issue is not applicable to the company.

xxi) According to the information and explanations given to us and based upon the audit procedures performed for the purposes of reporting `true and fair view' of the financial statements, we report that no fraud on or by the company has been noticed or reported during the course of our audit.

for SATYANARAYANA & CO.,
Chartered Accountants

Ch SESHAGIRI RAO
Partner
M.No. 18523

Place : Hyderabad
Date : 25.07.2007

Company's Replies

for and on behalf of the Board of Directors

K S RAJASEKHARA RAO
Chairman & Managing Director

Place : Hyderabad
Date : 26.09.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 113 11/30/2007, 11:35 AM

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध - 4

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का कंपनी द्वारा उत्तर

31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिये इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद के लेखे पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ ।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेम वर्क के अनुरूप 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिये ईसीआईएल, हैदराबाद का वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबन्धन की है । कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिये कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखा परीक्षक का दायित्व है जो आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानक पर आधारित है । यह विदित हुआ कि दिनांक 25-7-2007 के साथ लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया ।

31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिये ईसीआईएल, हैदराबाद के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से मैंने अनुपूरक लेखा परीक्षा कार्य किया । यह अनुपूरक लेखा परीक्षा कार्य स्वतन्त्ररूप से किया गया और यह सांविधिक लेखा परीक्षक तथा कंपनी कार्मिकों से की गई पूछताछ तथा कुछ लेखा रिकार्डों का परीक्षण तक सीमित है । मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत निम्न लिखित महत्वपूर्ण बातें उजागर करना चाहता हूँ जो मेरी दृष्टि में आये और मेरे अनुसार वित्तीय विवरणों के तथा संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अच्छी तरह समझने में आवश्यक है :-

ए. लाभदायिकता पर टिप्पणियाँ

1) लाभ और हानि लेखा

बिक्री - 863.42 करोड रुपये

एपीडी के परियोजनाओं के संदर्भ में राजस्व की मान्यता में गलत कम्प्लीशन प्रतिशतता को अडाप्ट करने के कारण 2.45 करोड रुपयों का अंडर स्टेटमेंट रहा । इसके परिणामस्वरूप 2.45 करोड रुपयों का अंडर स्टेटमेंट रहा । यह 8 परियोजनाओं से संबंधित हैं । निगमीय तकनीकी समिति ने इन परियोजनाओं को प्रभावित करनेवाले कारकों को ध्यान में रखते हुए राजस्व मान्यता को अडाप्ट करने के लिये अडाप्ट किये जानेवाले मार्गदर्शन के लिये सिफारिश किया उसी का पालन किया गया ।

Comments of the Comptroller and Auditor General of India.	Company's replies to the comments of the Comptroller and Auditor General of India

Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the Accounts of Electronics Corporation Of India Limited, Hyderabad for the year ended 31st March, 2007.

The preparation of financial statements of Electronics Corporation Of India Limited, Hyderabad for the year ended 31st March, 2007 in accordance with the financial reporting frame work prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956, based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25th July, 2007.

I on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad for the year ended 31st March, 2007. This supplementary audit has been carried out independently and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records. I would like to highlight the following significant matters under section 619(4) of the Companies Act, 1956 which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report.

A. Comments on Profitability

1. Profit and Loss Account

Sales – Rs.863.42 crore

The above is under stated by Rs.2.45 crore due to adoption of incorrect percentage of completion in recognition of Revenue in respect of projects of Antenna Products Division. This has resulted in understatement of profit for the year by Rs.2.45 crore.

This relates to 8 projects. The Corporate Technical Committee after taking into consideration factors affecting the projects, has recommended the revenue recognition to be adopted and the same is considered.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का कंपनी द्वारा उत्तर
2) कराधान के लिये प्रावधान - वर्ष के लिए 72.95 करोड रुपये अग्रिम कर के डेफरमेंट/शार्ट पेमेंट के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234 बी एवं 234 सी के अंतर्गत 3.38 करोड रुपये देय ब्याज उपरोक्त में शामिल है । यह असाधारण मद होने के कारण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3 सी) के अंतर्गत निर्धारित लेखा मानक-5 के अनुरूप अलग से ''इंटरेस्ट'' मद को रेखांकित कर दर्शाना चाहिए था ।	भविष्य में डिस्क्लोजर रिक्वैरमेंट पर कार्रवाई की जायेगी ।
बी. डिस्क्लोज़र पर टिप्पणियाँ	
3) टिप्पणियाँ नत्थी किये गये और लेखे में भोग होना (अनुसूची ''पी'') आकस्मिक देयताएँ लेखा परीक्षा की पैराग्राफ ''ई'' (iv) की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है जो यह कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 ए के अंतर्गत उगाही तथा उपकर की वसूली के उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं किया । यह धारा यह प्रावधान मुहैया कराती है कि वार्षिक टर्नओवर या वार्षिक सकल रसीदें जो अधिक हो उस पर 0.005 से 0.1 प्रतिशत की दर के हिसाब से उपकर उगाही की जा सकती है । इस तरह से 4.41 करोड रुपयों (2002-03 से 2006-07 तक टर्न ओवर पर) का आकस्मिक देयता मुहैया कराना चाहिए था ।	भविष्य दिशा निर्देशों के लिये नोट किया गया ।
4) तुलन पत्र संक्षेप तथा कंपनी का सामान्य व्यापार प्रोफाइल सामान्य व्यापार प्रोफाइल कुल आस्तियाँ / कुल देयताएँ : 464.08 करोड रुपयें मोबलाइज़ेशन की स्थिति तथा निधियों का डेप्लोयमेंट उपरोक्त को 464.08 करोड के बजाय 1539.37 करोड जैसा दर्शाया जाना चाहिये ।	भविष्य दिशा निर्देशों के लिये नोट किया गया ।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

जी.एन. सुन्दर राजा
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और
लेखा परीक्षा मंडल के पदेन सदस्य हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 07.09.2007

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 26.09.2007

Comments of the Comptroller and Auditor General of India.	Company's replies to the comments of the Comptroller and Auditor General of India
2 Provision for Taxation – for the year: Rs.72.95 crore.	
The above includes Rs.3.38 crore towards interest payable under section 234B and 234C of Income Tax Act, 1961 on account of short payment/ deferment of advance tax. The same being an extraordinary item should have been separately disclosed under line item "Interest" in accordance with Accounting Standard – 5 prescribed under section 211 (3C) of the Companies Act, 1956.	The disclosure requirement will be followed in future.
B. Comments on Disclosure	
3 Notes Annexed to and forming part of Accounts (Schedule'P')	
Contingent Liabilities	
A reference is invited to paragraph E (vi) of the Auditor's Report which states that the Central Govt. has not issued any notification for the purpose of levy and collection of cess under section 441A of the Companies Act, 1956. The said section provides that the cess can be levied at a rate ranging between 0.005 to 0.1 percent on the annual turnover or annual gross receipts whichever is more. As such a contingent liability of Rs.4.41 crore (on the turnover from 2002-03 to 2006-07) should have been provided.	This will be examined and suitable action will be taken.
4 Balance Sheet Abstract and Company's General Business Profile Position of mobilization and deployment of funds Total Assets/total Liabilities: Rs.464.08 crore.	
The above should be shown as Rs.1539.37 crore instead of Rs.464.08 crore.	Noted for future guidance.

for and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

G N SUNDER RAJA
Principal Director of Commercial
Audit and Ex-officio Member,
Audit Board, Hyderabad

Place : Hyderabad
Date : 07.09.2007

for and on behalf of the Board of Directors

K S RAJASEKHARA RAO
Chairman & Managing Director

Place : Hyderabad
Date : 26.09.2007

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 117 11/30/2007, 11:35 AM

अनुपालन प्रमाणपत्र

CIN: L32100AP1967PLC001149

अनुपालन प्रमाणपत्र

प्राधिकृत पूंजी : रू. 200,00,00,000/-

प्रदत्त पूंजी : रू. 154,88,12,000/-

सेवा में,

सदस्यगण,

मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

ईसीआईएल डाक

हैदराबाद - 500 062

हमने कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमावली तथा कंपनी के एसोसिएशन के आर्टिकल्स एवं ज्ञापन में विहित प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित प्रकार मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (कंपनी) के रजिस्टर्स, रिकार्ड्स, पुस्तकें तथा कागजों की जाँच 31 मार्च, 2007 को समाप्त अवधि के लिए की। हमारी राय के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गयी पडताल तथा कंपनी द्वारा और उसके अधिकारियों एवं एजेंटों द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण के अंतर्गत हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर्युक्त अवधि के संबंध में प्रमाणित करते हैं कि :

1. कंपनी ने इस प्रमाणपत्र के अनुलग्नक ए में व्यक्त प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुरूप रजिस्टरों को रखा है और उनकी रखरखाव की।

2. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन कंपनी रजिस्टार, हैदराबाद से सर्टिफिकेट ऑफ इनकारपोरेशन प्राप्त करने के बाद अनुलग्नक बी में व्यक्त प्रकार फार्म एवं रिटर्न को प्रस्तुत की।

3. 31 मार्च, 2007 को कंपनी की प्रदत्त पूंजी रू. 154,88,12,000/- रही। कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते अलग टिप्पणियाँ अपेक्षित नहीं हैं।

4. निदेशक मण्डल की चार बैठकें हुईं (09.06.2006, 27.07.2006, 08.11.2006 एवं 06.02.2007) जिसके बारे में उचित सूचना दी गयी और कार्यवाही उचित रूप से रिकार्ड की गयी तथा इस प्रयोजनार्थ रखी गयी कार्यवृत्त किताब में हस्ताक्षर किये गये।

5. कंपनी ने संवीक्षा अवधि के दौरान अपने सदस्यगण की रजिस्टर को बंद नहीं किया।

6. 31 मार्च, 2006 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक 27.7.2006 को संपन्न हुई जिसके बारे में कंपनी के सदस्यों को नोटिस दी गयी तथा पारित संकल्पों को कार्यवृत्त पुस्तक में रिकार्ड किया गया।

7. वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में असाधारण बैठक नहीं हुई।

8. प्रस्तुत की गयीं घोषणाओं के अनुसार वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 295 के अंतर्गत कंपनी ने निदेशकों, व्यक्तियों, फर्मों या कंपनियों को ऋण नहीं दिया।

9. निदेशकों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 297 के अंतर्गत कंपनी ने कोई करार नहीं की।

10. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखी गयी रजिस्टर में कंपनी ने प्रविष्टियाँ नहीं की।

11. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 314 के अंतर्गत कोई अवसर न होने की वजह से निदेशक मंडल, सदस्यों या केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं है।

12. संवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने कोई प्रतिलिपि प्रमाणपत्र जारी नहीं किया।

13. कंपनी ने :

    ए. सेक्यूरिटी के आबंटन पर सभी प्रमाणपत्रों को सुपुर्द किया तथा वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयरों का अंतरण था।

    बी. वित्तीय वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा की लेकिन अलग बैंक खाता में जमा करने के बजाय, अपने चालू खाता द्वारा एक महीने के अंदर भुगतान किया।

    सी. वित्तीय वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा करने पर भी कंपनी के किसी भी सदस्य को वारंट पोस्ट नहीं किया क्योंकि घोषणा की एक महीने की अवधि के अंदर चालू खाता के माध्यम से चैक द्वारा लाभांश का भुगतान किया गया।

    डी. अधिनियम की धारा 217 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया।

14. कंपनी का निदेशक मंडल का गठन विधिवत् हुआ है तथा संवीक्षा अवधि के दौरान निदेशकों की नियुक्ति हुई थी।

15. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक/प्रबंधक की नियुक्ति की।

COMPLIANCE CERTIFICATE

CIN: L32100AP1967PLC001149
Authorised Capital : Rs. 200,00,00,000
Paid Up Capital : Rs.154,88,12,000

To
The Members
M/s.Electronics Corporation of India Limited
ECIL Post
Hyderabad 500 062

We have examined the registers, records, books and papers of M/s. Electronics Corporation of India Limited ("the Company") as required to be maintained under the Companies Act, 1956 ("The Act") and the Rules made thereunder and also the provisions contained in the Memorandum and Articles of Association of the Company for the period ended 31st March, 2007. In our opinion and according to the examinations carried out by us and explanations furnished to us by the Company, its officers and agents, and to the best of our knowledge and belief, we certify that in respect of the afore said period:

1. The Company has kept and maintained the registers as stated in Annexure 'A' to this certificate, as per the provisions of the Companies Act, 1956 and the rules made thereunder.
2. The Company has filed the forms and returns as stated in Annexure 'B' after obtaining the Certificate of Incorporation with the Registrar of Companies, Hyderabad, under the Companies Act, 1956 and the rules made thereunder.
3. The Company has a paid-up capital of Rs.154,88,12,000 (Rupees One hundred fifty four crores eighty eight lakhs and twelve Thousand only) as on 31st March, 2007. The company being a public limited company separate comments are not required.
4. The Board of Directors met four times, on 09.06.2006, 27.07.2006, 08.11.2006 & 06.02.2007, in respect of which meetings proper notice was given and the proceedings were properly recorded and signed in the minutes book maintained for the purpose.
5. The Company has not closed its Register of Members during the period under scrutiny.
6. The Annual General Meeting of the Company for the financial year ended 31st March 2006 was held on 27.07.2006 after giving notice to the members of the company and the resolutions passed thereat were duly recorded in the minutes book maintained for the purpose.
7. The Company did not hold any Extra-Ordinary General Meeting during the financial year.
8. As per the declarations provided to us the company has not advanced any Loans to Directors, persons, firms or companies referred to under section 295 of the Act during the year.
9. As informed to us by the Directors, the Company has not entered into any contracts falling within the purview of Section 297 of the Act.
10. The Company has not made any entries in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.
11. As there were no instances falling within the purview of Section 314 of the Companies Act, 1956, the Company was not required to obtain any approvals from the Board of Directors, Members or Central Government, as the case may be.
12. The Company has not issued any duplicate certificates during the period under scrutiny.
13. The Company has:
    a) Delivered all certificates on allotment of securities and there were transfer of equity shares during the year.
    b) Declared dividend during the financial but paid the same within one month through its current account, instead of depositing the same in a separate bank account.
    c) Though declared dividend during the financial year did not post warrants to any member of the Company as the dividend has been paid by cheques through current account within a period of one month from the date of declaration.
    d) Duly complied with the requirements of section 217 of the Act.
14. The Board of Directors of the Company is duly constituted and there were appointment of directors during the period under scrutiny.
15. The Company has appointed Managing Director/ Whole Time Director/Manager during the financial year.

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 119 11/30/2007, 11:35 AM

16. कंपनी ने संवीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी एकल-विक्रेता एजन्टों की नियुक्ति नहीं की।

17. कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, कंपनी रजिस्ट्रार तथा/या ऐसे प्राधिकारियों से अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं है।

18. अधिनियम तथा जिसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी घोषणा के अनुसार निदेशकगण ने अन्य फर्मों/कंपनियों में अपनी रूचि दिखायी।

19. संवीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कोई शेयर, डिबेंचर या अन्य सेक्यूरिटी को जारी नहीं किया।

20. संवीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी शेयर को वापस नहीं खरीदा।

21. संवीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रिफरेन्स शेयर्स या डिबेंचरों का रिडेम्प्शन नहीं है।

22. शेयरों के अंतरण के पंजीकरण को लंबित रखते हुए डिविडेंड, राइट्स शेयर एवं बोनस शेयरों के हक को आस्थगित रखने के लिए लेन-देन नहीं हैं।

23. कंपनी ने अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 ए के अंतर्गत आनेवाले अप्रतिभूत ऋण सहित किसी भी जमा राशियों को आमंत्रित/स्वीकार नहीं किया।

24. समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने निधियों को उधार नहीं लिया।

25. कंपनी ने ऋण या पेशगियों को नहीं दिया या अन्य निगमीय संगठनों को प्रतिभूति नहीं दी तथा परिणाम स्वरूप इस प्रयोजनार्थ रखी गयी पंजी में प्रविष्ठियाँ नहीं की गयीं।

26. संवीक्षा अवधि के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को रखने संबंधी मेमोरानडम आफ एसोसियेशन के प्रावधानों को कंपनी ने नहीं बदला।

27. संवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लक्ष्यों के संबंध में मेमोरानडम ऑफ एसोसिएशन के किसी प्रावधान को कंपनी ने नहीं बदला।

28. संवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के प्राधिकृत पूंजी के संबंध में मेमोरानडम ऑफ एसोसियेशन के किसी भी प्रावधानों को कंपनी ने नहीं बदला।

29. संवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने अपने आर्टिक्ल्स ऑफ एसोसियेशन को नहीं बदला।

30. संवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के नाम से संबंधित मेमोरानडम ऑफ एसोसियेशन के प्रावधानों को कंपनी ने नहीं बदला।

31. कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अपराधों के लिए अवधि के दौरान कंपनी को कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ या कंपनी के विरूद्ध मुकदमा नहीं हैं।

32. अवधि के दौरान कंपनी ने अपने कर्मचारियों से प्रतिभूति के रूप में कुछ भी नकद प्राप्त नहीं किया।

33. अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 418 के अंतर्गत भविष्य निधि के रूप में कंपनी ने किसी अंशदान की कटौती नहीं की।

कृते के.के. राव एण्ड एसोसियेट्स
कंपनी सचिवगण

हैदराबाद
दिनांक 04.09.2007

(के.के. राव)
कंपनी सचिव
सीपी सं. 5616, एसीएस -11641

16. The Company has not appointed any sole-selling agents during the period under scrutiny.

17. The Company was not required to obtain any approvals of the Central Government, Company Law Board, Regional Director, Registrar of Companies and/or such authorities prescribed under the provisions of the Companies Act, 1956.

18. As per the declarations provided to us the directors have disclosed their interest in other firms/ companies to the Board of Directors pursuant to the provisions of the Act and rules made thereunder.

19. The Company has not issued any shares, debentures or other securities, or Equity Shares mentioned above during the period under scrutiny.

20. The Company has not bought back any shares during the period under scrutiny.

21. There was no redemption of preference shares or debentures during the period under scrutiny.

22. There were no transactions necessitating the Company to keep in abeyance the rights to dividend, rights shares and bonus shares pending registration of transfer of shares.

23. The Company has not invited/accepted any deposits including any unsecured loans falling within the purview of Section 58A of the Companies Act, 1956, during the period.

24. The Company has not borrowed funds during the financial year under review.

25. The Company has not made any loans or advances, given guarantees, or provided securities to other bodies corporate and consequently no entries have been made in the register kept for the purpose.

26. The Company has not altered any provisions of the memorandum of association with respect to situation of the Company's registered office from one state to another during the period under scrutiny.

27. The Company has not altered any provisions of the memorandum of association with respect to objects of the company during the period under scrutiny

28. The Company has not altered any provisions of the memorandum of association with respect to authorised capital of the company during the period under scrutiny

29. The Company has not altered its articles of association during the period under scrutiny.

30. The Company has not altered any provisions of the memorandum of association with respect to the name of the Company during the year under scrutiny

31. There were no prosecutions initiated against or show cause notices received by the Company, during the period, for offences under the Companies Act, 1956.

32. The Company has not received any money as security from its employees during the period.

33. The Company has not deducted any contribution towards Provident Fund u/s 418 of the Companies Act, 1956 during the period.

For K. K. RAO & ASSOCIATES
Company Secretaries

HYDERABAD
DATE: 04.09.2007

(K.K.RAO)
COMPANY SECRETARY
CP NO. 5616; ACS- 11641

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 121 11/30/2007, 11:35 AM

अनुलग्नक - ए

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 150 के अंतर्गत सदस्यों की पंजी।
2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 307 के अंतर्गत निदेशकगण की शेयरधारणों की पंजी।
3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 303 के अंतर्गत निदेशकगण, प्रबंध निदेशकगण, प्रबन्धक एवं सचिव की पंजी।
4. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत कंपनियों एवं फर्मों में निदेशकों की हित प्रकटीकरण पंजी।
5. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 143 के अंतर्गत चार्ज पंजी।
6. अधिनियम की धारा 301 (3) के अंतर्गत संविदा पंजी जिसमें निदेशकगण दिलचस्प हैं।
7. अधिनियम की धारा 193 के अंतर्गत निदेशक मंडल के कार्यवृत्त।
8. अधिनियम की धारा 193 के अंतर्गत आम बैठकों के कार्यवृत्त।
9. धारा 143 के अंतर्गत चार्ज पंजी।
10. नियम आस्तियों की पंजी।

अनुलग्नक - बी

क्र. सं.	फार्म सं./ रिटर्न	धारा के अंतर्गत फाइल किया	हेतु	फाइल करने की तारीख	क्या विहित समय के अंदर फाइल किया हाँ/नहीं	यदि फाइल करने में विलंब है तो क्या अतिरिक्त शुल्क भुगतान किया हाँ/नहीं
01.	20 बी		2006 के लिए वार्षिक रिटर्न	22.01.2007	नहीं	हाँ
02.	23 ए सी		2006 के लिए तुलन पत्र एवं पी एण्ड एल लेखा	02.02.2007	नहीं	हाँ
03.	32		निदेशक मंडल/कंपनी सचिव में परिवर्तन	24.04.2006	हाँ	नहीं
04.	32		निदेशक मंडल/कंपनी सचिव में परिवर्तन	14.02.2007	नहीं	हाँ
05.	32		निदेशक मंडल/कंपनी सचिव में परिवर्तन	02.03.2007	नहीं	हाँ
06.	8		चार्ज का सृजन/पंजीकरण	31.03.2007	नहीं	नहीं

कृते के.के. राव एण्ड एसोसियेट्स
कंपनी सचिवगण हस्ताक्षर

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 04.09.2007

(के.के. राव)
कंपनी सचिव
सीपी सं. 5616, एसीएस - 11641

ANNEXURE – A

1) Register of Members u/s 150 of the Companies Act, 1956.
2) Register of Directors' Shareholdings u/s 307 of the Companies Act, 1956.
3) Register of Directors, Managing Directors, Manager and Secretary u/s 303 of the Companies Act, 1956.
4) Register of Disclosure of Director's interest in Companies and Firms u/s 301 of the Companies Act, 1956.
5) Register of Charges u/s 143 of the Companies Act, 1956.
6) Register of contracts u/s 301(3) of the Act in which Directors are interested.
7) Minutes of Board of Directors u/s 193 of the Act
8) Minutes of General Meetings u/s 193 of the Act
9) Register of Charges u/s 143
10) Register of fixed assets

ANNEXURE – B

Sl. No.	Form No./ No Return	Filed Under Section	For	Date of filing	Whether filed within prescribed timeYes/No	If delay in filing whether additional fee paid Yes/No
1.	20B		Annual return for 2006	22.01.2007	No	Yes
2.	23AC		Balance Sheet and P&L account for 2006	02.02.2007	No	Yes
3.	32		Change in Board of Directors/ company secretary	24.04.2006	Yes	No
4.	32		Change in Board of Directors/ company secretary	14.02.2007	No	Yes
5.	32		Change in Board of Directors/ company secretary	02.03.2007	No	Yes
6.	8		Creation/registration of charge	31.03.2007	No	No

For K.K.RAO & ASSOCIATES
Company Secretaries

Place : HYDERABAD
Date : 04.09.2007

(K.K.RAO)
COMPANY SECRETARY
CP NO. 5616; ACS- 11641

ECIL_AnnualReport_241107_2C.pmd 123 11/30/2007, 11:35 AM